रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

22 MAR 1973

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10, 1973 (फाल्गुन 19, 1894)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10, 1973 (PHALGUNA 19, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III— खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

लेखा और व्यय विभाग

बम्बई 10 मार्च, 1973

जो प्रतिभूतियां खो, आदि गई हैं और जिनके संबंध में यह विश्वास करने के लिए प्रत्यक्षतः आधार हैं कि वे खो गयी हैं और उनके आवेदकों का दावा न्यायपूर्ण है, उनकी निम्नलिखित (जून 1972 को समाप्त हुई तिमाही की) सूची का विज्ञापन पब्लिक डेट अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाई गई और 20 अप्रैल 1946 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित [दिनांक 29 अप्रैल, 1954, की अधिसूचना सं० एफ० (8)(70)-बी०/52 के अधीन संशोधित] की गई नियमावली के नियम 18 के अनुसार इसके द्वारा किया जाता है। नीचे जिन संबंधित दावेदारों के नाम दिये गये हैं उनको छोड़कर अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनका इन प्रतिभूतियों पर कोई दावा हो, को चाहिए कि वे मुख्य लेखापाल, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, लेखा और व्यय विभाग, केन्द्रीय ऋण अनुभाग, बम्बई को तुरन्त सूचित करें।

यह सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका अब पहली बार विज्ञापन किया जा रहा है और भाग 'ख' में उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका इसके पहले विज्ञापन किया जा चुका है।

सूची 'क'

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रू०	किसके नाम जारी की गयी	किस तारीख से ब्याज देय है	अनुलिपि जारी करने और/या भुगतान-मूल्य की अदायगी के लिए दावा करनेवाले (लों) का (के) नाम	जारी किए गए आदेशों की संख्या और तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बम्बई सर्किल					
3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946					
बी बाई 372507	10,000/-	जगमोहनदास रणछोड़-लाल, मनसुखलाल गंगादास और हरिलाल त्रिभुवनदास या उनमें से कोई	16-3-1971	जगमोहनदास रणछोड़ लाल, जगन्नाथ अनंतराय, प्रभाकर मंगलदास और मथुरा-दास जयंतीलाल	केस सं० एल० 1532 उप मैनेजर के आदेश, डायरी सं० सी० ओ० 225 तारीख 17 अप्रैल 1972

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बी बाई 361675	5,000/-	कनारा बैंक लिमिटेड	16-3-1971	इस्माइल हुसैन खंबाटी	केस सं० एल० 1535-उप मैनेजर के आदेश, डायरी सं० सी० ओ० 300 तारीख 23 मई 1972	
			4 प्रतिशत ऋण, 1980			
*बी बाई 009722	100/-	कोरस (इण्डिया) लिमिटेड	18-7-68	कोरस (इण्डिया) लिमिटेड	केस सं० एल० 1539-उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 226 तारीख 17 अप्रैल 1972	
			कलकत्ता सर्किल			
			3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946			
सी ए 306356	1,000/-	बी० के० गुहा	16-3-69	एन० एन० चौधरी	केस सं० 772 मैनेजर का आदेश तारीख 28 जून 1972 फाइल सं० I 2208	
			4½ प्रतिशत ऋण, 1973			
*सी ए 004227/31	100 प्रत्येक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	22-7-63	कार्यपालक अधिकारी, देबोत्तर विभाग, दासपल्ला।	केस सं० 771, मैनेजर का आदेश तारीख 27 अप्रैल 1972 फाइल सं० I 2127	
			कानपुर सर्किल			
			राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड 1980 'ए' सिरीज़			
के एम 000411	10 ग्राम	पीतम सिंह	27-10-66	पीतम सिंह	सी० ओ० 739/71-72 तारीख 21 अप्रैल, 1972	

सूची 'ख'

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु०	किसके नाम जारी की गयी	किस तारीख से ब्याज देय है	अनुलिपि जारी करने और/या भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावा करनेवाले/लों का/के नाम	जारी किये गये आदेशों की संख्या और तारीख	पब्लिक डेट अधिनियम 1944 के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें इस प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया था
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			बम्बई सर्किल			
			3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946			
बी बाई 291513	12,000	इंद्रजदन ए० भट्ट	16-9-65	अंबालाल दामोदर भाई भट्ट	केस सं० एल० 1429 उप मैनेजर का आदेश तारीख 14-8-69 डायरी सं० सी० ओ० 563 तारीख 14-8-1969	14-2-70
बी बाई 235286	1,000	जमशेद अर्देशीर मेहता और अर्देशीर नौरोजी मेहता या उनमें से कोई एक या उत्तरजीवी	16-9-65	स्वर्गीय जमशेद अर्देशीर मेहता का उत्तरजीवी अर्देशीर नौरोजी मेहता	केस सं० एल० 1427 उप मैनेजर का आदेश तारीख 15-10-1969 डायरी सं० सी० ओ० 719 तारीख 16-10-1969	20-2-71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बी वाई 334045	2,000	दि थाना डिस्ट्रिक्ट थास उत्पादक सहकारी मंडल लिमिटेड	16-3-62	दि थाना डिस्ट्रिक्ट थास उत्पादक सहकारी मंडल लिमिटेड	केस सं० एल० 1449 उप मैनेजर का आदेश तारीख 16-10-1969 डायरी सं० सी० ओ० 720 तारीख 16-10-1969	वही
@बी वाई 337168	5,000	जी०बी० दातार	16-3-69	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	केस सं० एल० 1473 संदर्भ सी० ओ० पत्र सं० सी० ओ० डी० टी० ए० डी० एम० एन० 32-69-70-2823 तारीख 27-11-1969 डायरी सं०	वही
@बी वाई 398330	500	दि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	16-3-69	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	सी० ओ० 825 तारीख 28-11-69	
बी वाई 262417	5,500	काऊस आर० सेठना और गूला आर० सेठना	16-9-66	काऊस आर० सेठना और गूला आर० सेठना	केस सं० एल० 1406, उप मैनेजर का आदेश तारीख 16-12-1969 डायरी सं० सी० ओ० 862 तारीख 17-12-1969	20-2-71
*बी वाई 244024	500	बी० एस० लालकाका, गुलबानू बी० लालकाका, फ्रेनी पी० मेहता, फिरोजा एच० सीखै और पी० ए० मेहता या उनमें से कोई तीन।	16-9-66	श्री बी० एस० लालकाका (मृत) के उत्तरजीवी गुलबानू बी० लालकाका, फ्रेनी पी० मेहता, फिरोजा एच० सीखै और पी० ए० मेहता (या उनमें से कोई तीन)।	केस सं० एल० 1441 उप मैनेजर के आदेश तारीख 30 जून 1970 डायरी सं० सी० ओ० 399 तारीख 30 जून 1970]	24-4-71
बी वाई 289651	10,000	चिमनलाल छोटालाल, स्वरूपचंद कपूरचंद, सांकलचंद गोविंद जी और सोभाग चंद रायचंद या उनमें से कोई दो।	16-3-65	श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल जगाडिया के न्यासी।	के० सं० एल० 1382, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 700 तारीख 27 अक्तूबर 1970	28-8-71
बी वाई 289650	2,000	वही	वही	वही	ही	वही
बी वाई 218913	1,000	लेखा अधिकारी उच्च न्यायालय बंबई।	वही	वही	वही	वही
*बी वाई 341152	500	गूलचर दोराब जी० अंकलेसरिया	16-3-66	गूलचर दोराब जी अंकलेसरिया	केस सं० एल० 1498, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 750 तारीख 24 नवम्बर 1970	वही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बी वाई 371276	200	धनकोर बाई हरिदास, सकेरबाई जादवजी, पार्वतीबाई जादवजी और लक्ष्मीबाई जादवजी या उनमें से कोई एक।	16-3-68	वंदना कुंजबिहारी (नाबालिग) पार्वतीबाई जादवजी और लक्ष्मीबाई जादवजी।	केस सं० एल० 1447, उप मैनेजर के आदेश, डायरी सं० सी० ओ० 56 तारीख 30 जनवरी 1971	18-9-71
बी वाई 371277	500					
बी वाई 371278	1,000					
बी वाई 371279	10,000					
बी वाई 371280	25,000					
बी वाई 371281	200					
बी वाई 300303	1,000	नारायण दामोदर कोतवाल।	16-9-61	नारायण दामोदर कोतवाल और मनोरमा एन० कोतवाल।	केस सं० एल० 1476, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 61 तारीख 1 फ़रवरी 1971	वही
बी वाई 228406-07 (2×10,000)	20,000	जमनाबाई गोविंद जी माधवजी, दामोदर गोविंदजी माधोजी, लेडी प्रेमलीला विठलदास ठाकरसी, सुंदरबाई हंसराज प्रागजी ठाकरसी और कल्याणजी कानजी मेघजी या उनमें से कोई दो।	16-9-61	स्व० सुशीलाबाई माधवजी डी० मोरार जी के उत्तरजीवी प्रेमलीला वी० ठाकरसी, सुंदरबाई हंसराज प्रागजी ठाकरसी, रणजीतसिंह लीलाधर कारा।	केस सं० एल० 1376, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 188 तारीख 26 मार्च 1971	वही
*बी वाई 414045	500	वसंतलाल सी० पारिख।	16-9-68	शांतागौरी वसंतलाल पारिख।	केस सं० एल० 1522, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 472 तारीख 27 जुलाई 1971	15-1-72
		3% रक्षा बांड, 1946				
*बी वाई 007057-59 (3×100)	300	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	1-8-40	बी० सी० कुचनूर, अध्यक्ष श्री मुरिगेय्या सिद्रमय्या स्वामी बागोजी मठ न्यास।	केस सं० एल० 1472, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 164 तारीख 17 मार्च 1971	18-9-71
		3% ऋण, 1963-65				
बी वाई 102073	25,000	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	1-12-60	विभूति भूषण मित्रा और कन्हैयालाल सुरेखा (स्व० जसोदा कुमार राय के उत्तरजीवी)	केस सं० एल० 1172, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 534 तारीख 19-8-1971	15-1-72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3% प्रथम विकास ऋण 1970-75			
बी वाई 127363	1,100	हीरालाल लक्ष्मी चंद।	15-10-58	हीरालाल लक्ष्मीचंद (मृत) की संपत्ति का प्रशासक बाबू भाई हीराचंद शाह	केस सं० एल० 1423, उप मैनेजर के आदेश तारीख 19-8-1969, डायरी सं० सी० ओ० 579 तारीख 20-8-1969	14-2-70
*बी वाई 130740	500	डुंगरशी जमनादास	15-4-66	डुंगरशी जमनादास	केस सं० एल० 1480, उप मैनेजर के आदेश तारीख 11-3-1970 डायरी सं० सी० ओ० 121 तारीख 11-3-1970	29-8-70
बी वाई 105406	2,900	जेस्सासिंग चतुर्भुज दास।	15-4-64	जेस्सासिंग चतुर्भुज दास	केस सं० एल० 1448, उप मैनेजर के आदेश तारीख 29 जून 1970 डायरी सं० सी० ओ० 398 तारीख 29-6-1970	24-4-71
बी वाई 139013	500	दि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	वही	वही	वही	वही
*बी वाई 072584	500	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	15-4-56	मोतीलाल स्वरूपचंद बुम्ब।	केस सं० एल० 1420, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 520 तारीख 10 अगस्त 1970	10-7-71
बी वाई 153551	500	गार्लिक एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।	15-10-68	गार्लिक एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।	केस सं० एल० 1450, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 560 तारीख 1-9-1970	वही
बी वाई 157232	100					
बी वाई 143192	100					
*बी वाई 161959	500	मोहनलाल बेचर-दास और मणि बाई मोहनलाल या उनमें से कोई एक	15-4-70	मणिबाई मोहनलाल (स्व० मोहनलाल बेचरदास की उत्तर-जीवी)	केस सं० एल० 1517, उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 289 तारीख 17-5-1971	15-1-72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बी वाई 072128	500	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	15-10-63	सुशीलाबाई विष्णुपंत वाईकर, चंद्रशेखर विष्णुपंत वाईकर, कमल भाउसाहेब बोंगले, हेमंत विष्णुपंत वाईकर, कुमुद मधुकर फुटाणे, आशालता ओमप्रकाश लचके, अशोक विष्णुपंत वाईकर, राजेन्द्र विष्णुपंत वाईकर, और विजय विष्णुपंत वाईकर।	केस सं० एल० 1258-उप मैनेजर का आदेश डायरी सं० सी० ओ० 762 तारीख 10-12-1971	5-8-72
			$3\frac{1}{2}\%$ राष्ट्रीय परियोजना ऋण 1964			
बी वाई 056546	1,000	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया	19-4-57	उर्मिलाबेन गोर्धनभाई पंचोली और राजेशभाई गोर्धनभाई पंचोली (नाबालिग)	केस सं० एल० 1439 उप मैनेजर के आदेश तारीख 22-5-69 डायरी सं० सी०ओ० 335 तारीख 23-5-1969	7-3-70
*बी वाई 036508	100	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया	19-4-54	जाला बाबुभाई सरदार संग और वखतसंग शिवभा।	केस सं० एल० 1411 उप मैनेजर के आदेश तारीख 18-8-1969 डायरी सं० सी० ओ० 572 तारीख 19-8-1969	14-2-70
*बी वाई 043779	500	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया	19-4-54	शाह डालीचंद मोतीचंद।	केस सं० एल० 1471 उप मैनेजर के आदेश तारीख 16-3-1970 डायरी सं० सी० ओ० 128 तारीख 17-3-1970	29-8-70
*बी वाई 097445	100	गुडिसेट्टि विश्वनाथन	19-4-54	गुडिसेट्टि विश्वनाथन	केस सं० एल० 1147 उप मैनेजर के आदेश तारीख 20 मई 1970 डायरी सं० सी० ओ० 287 तारीख 20-5-1970	24-4-71
*बी वाई 098149	100	वीरण्णा का आत्मज गुडिसेट्टि विश्वनाथन।	वही	वही	वही	वही
*बी वाई 019984	200	इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया।	वही	मेसर्स जनता ऑटोमोबाइल्स।	केस सं० एल० 1463 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 736 तारीख 19-11-1970	28-8-71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
*बी बाई 69437	100	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	19-4-55	पटेल देवराज सामजी भूत ।	केस सं०एल० 1500 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 32 तारीख 22-1-1971	18-9-71
*बी बाई 96036	500	वही	19-4-57	डी०पी० पांडे	केस सं० एल० 1409 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 33 तारीख 22 जनवरी 1971	वही
*बी बाई 026533	100	वही	19-10-57	पटेल रावजी करशन और मानजी करशन	केस सं० एल० 1435 उप मैनजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 60 तारीख 1-2-1971	वही
*बी बाई 033373	200	वही	19-4-54	पटेल मोहनभाई गोग-जीभाई हुंगर।	केस सं० एल० 1474 उप मैनेजर के आवेश डायरी सं० सी० ओ० 88 तारीख 12-2-1971	वही
*बी बाई 045372	100	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया	19-4-54	पालेवल भवन दया और पालेवल मोहन केशवजी।	केस सं० एल० 1515 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 266 तारीख 3-5-1971	15-1-72
*बी बाई 077941	100	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	19-4-54	दयाराम किसन मांगले	केस सं० एल० 1478 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 714 तारीख 17-11-1971	5-8-72
*बी बाई 079320	200	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	19-4-54	भीमशी जेठाभाई	केस सं० एल० 1524 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 790 तारीख 22-12-1971	5-8-72
*बी बाई 079090	100	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	19-4-54	(1) राजीबाई राम (2) लखुबाई राम (3) नरसनबाई राम (4) करसनभाई राम (5) गोविंद भाई राम (6) जालुबाई राम (7) कुंवेरबाई राम (8) लाडुबाई राम (स्व० अहेर राम भोजा की संपत्ति के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारी)।	केस सं० एल० 1501 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 14 तारीख 11-1-1972।	16-9-72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3½ प्रतिशत राष्ट्रीय परियोजना बांड (II सिरीज) 1965			
बी वाई 021171-73 (3×1,000)	3,000	दि बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड।	1-1-61	मेसर्स दाराबशा बी० कर्सेट जीस सन्स (बम्बई)	केस सं० एल० 1051 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 818 तारीख 30-12-1970	28-8-71
बी वाई 018137-39 (3×1,000)	3,000	वही	वही	वही	वही	वही
बी वाई 036732-34 (3×1,000)	3,000	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया	वही	वही	वही	वही
बी वाई 029267	1,000	दि बैंक ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड	वही	वही	वही	वही
बी वाई 010655	5,900	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	1-7-55	जीजीभाय नानाभाय मार्शल (स्व० पिरोजा जीजीभाय मार्शल का उत्तरजीवी)	केस सं० एल० 1511 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 388 तारीख 21-6-1971	15-1-72
			4% हैदराबाद राज्य विकास ऋण, 1963			
बी वाई 002243-52 (10×1,000)	10,000	हैदराबाद स्टेट बैंक	15-4-58	परिसमापक, ताल्लुका कृषि सहकारी संघ लिमिटेड, लातूर (परिसमापन के अधीन)।	केस सं० एल० 1331 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 715 तारीख 17 नवम्बर 1971	5-8-72
			4% हैदराबाद राज्य विकास ऋण, 1967			
बी वाई 002353	4,000	दि बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड।	1-9-63	भालचंद्र जनार्दन ललित और विश्वनाथ विष्णु गोविलकर।	केस सं० एल० 1512 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 470 तारीख 27-7-1971	15-1-72
			4% ऋण, 1970			
बी वाई 002142 से बी वाई 002147 तक (6×100)	600	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	15-10-68	शंकर एम० मुजुमदार	केस सं० एल० 1460 उप मैनेजर के आदेश तारीख 8-12-1969 डायरी सं० सी० ओ० 842 तारीख 8-12-1969	20-2-71
			4% ऋण, 1979			
बी वाई 002408	5,000	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया	1-1-68	अंबालाल सी० शाह और मणिबेन अंबालाल शाह।	केस सं० एल० 1455 उप मैनेजर के आदेश तारीख 29-1-1970 डायरी सं० सी० ओ० 51 तारीख 29-1-1976	29-8-70
बी वाई 002407	500	वही	1-1-68			
बी वाई 002405	100	वही	1-1-68			
बी वाई 002406	100	वही	1-1-68			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4¾% ऋण, 1989			
बी वाई 03014	500	दि बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड।	15-4-64	मिहिर टेक्सटाइल्स लिमिटेड (जिसका नाम पहले 'दि अहमदाबाद जय भारत कॉटन मिल्स लिमिटेड था।)	केस सं० एल० 1375 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 336 तारीख 5-6-1971	15-1-72
			5 प्रतिशत ऋण, 1982			
**बी वाई 005363 **बी वाई 005395	500 100	बैंक ऑफ़ इंडिया	15-1-70	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	केस सं० एल० 1518 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 614 तारीख 27-9-1971	15-1-72
			6½ प्रतिशत स्वर्ण बांड, 1977			
बी वाई 000666-69 (4×1000)	4,000	मुलजीमल थावेर-दास और आसरी बाई मुलजीमल या उनमें से कोई एक	12-5-68	मुलजीमल थावेर दास और आसरीबाई मुलजीमल	केस सं० एल० 1481 उप मैनजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 459 तारीख 20-7-1970	10-7-71
बी वाई 000662-65 (4×100)	400	वही	वही	वही	वही	वही
बी वाई 000661	50	वही	वही	वही	वही	वही
बी वाई 000658-60 (3×10)	30	वही	वही	वही	वही	वही
			राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 'बी' सिरीज			
बी वाई 006176	107 ग्राम	कुरंगी शिरीष-चंद्र देसाई और चित्रा उषाकांत देसाई।	27-10-66	कुरंगी शिरीषचंद्र देसाई और चित्रा उषाकांत देसाई।	केस सं० एल० 1440 उप मैनेजर के आदेश तारीख 22-5-1969 डायरी सं० सी० ओ० 331 तारीख 22-5-69	7-3-70
बी वाई 008234	448ग्राम	कांति लाल ब्रजलाल शेठ, वेणीलाल मगनलाल पारेख, प्राणजीवनदास अमृतलाल पारेख और रतिलाल गोपालजी वासा या उनमें से कोई दो।	27-10-66	स्व० श्री कांतिलाल ब्रजलाल शेठ के उत्तर-जीवी वेणीलाल मगन-लाल पारेख, प्राणजी-वनदास अमृतलाल पारेख और रतिलाल गोपालजी वासा।	केस सं० एल० 1487 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 773 तारीख 5-12-1970	28-8-71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बी बाई 007150-89 (40×10ग्राम)	400ग्राम	गोपीकिशन हरलालका	27-10-66	श्रीमती मालती सांगेर	केस सं० एल० 1438 उप मैनेजर के आदेश डायरी सं० सी० ओ० 584 तारीख 14-9-1971	15-1-72

पंचवर्षीय ब्याजमुक्त इनामी बांड, 1949

पब्लिक डेट नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसार प्रकाशित किये गये, खोये, चोरी हुए या नष्ट हुए इनामी बांडों के विवरण

1386	1949	ए 013507 ए ए 029451/52	100 10 प्रत्येक	श्री जुम्माभाई मम्मद, द्वारा के० आई० हलारी 38, सैम्युएल स्ट्रीट, बम्बई-9	8-3-67	10-6-67
1630	1949	ए के 089610	10	श्री शशिकांत एम० कदम, के-120, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया स्टाफ क्वार्टर्स, भायखला, बम्बई-8	7-8-67	10-2-68

कलकत्ता सर्किल

3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946

सी ए 235085-86	1,000 प्रत्येक	माधबलाल मुखर्जी	16-9-68	माधबलाल मुखर्जी की विधिसम्मत अटर्नी निहारबाला देवी।	केस सं० 75 मैनेजर का आदेश तारीख 30-9-1969 फाइल सं० I-213	14-2-70
सी ए 235087/88	200 प्रत्येक	माधबलाल मुखर्जी	16-9-68	वही	वही	14-2-70
सी ए 296865/66	2,500 प्रत्येक	वही	16-9-68	वही	वही	14-2-70
सी ए 195170	1,000	दुर्गादास कुमार	16-9-66	दुर्गादास कुमार	केस सं० एल० 757 मैनेजर का आदेश तारीख 13-9-1969 फाइल सं० I-2128	14-2-70
सी ए 099314	5,000	प्रसाददास बोराल एण्ड ब्रदर्स	16-9-48	मेसर्स हरनारायण प्रहलाद राय	केस सं० 760 मैनेजर का आदेश तारीख 30-6-1970 फाइल सं० I-2117	24-4-71
सी ए 125499	1,000	रेणुका बाला बसु	16-9-58	बिप्रदास दत्त, सचिव, शशिभूषण फी स्कूल फ़ॉर बाइज और राज राजेश्वरी फी स्कूल फ़ॉर गर्ल्ज़।	केस सं० 761 मैनेजर का आदेश तारीख 30-6-1970 फाइल सं० I-2054	24-4-71
सी ए 128372	1,000	बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड	16-9-56	वही	वही	24-4-71
*सी ए 153597	500	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड।	16-9-61	सौरेन्द्रनाथ राय	केस सं० 763 मैनेजर का आदेश तारीख 29-9-1970 फाइल सं० I-2008	10-7-71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
*सी ए 138557	500	पंचानन मुखर्जी	16-9-61	पंचानन मुखर्जी	केस सं० 768 मैनेजर का आदेश तारीख 23-12-71 फाइल सं० I 2000	5-8-72
सी ए 226357	5,000	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।	16-9-68	समरेश कुमार	केस सं० 770 मैनेजर का आदेश तारीख 30-3-1972 फाइल सं० 1 2209	—
सी ए 226682	5,000	कात्यानी कुमार और समरेश कुमार या उनमें से कोई एक।	16-9-68	वही	वही	वही
सी ए 226683	5,000	वही	16-9-68	वही	वही	वही
सी ए 226121	2,000	वही	16-9-68	वही	वही	वही
सी ए 229062	100	कालिदास घोष एण्ड कम्पनी।	16-9-68	वही	वही	वही
सी ए 229063	100	वही	16-9-68	वही	वही	वही
सी ए 292408	500	कात्यानी कुमार और समरेश या उनमें से कोई एक।	16-9-68	वही	वही	वही
सी ए 29240	1,000	वही	16-9-68	वही	वही	वही
		3% प्रथम विकास ऋण 1970-75				
सी ए 011967	5,000	रिजर्व बैंक इंडिया।	15-10-45	मुकुल बर्धन	केस सं० 748 मैनेजर का आदेश तारीख 4-11-1968 फाइल सं० I-2826	3-5-69
*सी ए 057668	500	रामसामी रंगनाथन	15-4-62	आर० वैद्यनाथन	केस सं० 750 मैनेजर का आदेश तारीख 14-2-1969 फाइल सं० I-2113	28-6-69
*सी ए 029043	500	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।	15-4-54	धीरेन्द्रनाथ भौमिक	केस सं० 758 मैनेजर का आदेश तारीख 31-12-1969 फाइल सं० I-2167	20-2-71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सी ए 067376/80	1,000	अफ़ोज बख्त	15-4-63	अफ़ोज बख्त	केस सं० 751 मैनेजर का आदेश तारीख 12-3-1969 फाइल सं० I-2130	28-6-69
*सी ए 068464	500	नाथूराम अग्रवाला	15-4-65	नाथूराम अग्रवाला	केस सं० 765 मैनेजर का आदेश तारीख 23-2-1971 फाइल सं० I-2197	18-9-71
*सी ए 060924	500	रामचंद्र आर्य और सरस्वती देवी आर्य या उनमें से कोई एक।	15-10-68	सरस्वती देवी आर्य	केस सं० 766 मैनेजर का आदेश तारीख 19-4-1971 फाइल सं० I-2214	15-1-72
सी ए 080833 (आधी प्रतिभूति)	500	एस० सोलोमन	15-10-69	नैशनल एण्ड ग्रिंडलैज बैंक लिमिटेड।	केस सं० 769 मैनेजर का आदेश तारीख 29-12-1971 फाइल सं० I-2200	5-8-72
		3½ प्रतिशत ऋण, 1900-01				
सी ए 040544	500	प्रसाददास बोराल एण्ड ब्रदर्स।	30-6-44	अवैतनिक सचिव और कोषपाल सुवर्ण बनिक चैरिटेबल एसोसिएशन।	केस सं० 754 मैनेजर का आदेश तारीख 16-8-1969 फाइल सं० I-1955	14-2-70
		3 प्रतिशत ऋण, 1896-97				
110934-35	500 प्रत्येक	तिकोरी घोष	1-7-38	पंचानन पाल	केस सं० 753 मैनेजर का आदेश तारीख 30-6-1969 फाइल सं० I-2149	7-3-70
107610/11	1,000 प्रत्येक	वही	1-7-38	वही	वही	7-3-70
*सी ए 025085	400	बिनोद बिहारी धर	31-12-67	महामाया सेन	केस सं० 764 मैनेजर का आदेश तारीख 4-12-1970 फाइल सं० I-2180	28-8-71
सी ए 024774	500	कात्यानी कुमार और समरेश कुमार या उनमें से कोई एक।	30-6-68	समरेश कुमार	केस सं० 770 मैनेजर का आदेश तारीख 30-3-1972 फाइल सं० I-2209	16-9-72
		4 प्रतिशत ऋण, 1960-70				
सी ए 063723	500	मुरारीलाल मुखर्जी, माधब लाल मुखर्जी, सुधीर कुमार सुशील कुमार मुखर्जी।	14-3-60	मुरारीलाल मुखर्जी, माधब लाल मुखर्जी सुधीर कुमार मुखर्जी सुशील कुमार मुखर्जी	केस सं० 749 मैनेजर का आदेश तारीख 7-1-1969 फाइल सं० I-2011	28-6-69

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3½ प्रतिशत ऋण, 1865			
सी ए 031957	100	प्रसाद दास बोराल एण्ड ब्रदर्स ।	1-11-44	अवैतनिक सचिव और कोषपाल सुवर्ण बनिक चैरिटेबल एसोसिएशन ।	केस सं० 754 मैनेजर का आदेश तारीख 16-8-1969 फाइल सं० I-1955	14-2-70
406863/66	500 प्रत्येक	तिकोरी घोष	31-10-38	पंचानन पाल	केस सं० 753 मैनेजर का आदेश तारीख 30-6-1969 फाइल सं० I-2149	7-3-70
321764/65	800 प्रत्येक	मोहम्मद लतीफ आलम ।	1-11-28	बेगम हबीबा सोधरा उर्फ सकीना खातून (एक चौथाई हिस्से के लिए दावा स्वीकार किया गया है) ।	केस सं० 759 मैनेजर का आदेश तारीख 25-5-1970 फाइल सं० I-1945	24-4-71
321766	5,000	वही	1-11-28	वही	वही	24-4-71
321767	25,000	वही	1-11-28	वही	वही	24-4-71
321768	400	वही	1-11-28	वही	वही	24-4-71
			3½ प्रतिशत ऋण, 1854-55			
254143/44	500 प्रत्येक	नरन दासी	30-6-40	पंचानन पाल	केस सं० 753 मैनेजर का आदेश तारीख 30-6-1969 फाइल सं० I-2149	7-3-70
254145	1,000	वही	30-6-40	वही	वही	वही
			4½ प्रतिशत ऋण, 1985			
सी०ए०000040	5,000	रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ।	12-7-62	महा प्रशासक, पश्चिम बंगाल ।	केस सं० 752 मैनेजर का आदेश तारीख 8-4-1969 फाइल सं० I-2098	7-3-70
सी ए 000063/64	10,000 प्रत्येक	वही	12-7-1962	वही	वही	7-3-70
			4 प्रतिशत ऋण, 1969			
सी ए 004178/80	100 प्रत्येक	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	22-7-1963	मणिलाल	केस सं० 755 मैनेजर का आदेश तारीख 30-9-1969 फाइल सं० I-2105 ।	14-2-70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		नई दिल्ली सर्किल				
		3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण, 1970-75				
डी एच 013889	500	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	15-10-52	मेसो बाई	एल०एन० 496/20-6-1969	7-3-70
*डी एच 021604	500	निरंजन सिंह	15-4-55	निरंजनसिंह	एल० एन० 500/13-10-69	20-2-71
*डी एच 031545	500	बलराज सिंह	15-4-68	महिन्दर सिंह तूर	एल०एन० 501/23-10-1969	वही
*डी एच 031423	500	लीलावती	15-4-64	लीलावती	एल०एन० 502/4-12-1969	वही
डी एच 013789	500	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	15-10-52	मसूद अहमद सिद्दिकी	एल०एन० 507/17-6-1970	24-4-71
डी एच 014927	500	वही	वही	वही	वही	वही
डी एच 028370	500	चन्दर भान चौधरी और जीवन कौर चौधरी।	15-10-67	चन्दर भान चौधरी और जीवन कौर चौधरी	एल०एन० 509/22-6-1970	वही
*डी एच 032852	500	बनवारी लाल	15-4-70	बनवारी लाल	एल०एन० 513/16-12-1970	28-8-71
		3½ प्रतिशत राष्ट्रीय परियोजना ऋण, 1964				
डी एच 024940	100	गंगाधर	19-10-59	मंगतु राम	एल०एन० 505/27-12-1969	20-2-71
*डी एच 007313	100	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	19-10-56	शिवराम दुबे	एल०एन० 506/15-5-1970	24-4-71
*डी एच 008704/05	100 प्रत्येक	वही	वही	वही	वही	वही
*डी एच 014439	100	वही	19-4-54	नगरपालिका निगम, दिल्ली।	एल०एम० 511/18-8-1970	10-7-71
*डी एच 013067	100	वही	19-4-56	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया पटियाला, नरनौल।	एल०एन० 515/31-3-1971	18-9-71
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980-'ए' सिरीज				
डी एच 00655	43 ग्राम सोना	उर्मिला गंभीर	24-11-65	उर्मिला गंभीर	एल०एन० 497/18-9-1969	14-2-70
डी एच 000798	351 ,,	वही	26-11-65	वही	वही	वही
डी एच 000656	234 ,,	उमा गंभीर	वही	उमा गंभीर	एल०एन० 498/18-9-1969	वही
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980—'बी' सिरीज				
डी एच000498	325 ग्राम सोना	उमा गंभीर	24-11-65	उमा गंभीर	एल०एन० 498/18-9-69	14-2-70
डी एच 000535	472 ,,	सुदर्शना गंभीर	वही	सुदर्शना गंभीर	एल०एम० 499/22-9-1969	वही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
@डी एच 000356	8 ग्राम सोना	राज धीर	19-2-66	राज धीर	एल०एन० 503/17-12-1969	20-2-71
*डी एच 001117	48 ,,	सुरजन मल्ल	13-12-65	सुरजन मल्ल	एल०एन० 512/30-9-1970	10-7-71
*डी एच 003103	14 ,,	बचन सिंह	27-10-66	बचन सिंह	एल०एन० 514/12-1-1971	18-9-71
डी एच 002123	296 ,,	त्रिवेणी देवी	वही	त्रिवेणी देवी	एल०एन० 516/14-5-1971	15-1-72
		3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946				
डी एच 020321	5,000	रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	16-3-49	मेसर्स हरनारायण प्रह्लादराय।	एल०एन० 504/24-12-69	20-2-71
		3 प्रतिशत विजय श्री ऋण, 1957				
*डी एच 020321	100	रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	1-3-44	राजा राम	एल०एन० 508/17-6-1970	24-4-71
डी एच 058918	100	वही	1-3-51	बी० एन० कक्कड़	एल०एन० 517/14-9-1971	15-1-72
डी एच 059042	100	वही	वही	वही	वही	वही
डी एच 059100	100	वही	वही	वही	वही	वही
डी एच 059101	500	वही	वही	वही	वही	वही
डी एच 059113	100	वही	वही	वही	वही	वही
डी एच 059116	100	वही	वही	वही	वही	वही
डी एच 059121	100	वही	वही	वही	वही	वही
		मद्रास सर्किल				
		3 प्रतिशत ऋण, 1953-55				
@एम एस 089266	200	रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	15-7-50	पद्मनाभुनि रामलिंग स्वामी।	केन्द्रीय कार्यालय का पत्र सं० सी० ओ०। डी०टी० सी०एल० 55/68-69/6488 तारीख 2 मई 1969	29-8-70
एम एस 069592	100	वही	15-1-44			
		3½ प्रतिशत राष्ट्रीय परियोजना ऋण, 1964				
*एम०एस०044297	100	के० बरदराजु पिल्लै	19-10-58	के० वी० रामानुजम	मैनेजर का आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 673/एल०एन० 652 तारीख 22 अगस्त 1968	4-1-69
एम०एस०050695	5,000	पी० गोविन्दस्वामी पिल्लै।	19-4-61	पी०गोविन्दस्वामी पिल्लै	मैनेजर का आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 740/एल०एन० 890 तारीख 17 सितम्बर 1968	वही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
*एम एस 045483	100	के० कृष्णय्या शान्भाग	19-10-61	के० कृष्णय्या शान्भाग	मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 61/एल०एन० 978 तारीख 27 जनवरी 1969	28-6-69 28-6-69
*एम एस 046281	200	पंचायत बोर्ड, इलयरासमेंदल	19-4-54	पंचायत बोर्ड, इलयरास-मेंदल।	मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 78/एल०एन० 997 तारीख 11 फरवरी 1970	29-8-70
*एम एस 052615	100	पंचायत बोर्ड, तिरुमलवाडी।	19-4-54	गणपति पंचायत	मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 216/एल०एन० 990 तारीख 17 अप्रैल 1970	24-4-71
@एम एस 046869	1,000	पंचायत बोर्ड, तिरुलि।	19-10-63	पंचायत बोर्ड, तिरुली	मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 54/एल०एन मिस० 250 तारीख 5 फ़रवरी 1971	18-9-71
		3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण, 1970-75				
एम एस 021925	4,700	सेवुगन चेट्टि, लक्ष्मणन चेट्टि, नारायणन चेट्टि	15-4-63	एस०वी. एल० आर० एम० नारायण चेट्टियार	मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 246/एल० एन० 861 तारीख 3 अप्रैल 1969	7-3-70
*एम एस 023845	500	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया।	15-4-70	कृष्णस्वामी नरसिंहन	मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 102/एल०एन० 1049 तारीख 22 फ़रवरी 1971	18-9-71
		4 प्रतिशत ऋण, 1980				
@एम एस 001198/200	25,000 प्रत्येक	वही	18-7-64	सिविल जज, वरिष्ठ प्रभाग और न्यायिक मैजिस्ट्रेट, एफ० सी० पणजी (गोवा)।	केन्द्रीय कार्यालय के पत्र सं० सी० ओ० डी०टी० सी०एल० 6/67-68/3022 तारीख 8 दिसम्बर 1969 के अनुसार मैनेजर का आदेश डीवाय० सी० ओ० सं० 1271 एल०एन० 991 तारीख 23 फ़रवरी 1972	16-9-72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980-'ए' सिरीज				
*एम एस 029654	10 ग्राम	एन० कन्दसामी पिल्लै	27-10-67	एन० कन्दसामी पिल्लै	मैनेजर का आदेश डीवाय० सं सी० ओ० 60/एल०एन० 962 तारीख 26 जुलाई 1968	3-5-69
*एम एस 010916	15 ग्राम	एल० विश्वनाथन	27-10-68	एल० विश्वनाथन	मैनेजर का आदेश डीवाय० सं० सी० ओ० 28/एल० एन० 1022 तारीख 21 जनवरी 1971	18-9-71
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 'बी' सिरीज				
*एम एस 001714	13 ग्राम	श्रीमती लीला पोन्नु-स्वामी ।	27-12-65	श्रीमती लीला पोन्नुस्वामी	मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 244-एल०एन० 1038 तारीख 30 अप्रैल, 1971	15-1-72
@एम एस 016741	8 ग्राम	श्री ए०एम० शुडलै मुत्तु	27-10-66	श्री ए० एम० शुडलै मुत्तु ।	केन्द्रीय कार्यालय के पत्र सं० सी० ओ० डी० टी० सी० एल० 8/70-71/2248 तारीख 27 नवम्बर 1970 के अनुसार मैनेजर का आदेश सं० डीवाय० सी० ओ० 22/72 एल० एन० 1029 तारीख 11 जनवरी 1972	16-9-72
		हैदराबाद दक्षिण सर्किल				
		3 प्रतिशत ऋण, 1360-70 फ़सली				
एच 037871/3	उ० सि० 1000 प्रत्येक	अब्दुल करीम खान	1-11-1357	फ़० श्री अब्दुल करीम खान (मृत) की संपत्ति की उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारी श्रीमती जैतुनबी, श्रीमती मेहरुन्नीसा, श्रीमती इफ़तखारुन्नीसा, श्रीमती शकीला बेगम ।	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 151 तारीख 14-5-1969	7-3-70
		2½ प्रतिशत हैदराबाद ऋण, 1364-69 फ़सली				
जे 062748	उ०सि० 1000	हैदराबाद स्टेट बैंक	16-7-1358	फ़० श्री पी० यदगिरि	मैनेजर के आदेश डीवाय० सं० सी० ओ० 332 तारीख 19-12-1970	28-8-71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2½ प्रतिशत हैदराबाद ऋण, 1365-70 फ़सली				
**028032	उ० सि० 500	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद।	1-8-1369	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 349 तारीख 25-9-1969	14-2-70
		4 प्रतिशत ऋण, 1969				
*एच डी 003238	200	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	22-7-1963	टेनर्स इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी, औरापल्लि।	मैनेजर के आदेश डीवाय० सी० ओ० सं० 201/एल० एन०/175 तारीख 23-7-1971	15-1-72
*एच डी 001895	100	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।	8-11-1968	पिडिमर्रि वेंकट गोपाल कृष्ण मूर्ति।	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 319/एल० एन० 161 तारीख 19-10-1971	5-8-72
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980-'ए' सिरीज				
@एच डी 000424	5 ग्राम	जवाहरलाल चौबे	13-12-65	जवाहरलाल चौबे	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 242 तारीख 16-7-1969	14-2-70
एच डी 008044	25 ग्राम	बरडि ईश्वरप्पा	27-10-67	बरडि ईश्वरप्पा	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 105 तारीख 6-5-1971	15-1-72
एचडी000427	101 ग्राम	पर्वतनेनी बसव शंकर राव	7-12-65	पर्वतनेनी बसव शंकर राव	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 9/एल० एन० 191 तारीख 13-1-1972	16-9-72
एच डी04883	101 ग्राम	वही	27-10-66	वही	वही	वही
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980—'बी' सिरीज				
*एच डी 002879	35 ग्राम	कटिकिनेनी वेंकट-रमण सुब्बा राव	27-10-66	कटिकिनेनी वेंकटरमण सुब्बा राव।	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 137 तारीख 1-5-1969	7-3-70
@एचडी 002420	3 ग्राम	अडबल नल्लय्या	27-10-66	सुब्बरायुडु का आत्मज अडबल नल्लय्या, सोमवरम, पेद्दापुरम तालुका, पूर्व गोदावरी जिला।	मैनेजर के आवेश डीवाय सं० सी० ओ० 226/एल०एन०/205 तारीख 16-8-1971	15-1-72
		3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण, 1970-75				
एच डी 000560	500	सरिपल्ली लक्ष्मी नरसिंह राव	15-4-67	सरिपल्ली लक्ष्मी नरसिंह राव	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 30 तारीख 30-1-1970	29-8-70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4½ प्रतिशत ऋण, 1973			
*एच डी 002574	500	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद।	22-7-63	पोल वेंकय्या	मैनेजर के आदेश डीवाय सं० सी० ओ० 166 तारीख 24-6-1971	15-1-72
एच डी 002588	500	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।	22-7-66	श्री पी० सी० अय्यवरप्पय्या (मृत) की संपत्ति का मिताक्षर विधि प्रमाणपत्र धारी पी० राघवेन्द्र राव।	मैनेजर के आदेश सी० ओ० डीवाय० सं० 16/एल० एन० 99 तारीख 24-1-1972	16-9-72
			नागपुर सर्किल			
			6½ प्रतिशत स्वर्ण बांड, 1977			
एन जी 000758	2,810	महाराजा रामानुज शरणसिंह देव।	5-6-63	महाराजा एम० एस० सिंह देव	सी० ओ० 372 तारीख 11-2-1970	29-8-70
			राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980—'बी०' सिरीज			
एन जी 000489	48 ग्राम	विजय श्यामकान्त मोहोनी।	27-10-66	विजय श्यामकान्त मोहोनी।	सी० ओ० 305 तारीख 20 जनवरी 1971	18-9-71

*शिथिल की गयी क्रियाविधि के अधीन 3 वर्षों के बाद अनुलिपि जारी करने/भुगतान मूल्य अदा करने का प्राधिकार दिया गया।

@तुरन्त अनुलिपि जारी करने/भुगतान मूल्य अदा करने का प्राधिकार दिया गया (राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 के 10 ग्राम तक के सरकारी वचनपत्र शामिल हैं)।

**प्रतिभूतियों का आधा भाग खो गया।

जे० एक्स० लोबो
मुख्य लेखापाल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
केन्द्रीय कार्यालय,
लेखा और व्यय विभाग,
केन्द्रीय ऋण अनुभाग,
बम्बई-1

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 10 फरवरी 1973

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है :—

श्री बी० डी० मेहता केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में शाखा निरीक्षक के पद पर दिनांक 5 फरवरी, 1973 से नियुक्त किये गये हैं।

टी० आर० वरदाचारी
प्रबन्ध-निदेशक

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
(स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीनस्थ)
प्रधान कार्यालय
सूचना

बंगलूर, दिनांक 23 फरवरी 1973

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के अंशधारियों को यह सूचित किया जाता है कि ता० 12 मार्च, 1973 से सर्वश्री एस० रामनाथन, नं० 28 कृष्ण राजेन्द्र रोड, बसवनगुडि, बेंगलूर–4 और श्री डी० एम० शंकरप्पा, व्यापारी तिपटूर, दोनों बैंक के निदेशक मण्डली से निवृत्त होने के कारण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अधीनस्थ बैंक) के अधिनियम, 1959, धारा 25(1) (डि) के अनुसार, उक्त रिक्त स्थानों को भर्ती करने के लिए, अधीनस्थ बैंकों के सामान्य नियम, धारा 30(2) के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के अंशधारियों की सामान्य बैठक, बैंक के प्रधान कार्यालय में ता० 9 मार्च 1973 को बुलायी गयी थी, जिसकी सूचना ता० 2 जनवरी, 1973 को दी गयी थी। किन्तु अब यह सूचित किया जाता है कि उन रिक्त दो स्थानों के लिए प्राप्त केवल दो नामजद पत्रों में सर्वश्री एस० रामनाथन, नं० 28, कृष्ण राजेन्द्र रोड, बसवनगुडि, बेंगलूर–4, तथा डी० एम० शंकरप्पा, व्यापारी, तिपटूर, दो नाम ही प्रस्तावित किये गये हैं और ये दोनों नामगद पत्र योग्य-बद्ध हैं, अतः श्री एस० रामनाथन नं० 28, कृष्ण राजेन्द्र रोड, बसवनगुडि, बेंगलूर-4 और श्री डी० एम० शंकरप्पा, व्यापारी, तिपटूर को बैंक के निदेशक मंडली के लिए चुने गये माने जाते हैं, अतः तत्सम्बन्धी चुनाव के लिए तारीख 9 मार्च 1973 को आयोजित बैंक के अंशधारियों की सामान्य बैठक को, बैंक के नियम धारा 33 (1) के अनुसार रद्द किया है।

सी० वीरराघवम
प्रधान प्रबंधक

रेल दर अधिकरण, मद्रास के समक्ष

(रेल दर अधिकरण नियमावली 1959 के नियम 19(3) और (4) के अधीन जारी की गयी सार्वजनिक सूचना

1971 की शिकायत सं० 2

(बम्बई)

मेवाड़ शुगर मिल्स लि०
भूपालसागर — शिकायतकर्ता

बनाम

भारत संघ, जो पश्चिम रेलवे का मालिक है, जिसका प्रतिनिधित्व उसके महाप्रबन्धक, चर्चगेट, बम्बई द्वारा किया जाता है — प्रत्यर्थी

यतः शिकायतकर्ता ने रेल अधिनियम 1890 की धारा 41 (1) के अधीन यह बताते हुए एक शिकायत प्रस्तुत की है कि वे शक्कर और उसकी उपजात वस्तुओं तथा बिक्री का धंधा कर रहे हैं और उनकी मिल भूपालसागर (जो पहले करेरा नाम से जाना जाता था) के पास है; रेलवे द्वारा 1936 से साइडिंग सुविधाओं की व्यवस्था की गयी थी; शिकायतकर्ता के उपयोगार्थ उनके खर्च पर मिल परिसरों में एक निजी साइडिंग का निर्माण करने और उसका अनुरक्षण करने के लिए तत्कालीन उदयपुर–चित्तौरगढ़ रेलवे और शिकायतकर्ता के बीच दिनांक 10 दिसम्बर, 1936 को एक करार हुआ था ; उपर्युक्त करार की शर्तों के अधीन वैगनों का शंटिंग शिकायतकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए और शंटिंग के लिए रेलवे के इंजनों का उपयोग यदि किया जाय तो शिकायतकर्ता को प्रतिघंटा या उसके अंश के लिए रु० 8/– की दर पर भुगतान करना चाहिए; वैगनों को शिकायतकर्ता के साइडिंग के पास नामित पाइंट सं० 9 पर रेलवे के इंजनों द्वारा उनके हाथ सौंपा जायगा और उनसे ले लिया जायगा, जब शिकायतकर्ता के अपेक्षानुसार, शिकायतकर्ता के परिसरों के अन्दर रेलवे के इंजनों द्वारा शंटिंग किया जाता है, तब, ऐसे शंटिंग कार्य के लिए लिये गये समय का संगणन, उस समय से लेकर जब कि रेलवे सभी वैगनों को उनको सौंप देती है, उस समय तक जब कि वह रेल इंजन मुक्त किया जाता है, किया जायगा । और इतर शर्तों के अलावा यह उल्लेखनीय है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि भूपालसागर एक ऐसा छोटा स्टेशन है जहां के यार्ड में शिकायतकर्ता के यातायात को संभालने के लिए सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, और शिकायतकर्ता की साइडिंग लाइन के पाइंट 116 और 121 (भूतपूर्व पाइंट 10 और 9) के बीच के भाग का उपयोग प्रत्यर्थी रेलवे द्वारा शिकायतकर्ता को वैगनों को सौंपने तथा रेलवे के वैगनों और उपयोग में न रहे स्टाक को खड़ा करने और शंट करने के लिए किया जाता है, नामित पाइंट तक जो शिकायतकर्ता को भूमि पर और उनके निजी साइडिंग के आसपास है, दाति देने के लिए रेलवे द्वारा कोई प्रभार न वसूला जाता था; 5-11-51 से भारत संघ द्वारा उदयपुर-चित्तौरगढ़ रेलवे (बाद को मेवाड़ और राजस्थान रेलवे नाम से जाने जाने वाली रेलवे) के ले लिये जाने पर प्रत्यर्थी रेलवे ने शिकायतकर्ता से 15-4-1954 से प्रतिघण्टा रु० 15/– की दर पर साइडिंग प्रभार (कर्षण प्रभार) वसूलना आरंभ किया; प्रथमतः 15-4-1954 से जो शंटिंग इंजन घंटा लागत चालू की गयी थी, वह भी समय समय पर बढ़ायी गयी और 1 अप्रैल, 1970 से वह लागत रु० 66/–+अनुपूरक प्रभार तक बढ़ायी गयी । "प्रति शंट समय" और उपर्युक्त दर पर की "प्रति शंटिंग इंजन घंटा लागत" के गुणनफल पर प्रत्यर्थी एक अतिरिक्त अनुपूरक प्रभार विभिन्न प्रतिशतों पर वसूल लेती है; शिकायतकर्ता अभी कर्षणभार के रूप में प्रति शंट रु० 40/50 दे रहे हैं; शिकायतकर्ता के यातायात के लिए साइडिंग (कर्षण) प्रभार वसूलना अनुचित है और वर्तमान दरों पर साइडिंग प्रभार वसूलना उसी प्रकार अनुचित है; साइडिंग प्रभार पर कोई अनुपूरक प्रभार वसूलना भी अनुचित है, क्योंकि 1–4–1970 से भाड़े पर कोई अनुपूरक प्रभार न लगाया गया है; वर्तमान दर पर का अनुरक्षण प्रभार, अर्थात् रु० 3587.13, जो प्रत्यर्थी द्वारा शिकायतकर्ता पर लगाया जाता है, अनुचित है । उदयपुर-चित्तौरगढ़ रेलवे के साथ हुए उपरोक्त करार की शर्तों में, साइडिंग की मूल लागत पर प्रतिवर्ष 4–1/4 प्रतिशत पर अनुरक्षण प्रभार नियत करने, लगाने और वसूलने की व्यवस्था है; 1–8–1964 से प्रत्यर्थी रेलवे ने साइडिंग को अद्यतन लागत के 4–1/4 प्रतिशत प्रति वर्ष, की दर पर जो उनके संगणनानुसार रु० 84,403 है, अनुरक्षण प्रभार वसूलना आरंभ किया; साइडिंग को बंद करने से प्रत्यर्थी को रोकने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता को मांगे गये प्रभार को विरोध प्रकट करते हुये देना पड़ा; अद्यतन लागत की संगणना करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा अपनाया गया ढंग अवास्तविक और अनुचित है; और यतः शिकायतकर्ता ने प्रार्थना की है कि·

(1) यह घोषित किया जाये कि उनके यातायात के संबंध में, पाइंट सं० 116 पर वैगनों को खड़ा करने और वहां से उन्हें ले जाने के लिए कोई साइडिंग या कर्षण प्रभार न वसूला जाये;

(2) वैकल्पिक रूप से यह घोषित किया जाये कि साइडिंग (कर्षण) प्रभार की संगणना के लिए प्रति शंटिंग इंजन घंटे की लागत के रूप में रु० 66 प्रति घंटा+अनुपूरक प्रभार अपनाना अनुचित है और उसके स्थान पर एक न्यायोचित रकम निर्धारित की जाये ।

(3) यह घोषित किया जाये कि साइडिंग प्रभारों पर अनुपूरक प्रभार लगाना अनुचित है;

(4) अनुरक्षण प्रभार अनुचित घोषित किया जाये और न्यायोचित अनुरक्षण प्रभार निर्धारित किये जाये;

(5) इन सभी न्यायोचित प्रभारों को इस शिकायत की तारीख से लागू बनाया जाये और इतर अनुतोष दिलाये जायें ।

और यतः यह समझा जाता है कि और भी इस प्रकार के व्यक्ति होंगे जो रिकार्डों में नहीं हों, परन्तु जिनका, उपर्युक्त शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी के जैसे, इन कार्यवाहियों में, समान हित हों ।

अतः यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है ताकि जो भी व्यक्ति चाहे वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर इस शिकायत में प्रार्थित अनुतोष की पुष्टि में या विरोध में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए या शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी के पक्ष में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित प्रवेश के आधार या कार्यवाहियों में अपनी स्थिति और हित या उपर्युक्त शिकायत में एक पार्टी के रूप में जोड़े जाने के आधार स्पष्ट करते हुये अधिकरण को अर्जी पेश करे । इस सार्वजनिक सूचना के बाद अधिकरण द्वारा दिया जाने वाला कोई भी निर्णय वैसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा ।

आज 19 फरवरी, 1973 की तारीख को नं० 11, बोट क्लब रोड, राजा अण्णामलैपुरम, मद्रास-28 में मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर के अधीन दिया जाता है ।

के० एम० शंकरय्या, सचिव
रेल दर अधिकरण
मद्रास-28

रेल दर अधिकरण की मुहर

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15) की धारा 35 के अन्तर्गत 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड की रिपोर्ट

चौबीसवां वार्षिक रिपोर्ट 1971-72

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

सूचना

सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारियों (शेयर होल्डरों) की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा, वृहस्पतिवार, तारीख 28 सितम्बर, 1972 को सायंकाल 4.00 बजे (मानक समय) होटल इम्पीरियल, जनपथ, नई दिल्ली में होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही की जायेगी:—

1. 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष का निगम का तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा, वर्ष के दौरान निगम के कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड की रिपोर्ट और उक्त तुलन-पत्र और लेखों के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार।
2. औद्योगिक वित्त निगम की धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित पार्टियों अर्थात, अनुसूचित बैंकों, बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सहकारी बैंकों द्वारा मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी बम्बई के स्थान पर कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का पहला) की धारा 226 के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् अहर्ता प्राप्त एक लेखा परीक्षक को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 34 के अन्तर्गत चुनना। मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी इस वर्ष के अन्त में कार्यनिवृत्त हुए हैं पर वे फिर से चुने जा सकते हैं।

13 जुलाई, 1972

बलदेव पसरीचा,
महाप्रबन्धक

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
संचालक बोर्ड

अध्यक्ष

श्री चरन दास खन्ना

केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित

श्री बी० बी० लाल
श्री एम० के० वेंकटाचलम्

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित

श्री जी० रामानुजम्
श्री एफ० के० एफ० नारीमन
डा० सैम्युल पाल
डा० बी० बी० भट्ट

अनसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

श्री एस० जे० उत्तमसिंग
श्री सी० पी० शाह

बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

सरदार संतोख सिंह
श्री बी० सी० रणदेरिया

सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित

श्री एन० ए० कल्याणी
डा० डब्ल्य० सी० श्रीश्रीमल

केन्द्रीय समिति

अध्यक्ष

श्री चरन दास खन्ना

नामित संचालकों द्वारा निर्वाचित

श्री बी० बी० लाल
श्री एम० के० वेंकटाचलम्

निर्वाचित संचालकों द्वारा निर्वाचित

श्री एन० ए० कल्याणी
सरदार संतोख सिंह

बैंकर्स

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

लेखा परीक्षक

सनदी लेखापाल

मैसर्स वाकर चन्डयोक एण्ड कम्पनी
मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

सलाहकार समितियों के सदस्य

रासायनिक प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग

अध्यक्ष

श्री चरन दास खन्ना
श्री एन० ए० कल्याणी
सरदार संतोख सिंह
श्री एफ० के० एफ० नारीमन्
डा० सैम्युल पाल
श्री एस० के० मुखर्जी
श्री सी० जे० दादचन्जी
श्री जयन्त जे० मेहता
श्री आर० वी० रमानी
श्री टी० थामस
श्री एम० डी० पारेख
श्री ए० सीतारामैया

इंजीनियरिंग उद्योग

अध्यक्ष

श्री चरन दास खन्ना
श्री एन० ए० कल्याणी
श्री एस० जे० उत्तमसिंग
सरदार संतोख सिंह
श्री डब्ल्यू० सी० श्रीश्रीमल
श्री प्राणलाल पटेल
श्री पी० आर० देशपांडे
श्री ए० के० सेन
श्री बी० डी० कालेलकर
श्री वी० एम० राव
श्री सी० बी० सरन
श्री के० बी० राव
श्री हरिभूषण

वस्त्र उद्योग

अध्यक्ष

श्री चरन दास खन्ना
श्री जी० रामानुजम्
श्री एस० जे० उत्तमसिं
सरदार संतोख सिंह
श्री सी० पी० शाह
श्री बी० राहा
श्री के० सुन्दरम्
श्री सी० एस० रामाचारी
श्री एस० ए० खेर
श्री एन० एस० शर्मा
श्री टी० एन० शर्मा
श्री पी० एन० कपूर
श्री आई० बी० दत्त
श्री ए० दास
श्री एम० एम० के० वाली

चीनी उद्योग

अध्यक्ष

श्री चरन दास खन्ना
श्री एन० ए० कल्याणी
डा० डब्ल्यू० सी० श्रीश्रीमल
श्री एस० एन० गुंडुराव
श्री जे० के० भौंसले
श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू
श्री एस० सी० गुप्ता
श्री ए० दास
श्री एस० वी० सम्पत
श्री एम० एम० के० वाली
श्री एस० पी० बालासुब्रह्मण्यम्
श्री सोहन लाल सक्सेना

पटसन उद्योग

अध्यक्ष

श्री चरन दास खन्ना
श्री एस० जे० उतमसिंग
श्री एफ० के० एफ० नारीमन्
श्री एस० पाल
श्री हरिशंकर सिंघानिया
श्री बी० डी० कनोरिया
श्री बी० डी० कुमार
श्री एस० एन० चक्रवर्ती
श्री एस० एन० अग्रवाल

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की रूप रेखा

निगम और प्रयोजन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत 1948 में हुई । इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घ-कालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

पूंजी

इस समय इसकी प्रदत्त पूंजी (पेडअप कैपीटल) 9.17 करोड़ रुपये है, जिसका 50 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया) द्वारा लगाया गया है। यह बैंक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पूर्ण स्वामित्व में है और उसके द्वारा नियंत्रित भी है। शेष 50 प्रतिशत रुपया अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा संस्थाओं और निवेश-न्यासों आदि के द्वारा लगाया गया है।

प्रबन्ध

संचालक बोर्ड में एक पूर्णकालिक (होल टाइम) अध्यक्ष और बारह संचालक हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करके, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। छः संचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भिन्न अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं और चार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और दो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित होते हैं।

कार्य और उधार नीतियां

भारत में पूंजीकृत ऐसी कोई भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी समिति, जो माल के निर्माण, परिरक्षण या अभिसंस्कार (प्रोसेसिंग) में, अथवा नौपरिवहन, खनन या होटल उद्योग में अथवा बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में लगी हुई हो या लगने का विचार करती हो, निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। सरकारी क्षेत्र में परियोजनायें भी, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं, गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के समान ही सहायता प्राप्त कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कम विकसित राज्यों केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता रियायती दर पर भी उपलब्ध है। यह सहायता विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों का ही दीर्घकालीन ऋण, जारी किए गए साधारण (इक्विटी) और अधिमान शेयरों या डिबेंचरों की हामीदारी (अंडर राइटिंग), साधारण, अधिमान और डिबेंचर पूंजी का अभिदान, विदेशों से आयात की गयी या भारत में ही खरीदी गई मशीनरी के लिए आस्थगित अदायगी (डेफर्ड पेमेंट) गारंटी और विदेशी वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा के रूप में और अनुसूचित बैंकों या राज्य सहकारी बैंकों या सार्वजनिक बाजार से भारतीय मुद्रा के रूप में लिए गए ऋणों की गारंटी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का उद्देश्य नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना और वर्तमान परियोजनाओं का नवीकरण, आधुनिकीकरण, विस्तार या विशाखन (डाइवर्सिफिकेशन) करना है।

निधियों के स्रोत

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की निधियों के मुख्य स्रोत उसकी अपनी पूंजी, संचित आय, दिये गए ऋणों की वापसी (रिपमेंट) और निवेशों की बिक्री के अतिरिक्त बांड जारी करके बाजार से रुपया उधार लेना और केन्द्रीय सरकार से ऋण लेना एवं विदेशी ऋण हैं।

निगम के कार्यों की उल्लेखनीय बातें

30 जून, 1972 को वित्तीय सहायता का विस्तार

	(रुपये, करोड़ों में)			अमरीकी डालर (दस लाख में)*		
	मंजूरियां (निवल)	संवितरण	बकाया	मंजूरियां (निवल)	संवितरण	बकाया
ऋण :						
—रुपया	264.31	227.65	141.07	352.42	303.53	188.10
—विदेशी मुद्रा	47.20	38.42	27.42	62.93	51.23	36.56
हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान	34.68	23.70	18.22	46.24	31.60	24.29
गारंटियां :						
—आस्थगित अदायगी के लिए	28.20	27.76	5.88	37.60	37.01	7.84
विदेशी ऋणों के लिए	23.47	23.33	11.20	31.29	31.11	14.93
जोड़ 1972	397.86	340.86	203.79	530.48	454.48	271.72
जोड़ 1971	358.70	318.76	198.13	478.27	425.01	264.17

वित्तपोषित औद्योगिक परियोजनायें

	सहकारी क्षेत्र	सार्वजनिक कम्पनी क्षेत्र	जोड़	अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों में स्थित
मंजूर राशि (करोड़ रुपए)	87.45	310.41	397.86	107.11
संख्या	105	460	565	148

*रुपयों की राशि 7.50 रुपये प्रति अमरीकी डालर की दर से संपरिवर्तित की गई।

उद्योगवार वित्तपोषित परियोजनायें

रसायन	44	कागज	29	वस्त्र	117
उर्वरक	10	मोटर गाड़ियां	21	चीनी	96
लोहा और इस्पात	11	धातु उत्पाद	57	सीमेंट	26
अलोह धातुए	11	मशीनरी	23	होटल	5
कृत्रिम रेशे	14	बिजली मशीनरी	38	अन्य	73

परियोजनाओ की संख्या : 565 सस्थाओ की सख्या : 521

वित्तीय सार

	(रुपये, करोड़ो में)		अमरीकी डालर (दस लाख में)*
पूंजी और आरक्षित निधियां	1971	1972	1972
(30 जून को)			
प्रदत्त पूंजी	8.35	9.17	12 23
आरक्षित निधियां	14.24	16.02	21.36
जोड़	22.59	25.19	33.59
वर्ष के दौरान आय			
सकल आय	13.46	14.98	19.97
कर से पूर्व सकल लाभ	4.47	4.84	6.45
निवेश मूल्य मे ह्रास के लिए व्यवस्था	—	0.48	0.64
कर के लिए व्यवस्था	2.37	2.17	2.89
निवल लाभ	2.10	2.19	2.92

* रुपयों की राशि 7.50 रुपये प्रति अमरीकी डालर की दर से संपरिवर्तित की गई।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

वित्तीय कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपए, करोड़ों में)

	30-6-71 तक			31-6-72 को समाप्त हुए वर्ष तक			30-6-72 को जोड़			30-6-72 को बकाया रकम
	(मंजूरियां (निवल)		संवितरित रकम	मंजूरिया (निवल)		संवितरित रकम	मंजूरियां (निवल)		संवितरित रकम	
	संख्या	रकम		संख्या	रकम		संख्या	रकम		
1. ऋण										
—रुपया	683	233.34	209.61	47	30.97	18.04	730	264.31	227.65	141.07
—विदेशी मुद्रा	155	43.69	35.47	22	3.51	2.95	177	47.20	38.42	27 42
जोड़	838	277.03	245.08	69	34.48	20.99	907	311.51	266 07	168.49
2. हामीदारियां										
—साधारण शेयर	130	11.22	7.79	23	2.34	0.18	153	13.56	7.97	6.38
—अधिमान शेयर	103	7.06	5.20	18	1.03	0.38	121	8.09	5.58	3.70
—डिबेंचर	21	9.23	7.58	1	0.75	—	22	9.98	7.58	4.68
जोड़	254	27.51	20.57	42	4.12	0.56	296	31.63	21.13	14.76

3. प्रत्यक्ष अभिदान										
—साधारण शेयर	14	0.52	0.26	3	0.46	0.36	17	0.98	0.62	1.43 } *
—अभिमान शेयर	5	0.15	0.05	1	0.10	0.08	6	0.25	0.13	0.66 }
—डिबेंचर	1	1.82	1.82	—	—	—	1	1.82	1.82	1.37
जोड़	20	2.49	2.13	4	0.56	0.44	24	3.05	2.57	3.46*
1 से 3 तक का जोड़	1112	307.03	267.78	115	39.16	21.99	1227	346.19	289.77	186.71
4. गारंटियां	41	28.20	27.65	—	—	0.11	41	28.20	27.76	5.88
आस्थगित अदायगी गारंटियां	5	23.47	23.33	—	—	—	5	23.47	23.33	11.20
विदेशी ऋण के लिए गारंटियां	46	51.67	50.98	—	—	0.11	46	51.67	51.09	17.08
1 से 5 तक का जोड़	1158	358.70	318.76	115@	39.16	22.10	1273	397.86	340.86	203.79

*इसमें 6 कम्पनियों के 1.28 करोड़ रुपये के बकाया ऋण भी सम्मिलित है, जिन्हें शेयरों में बदल दिया गया और दूसरी कम्पनी के 0.06 करोड़ रुपये के डिबेंचर भी सम्मिलित हैं जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया।

@ये मंजूरियाँ 65 संस्थाओं को की गई जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

टिप्पणी:—30-6-1971 को निवल मंजूरियों के जो आंकड़े दिखाये गये हैं वे वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते, क्योंकि उनमें से 30-6-1971 तक वित्तीय सहायता की कुछ मंजूरियां बाद में या तो वापस ले ली गयीं या समंजित कर दी गई।

यह वर्ष — संक्षेप में

30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निगम ने 68 औद्योगिक परियोजनाओं को 39.16 करोड़ रुपए की निवल सहायता मंजूर की, जबकि पिछले वर्ष 61 परियोजनाओं को 35.03 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई।

30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त करने वाली इन परियोजनाओं की लागत का अनुमान 404.70 करोड़ रुपए लगाया गया। सहायता प्राप्त करने वाली इन परियोजनाओं में से 39 नई परियोजनाओं को कुल मंजूरियों का 72.8 प्रतिशत (28.53 करोड़ रुपए) भाग प्राप्त हुआ।

वर्ष के दौरान कई प्रकार के उद्योगों को सहायता दी गई, जैसे उर्वरक, लोहा और इस्पात, कागज, बिजली मशीनरी रसायन, आटोमोबाइल टायर, कृत्रिम रेशे, आटोमोबाइल उपस्कर धातु उत्पाद, कांच, सूती वस्त्र और चीनी।

पिछले वर्षों की भांति चीनी और सूती वस्त्र सहकारिताओं को भी सहायता का अधिक भाग प्राप्त हुआ, यह सहायता 9.99 करोड़ रुपए थी जो कुल मंजूरियों का 25.5 प्रतिशत के लगभग है ये ऋण 10 चीनी सहकारिताओं तथा एक सूती वस्त्र सहकारिता को मंजूर किए गए।

सहायता 15 राज्यों में व्याप्त थी। इनमें से 17 परियोजनायें केंद्र द्वारा अधिसूचित कम विकसित जिलों में लगाई जायेगी। इन परियोजनाओं को 14.10 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई, जो वर्ष के दौरान कुल मंजूरियों का 36 प्रतिशत के लगभग है। इसमें चार चीनी सहकारितायें भी शामिल हैं जिनमें से तीन नई परियोजनायें थीं।

कास्टिक सोडे का उत्पादन करने वाली केरल के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम को विस्तार योजना के लिये सहायता मंजूर की गई।

इस वर्ष के कार्य परिणाम से 14.98 करोड़ रुपये की आय हुई, 1970–71 में यह आय 13.46 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष के सकल लाभ में 37 लाख रुपये की वृद्धि होने से सकल लाभ 4.84 करोड़ रूपये हुआ, निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिये 0.48 करोड़ रुपये तथा कराधान के लिये 2.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद निवल लाभ 2.19 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष से यह 9 लाख रुपये ज्यादा है। आरक्षित निधि में 1.77 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी गई, इससे निगम की आरक्षित निधि 16.02 करोड़ रुपये हो गई, जो प्रदत्त पूंजी से 6.85 करोड़ रुपये अधिक है।

निगम ने अपने निधि स्रोतों को बढ़ाने तथा केन्द्रीय सरकार से उधार लेने की निर्भरता को कम करने के लिए अक्तूबर, 1971 में 8.00 करोड़ रुपए के बांड जारी किए। जारी की गई राशि में अनुगेय 10 प्रतिशत रकम को मिला कर निगम को 8.80 करोड़ रुपए का अभिदान प्राप्त हुआ। जून, 1972 में निगम ने 10 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के शेष भाग के लिए 1.65 करोड़ रुपए के साधारण शेयर जारी किए, जिसका 50 प्रतिशत आवेदन मुद्रा के रूप में प्राप्त हुआ, इससे कुल प्रदत्त पूंजी 9.17 करोड़ रुपए हो गई।

वर्ष के दौरान पश्चिमी जर्मनी के कन्द्रितांस्तल द्वारा निगम को 80 लाख जर्मनी मार्क का ऋण स्वीकार किया गया। इस वर्ष संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971 से संबंधित 10 लाख पौंड का ऋण दस्तावेज पूरा किया गया। संयुक्त राज्य ऋण की कुल राशि 20 लाख पौंड हो गई है।

वर्ष के दौरान निगम की अहमदाबाद, हैदराबाद, भुवनेश्वर, तथा बंगलौर में अतिरिक्त शाखाएं खोली गईं।

निगम की सहायता से चीनी सहकारिताओं का सम्मेलन 2 अप्रैल, 1972 को बुलाया गया। इसका लक्ष्य सहकारी चीनी कारखानों की समस्याओं पर विचार करने के साथ साथ निगम की वर्तमान नीतियों तथा पद्धतियों पर भी विचार करना था।

निगम के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(रुपए, करोड़ों में)

	मंजूरियां (निवल)			
	कम विकसित क्षेत्र	अन्य क्षेत्र	जोड़	संवितरण
ऋण				
—रुपया	13.25	17.72	30.97	18.04
—विदेशी मुद्रा	0.09	3.42	3.51	2.95
हामीदारियां तथा प्रत्यक्ष अभिदान	0.76	3.92	4.68	1.00
आस्थगित अदायगी गारंटियां	—	—	—	0.11
	14.10	25.06	39.16	22.10

वित्तपोषित परियोजनायें उद्योग वार

उर्वरक	5	रबर उत्पाद	2	चीनी	10
लोहा और इस्पात	6	आटोमोबाइल कलपुर्जे	3	अलौह धातुएं	1
कागज	5	धातु उत्पाद	5	कृत्रिम रेशे	2
बिजली मशीनरी	7	कांच	3	रेल सड़क उपस्कर	1
रसायन	5	सूतीवस्त्र	4	अन्य	9

परियोजनाओं की कुल संख्या : 68 संस्थाओं की कुल संख्या : 65

वित्तीय सहायता के विशेष आयाम

कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाएं	17	नए उद्यमकर्ताओं/तकनीकियों द्वारा लगाई गई परियोजनाएं	13
वित्तपोषित सहकारिताएं	13	5 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से कम की नई परियोजनाएं	24
वित्तपोषित नई परियोजनाएं	39		

30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड की रिपोर्ट

संचालक बोर्ड 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण के साथ निगम के कार्य संचालन के बारे में अपनी चौबीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

निगम के कार्यों की समीक्षा

2. वर्ष के दौरान निगम ने 40.64 करोड़ रुपए की सकल वित्तीय सहायता मंजूर की। संमजित की गई मंजूरियों के बाद 68 परियोजनाओं को 39.16 करोड़ रुपए की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की गई। विभिन्न उद्योगों से संबंधित इन परियोजनाओं की कुल पूंजीगत लागत 404.70 करोड़ रुपए है। प्रत्येक परियोजना को मंजूर वित्तीय सहायता का ब्योरा परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

निगम ने अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं साख निगम, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के साथ मिलकर कार्य किया। निगम ने जिन परियोजनाओं को अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की उनकी पूंजीगत लागत 327.23 करोड़ रुपए की लगभग है। इस वर्ष के दौरान उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनकी समीक्षा नीचे दी गई है।

वर्ष के दौरान वित्तपोषित परियोजनायें

उर्वरक

3. निगम ने चार नई उर्वरक परियोजनायें लगाने के लिए तथा एक परियोजना के विशाखन कार्यक्रम के लिए 7.73 करोड़ रुपए मंजूर किये। इन परियोजनाओं की लागत का अनुमान 247 करोड़ रुपए है।

साउदर्न पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० का संकलित उर्वरक कारखाना तमिलनाडु में तुतिकोरिन के पास संयुक्त क्षेत्र में लगाया जा रहा है। यह कारखाना प्रतिवर्ष 3,52,000 टन अमोनिया का उत्पादन करेगा जिसका अधिक भाग 5,12,000 टन दानेदार उर्वरक ग्रेड यूरिया, 28,000 डायमोनियम फास्फेट तथा 1,60,000 टन एन० पी० के० मिश्रित खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना को निगम ने 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की। परियोजना की लागत का अनुमान 71 करोड़ रुपए है जिसमें से 40 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा में होगा। इस परियोजना को तूतिकोरिन में विकसित गहन समुद्री बंदरगाह का सभी मौसमों के लिए लाभ प्राप्त होगा।

निगम से सहायता, प्राप्त करने वाली संयुक्त क्षेत्र की मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टलाइजर्स लि० एक अन्य परियोजना है। यह परियोजना मैसूर के कम विकसित जिले दक्षिणी कनारा में लगाई जा रही है। इसमें प्रतिवर्ष 2,17,800 टन अमोनिया तथा 3,40,000 टन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए निगम ने 1.60 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। परियोजता की लागत का अनुमान 58.05 करोड़ रुपए है। जिसका 36 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा में होगा।

निगम ने इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० को भी 3 करोड़ रुपए की सहायता गुजरात के अधिसूचित कम विकसित जिलों के कलोल और कांडला नामक स्थानों पर दो परियोजनाएं लगाने के लिए मंजूर की गई। भारत की यह सहकारिता उर्वरक उद्योग में अपने प्रकार की एक ही है। इसकी स्थापना कोपरेटिव फर्टिलाइजर इन्टरनेशनल, चिकागो के तकनीकी तथा प्रशासनिक सहयोग से की गई तथा इसका प्रवर्तन सहकारिताओं के संघ तथा भारत सरकार ने किया, जिसका इस परियोजना में भारी जोखिम है। प्राकृतिक गैस को मूल आधार बनाकर इसकी कलोल इकाई प्रतिवर्ष 3,00,300 टन अमोनिया का उत्पादन करेगी, इसका अधिक भाग 3,96,000 टन यूरिया उत्पादन में प्रयोग किया जाएगा। कांडला की इकाई प्रतिवर्ष 3,75,500 टन मिश्रित खादों का उत्पादन करेगी। परियोजना की लागत का अनुमान 91.60 करोड़ रुपए है, जिसमें 30.6 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा में होगा।

लोहा और इस्पात

4. लोहा तथा इस्पात उद्योग को 3.19 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। 8.74 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं को 2.44 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। निगम ने पहले से वित्तपोषित संस्था टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को इसके आधुनिकीकरण तथा विशाखन कार्यक्रमों के लिए 75 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मंजूर की।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा संयुक्त क्षेत्र में प्रवर्तित स्टील कम्पलेक्स लि०, को 42.57 लाख रुपए मंजूर किए गए। अनुमानतः इस परियोजना की लागत 3.22 करोड़ रुपए होगी। इसको प्रतिवर्ष 37,000 टन नरम, मध्यम कार्बन तथा लोचदार इस्पात पिंडों और सिल्लियों के उत्पादन करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई। इनमें से एक परियोजना उत्तर प्रदेश के अधिसूचित कम विकसित जिले उन्नाव में लगाई जाएगी। जिसकी लागत 1.20 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना को 55 लाख रुपए मंजूर किए गये।

निगम के द्वारा पहले से वित्तपोषित राठी अलाय एण्ड स्टील लि० को नरम इस्पात, उच्च कार्बन्न तथा धातु इस्पात पिंडों की प्रति वर्ष 17,000 टन विस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए 31.17 लाख रुपए मंजूर किए गए। परियोजना लागत का अनुमान 1.74 करोड़ रुपए होने का है।

इन परियोजनाओं के स्थापित हो जाने से इस्पात पिंडों तथा सिल्लियों की भारी कमी दूर हो जाएगी तथा उनके क्षेत्रीय विभाजन से यातायात सुविधाओं पर भार कम हो जाएगा।

धातु इस्पात

5. निगम ने पहली बार धातु इस्पात खान परियोजना के लिए 75 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया। यह सहायता संयुक्त क्षेत्र में बोलानी ओरस लि० के प्रगतिशील यंत्रीकरण योजना को लागू करने के लिए मंजूर की गई। इसका उद्देश्य प्रतिमास 1,30,000 टन कच्चा धातु तथा 80,000 टन धातु निकालना है। ये धातुएं अधिकतर दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र को भेजी जाएगी। यह परियोजना उड़ीसा के अधिसूचित कम विकसित जिले कोयनझर में लगाई जाएगी, परियोजना लागत का अनुमान 4.11 करोड़ रुपए है।

कागज और कागज उत्पाद

6. निगम ने कागज उद्योग की 5 परियोजनाओं को 1.88 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की, इन परियोजनाओं की कुल लागत 22.27 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

निगम ने अशोक पेपर मिल्ज लि० को जिसमें निगम का भारी जोखिम है एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मंजूर की, इसका उद्देश्य असम के कम विकसित जिले गोलपारा में लिखाई तथा छपाई कागज बनाने के लिए और बिहार के कम विकसित जिले दरभंगा में विशेष प्रकार के कागज बनाने के लिए इकाइयां लगाना है। इन दोनों परियोजनाओं की लागत का अनुमान 19.61 करोड़ रुपए है।

निगम ने एक नए उद्यमकर्ता द्वारा स्थापित हरियाणा कोट्ड पेपरज लि० को 50.69 लाख रुपए मंजूर किए। 76 लाख रुपए की लागत की यह परियोजना हरियाणा के गुडगांव जिले में लगाई जाएगी। यह प्रतिवर्ष 1,800 टन आर्ट तथा करोमों कागज का उत्पादन करेगी।

निगम ने गुजरात में वापी के स्थान पर लगने वाली परियोजना के लिए 32 लाख रुपए मंजूर किए। यह परियोजना प्रतिवर्ष 3,000 टन उत्तम कोटि कागज तथा बोर्ड का उत्पादन करेगी। परियोजना की लागत का अनुमान 1.80 करोड़ रुपए है। देश में

प्रथम बार उच्च ग्लोस कास्ट कोटेड कागज उत्पादन से निर्यात कार्यक्रमों के विज्ञापन में विशेष सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं के लागू हो जाने से कागज उद्योग की अतिरिक्त क्षमता 44,800 टन प्रति वर्ष हो जाएगी। वर्तमान 8.82 लाख टन की क्षमता में यह एक महत्वपूर्ण बृद्धि है, परन्तु देश में बढ़ती हुई शिक्षा सुविधाओं तथा उद्योग की मांग बढ़ने से कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।

बिजली और मशीनरी

7. निगम ने बिजली मशीनरी की सात परियोजनाओं को 1.62 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की, इनकी लागत 4.78 करोड़ रुपए है।

हरियाणा की एक संस्था को विस्तार कार्यों के लिए 47 लाख रुपए की सहायता मंजूर की गई, परियोजना की लागत का अनुमान 99 लाख रुपए है। इस विस्तार कार्यक्रम के पूरा हो जाने से हार्स पावर मोटरों का उत्पादन 20,000 प्रति वर्ष से 2,20,000 प्रति वर्ष हो जाएगा। पंखों का वर्तमान प्रति वर्ष 1,00,000 के उत्पादन से दुगना 2,00,000 हो जाएगा और लिमिटेशनों का उत्पादन 200 टन से 1,300 टन होने की आशा है। इसके अतिरिक्त परियोजना सामान्य प्रयोग की मोटरों तथा स्टाटर रोटर सेटों का उत्पादन करेगी। परियोजना लगभग 780 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार देगी। यह विस्तार कार्यक्रम न केवल कम्पनी के उत्पादों को बढ़ती हुई मांग को पूरा करेगा अपितु देश के निर्यात कार्यक्रम में भी पूरा योगदान देगा।

निगम ने 66 के० वी० करंट तथा शक्ति ट्रांसफारमरों का उत्पादन करने, कुछ सन्तुलन उपस्करों को खरीदने तथा एक शोध एवं विकास शाखा स्थापित करने के लिए परियोजना के विस्तार कार्यक्रम को 35 लाख रुपए मंजूर किए। इस विस्तार योजना के कार्यक्रम के लिए पूरा होने में लगभग 75.32 लाख रुपए व्यय होंगे। कम्पनी मेंगलिट तथा जिरकोम के पुर्जों का भी उत्पादन करेगी, आजकल इनका आयात किया जाता है।

निगम ने आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में लगने वाली दो परियोजनाओं, अर्थात् केपिटल लाइटिंग एण्ड इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्टस् लि० तथा ग्वालियर लैम्पस एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, प्रत्येक को 29.32 लाख रुपए मंजूर किए। इनमें से प्रत्येक इकाई 45 लाख जी० एल० एस० लेम्पों का उत्पादन करेगी। इनका प्रवर्तन नए उद्यमकर्ताओं ने किया है जिनमें से एक औद्योगिकीविज्ञ है। इसका प्रवर्तन सल्वानिया एण्ड लक्ष्मण लि० की सहायता से हुआ है। इन्हें फ्लोरेंसेंट ट्यूबें, लैम्प, कांच के सैल बनाने के लिए नई दिल्ली में फैक्ट्री लगाने हेतु सहायता प्राप्त हुई और बाद में विस्तार कार्यक्रम के लिए सहायता दी गई। प्रत्येक परियोजना की लागत 62.82 लाख रुपए होगी, जो ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नागरीकरण के परिणामस्वरूप जी० एल० एस० लैम्पों की मांग को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। निगम ने इस उद्योग की तीन अन्य परियोजनाओं को भी सहायता मंजूर की है।

ट्रैक्टर

8. निगम ने पंजाब ट्रैक्टर्स लि० को 1.09 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की, इस कम्पनी का प्रवर्तन प्रतिवर्ष 20 से 30 हार्स पावर तक के 5,000 'स्वराज' ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ने किया है। इस परियोजना की विशिष्टता यह होगी कि कल पुर्जों की 80 प्रतिशत से अधिक की जरूरतें सहायक उद्योगों से पूरी की जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप 190 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तथा 4,000 व्यक्ति इन सहायक इकाइयों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह परियोजना केन्द्रीय मेकेनिकल इंजीनियरिंग, शोध संस्थान, दुर्गापुर द्वारा विकसित देशी जानकारी पर निर्भर रहेगा और इसको राष्ट्रीय शोध विकास निगम के माध्यम से लाइसेंस मिला है, 'स्वराज' ट्रैक्टर छोटे किसानों की जरूरतें को पूरा करेगा। परियोजना पर 3.70 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। हरित क्रान्ति से बढ़ती हुई ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। इस परियोजना से आयात प्रतिस्थापन के द्वारा विदेशी मुद्रा बचत में भी सहायता मिलेगी।

रसायन

9. निगम ने रसायन उद्योग की परियोजनाओं को 1.71 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की, इनकी कुल लागत 15.52 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

केरल सरकार के उपक्रम ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि० को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई, यह सहायता प्रतिवर्ष 33,000 टन कास्टिक सोडे का उत्पादन करने के लिए दूसरी इकाई लगाने के लिए दी गई। परियोजना की लागत का अनुमान 9.95 करोड़ रुपए होने का है। निगम ने आन्ध्र सुगर्स लि० को भी 53.03 लाख रुपए की सहायता मंजूर की गई। यह सहायता प्रतिदिन 30 टन से 100 टन कास्टिक सोडे का उत्पादन करने के लिए दी गई है। परियोजना पर कुल 4.94 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इस परियोजना के पूरे हो जाने से कम मात्रा में उपलब्ध तथा विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कास्टिक सोडे जैसे महत्वपूर्ण रसायन की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

आटोमोबाइल टायर

10. निगम ने मोदी रबर लि० को प्रति वर्ष 4,00,000 टायर और ट्यूबें बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की। इस परियोजना की लागत 19 करोड़ रुपए है। कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली यह एक बड़ी परियोजना है। 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त यह परियोजना बहुत से सहायक उद्योगों में अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेगी। इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी के प्रसिद्ध टायर उत्पादक कन्टीनेन्टल गुमिवर्के की तकनीकी सहायता से हो रही है। यह अधिकतर ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों, तथा उत्तर प्रदेश में चलने वाली पशु गाड़ियों के लिए बड़े टायरों का निर्माण करेगी। परियोजना बढ़ती हुई परिवहन जरूरतों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के बढ़ जाने से विकसित संचार की जरूरत होगी। यह भी आशा है कि यह परियोजना बड़ी गाड़ियों के लिए नाइलोन टायरों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करेगी।

आटोमोबाइल तथा आटोमोबाइल कल पुर्जे

11. निगम ने आटोमोबाइल तथा आटोमोबाइल कल पुर्जे उद्योग की 6 परियोजनाओं को 1.41 करोड़ रुपए मंजूर किए।

नए उद्यमकर्ता द्वारा स्थापित ग्लोब स्टीयरिंग लि०, को 18 लाख रुपए की सहायता मंजूर की गई। देश में पहली बार इस परियोजना का प्रतिवर्ष 25,000 आटोमोबाइल स्टीयरिंग गियरों के सेट बनाने का अनुमान है। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य के एडवेस्ट इंजीनियरिंग लि० की सहायता से हुई है। परियोजना की लागत का अनुमान 91 लाख रुपए है, यह आयात प्रतिस्थापन के द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत में योगदान देगी।

निगम ने पहले से वित्तपोषित इंफिल्ड इंडिया लि० को 50 लाख रुपए की सहायता मंजूर की। इस सहायता का उपयोग प्रति वर्ष 14,000 मोटर साइकिलें बनाने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तमिलनाडु के रामानाथापुरम जिले के कम विकसित क्षेत्र में लगने वाली इस परियोजना की लागत 1.18 करोड़ रुपए के लगभग होगी।

मैसूर की एक परियोजना को इसके वर्तमान बैंगलोर संयन्त्र में भारी विस्तार तथा महाराष्ट्र के नासिक स्थान पर नई इकाई के लिए 60 लाख रुपए मंजूर किए। 25.80 करोड़ रुपए की लागत वाली इन दो परियोजनाओं के लागू हो जाने से ईंधन डालने वाले यन्त्रों तथा स्पार्क प्लगों की काफी विस्थापित क्षमता बढ़ जाएगी।

धातु उत्पाद

12. निगम ने धातु उत्पादों की पांच परियोजनाओं को 1.92 करोड़ रुपए मंजूर किए।

निगम ने हरियाणा की एक परियोजना को काले और चमकीले इस्पात नल बनाने के लिए 56 लाख रुपए की सहायता मंजूर की और इस परियोजना की लागत का अनुमान एक करोड़ रुपए है। एक अन्य संस्था को प्रतिवर्ष 39,000 टन इस्पात खम्बे बनाने के लिए 47.43 लाख रुपए की सहायता मंजूर की गई। उत्तर प्रदेश के कम विकसित जिले उन्नाव में लगने वाली इस परियोजना की लागत का अनुमान 93 लाख रुपए है।

निगम ने प्रति वर्ष 2,400 टन इस्पात की पत्तियों को कठोर करने तथा ताप देने के लिए 66.20 लाख रुपए मंजूर किए। देश में अपने प्रकार की पहली इस परियोजना की लागत 2.17 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना की स्थापना पश्चिमी जर्मनी की हौच ए० जी० वाजवेर्क होसेनलिम्बर्ग के सहयोग से राजस्थान में की जाएगी।

एक परियोजना को पुनर्स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गई।

कांच

13. कांच उद्योग में तीन परियोजनाओं को 56 लाख रुपए मंजूर किए गए। इन परियोजनाओं की लागत का अनुमान 2.93 करोड़ रुपए है।

निगम ने प्रति वर्ष 37,500 टन कांच के खोखले तथा चमकीले बर्तन बनाने के लिए दो परियोजनाओं को 45 लाख रुपए मंजूर किए। इनमें से एसोसियेटेड ग्लास इन्डस्ट्रीज लि० का प्रवर्तन आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० ने किया है तथा अन्य एक्सल ग्लास्स लि० का केरल के कम विकसित जिले में केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ने किया है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत का अनुमान 2.75 करोड़ रुपए है। निगम ने पहले से वित्तपोषित एक इकाई के विस्तार तथा विशाखन कार्यक्रम के लिए भी सहायता मंजूर की है।

सूती वस्त्र

14. सूती वस्त्र उद्योग में चार परियोजनाओं को 1.45 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2.26 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

निगम ने नासिक डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० को 12,320 पूरक तकुओं वाली कताई मिल लगाने के लिए 54 लाख रुपए मंजूर किए। 1.14 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह परियोजना 250 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगी। इसके उत्पादन को महाराष्ट्र के हथकर्घा केन्द्र मलगांव में बेचा जाएगा, जो शक्ति कर्घा केन्द्र है।

निगम ने दो सूती वस्त्र मिलों को उनकी विस्तार तथा विशाखन कार्यक्रमों के लिए 85.21 लाख रुपए मंजूर किए। ये मिल अपने उत्पादन का काफी भाग निर्यात कर रही है। और निगम की सहायता से निर्यात बाजारों में इनकी स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी।

चीनी

15. निगम चीनी सहकारिताओं को काफी सहायता प्रदान करता रहा है। निगम ने 10 चीनी सहकारिताओं को 9.45 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की। यह सहायता चार नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए दी गई, प्रत्येक की दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता 1250 टन होगी और 5 इकाइयों को उनके विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता दी गई, परिणामस्वरूप उनकी दैनिक क्षमता 3,600 टन हो जाएगी। एक सहकारिता को अधूरे बने संयन्त्र खरीदने तथा आगामी पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए सहायता दी गई। इस वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त करने वाली चीनी सहकारिताओं में से तीन अपने कारखाने महाराष्ट्र के औसमानाबाद बुलडाना तथा धुलिया अधिसूचित कम विकसित जिलों में लगा रही हैं। कम विकसित जिले औसमानाबाद की इकाई विस्तार कार्यक्रम में लगी है।

नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यवसायिकों को सहायता

16. नए उद्यमकर्ताओं तथा व्यवसायिकों को प्रोत्साहन देने की नीति के अनुरूप निगम ने इनके द्वारा लगाई गई 13 परियोजनाओं को सहायता मंजूर की।

व्यवसायिकों द्वारा लगाई गई परियोजना सूरी एण्ड नायर लि० को 70 लाख रुपए मंजूर किए गए। यह परियोजना बंगलौर के समीप लगाई जाएगी, इसमें 47 हार्स पावर से लेकर 600 हार्स पावर तक के डीजल इंजनों तथा आटोमोबाइल गियरों का निर्माण किया जाएगा। देश में पहली बार ही देशी जानकारी से डीजल लोकोमोटिव जैसे संस्कारित उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की लागत का अनुमान 1.14 करोड़ रुपए होने का है। यह परियोजना आयात प्रतिस्थापन करेगी तथा 400 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगी।

संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं की सहायता

17. वर्ष के दौरान निगम द्वारा मंजूर कुल सहायता में से संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को 7.32 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, इन परियोजनाओं की कुल पूंजी लागत 142.93 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं उर्वरक, नरम इस्पात, कांच, ट्रैक्टर, तथा लोह धातु खनन उद्योगों से सम्बन्धित हैं। अधिकतर ये परियोजनाएं विभिन्न राज्य उद्योग विकास निगमों के सहयोग से उद्यमकर्ताओं ने निजी क्षेत्र में स्थापित की हैं।

सहायता के लिए आवेदन

18. वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के लिए 92 संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से बीस आवेदन पत्र ऐसे थे जिनमें अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जानी थी। वर्ष के दौरान आवेदन पत्रों का सुविधावार ब्योरा नीचे दिया गया है।

सुविधा	(रुपए करोड़ों में)
ऋण	
—रुपया	130.13
—विदेशी मुद्रा	7.61
हामीदारियां	24.33
आस्थगित अदायगी गारंटियां	0.90
	162.97

19. वर्ष के प्रारम्भ में 89.45 करोड़ रुपए के लिए चार संस्थाओं के आवेदन पत्र निगम के पास विचाराधीन थे, इनकी वित्त व्यवस्था अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की जानी थी। इसके अतिरिक्त निगम से सहायता प्राप्त करने के लिए 13 संस्थाओं के 8.75 करोड़ रुपए के आवेदन पत्र निगम के पास परीक्षाधीन थे।

20. वर्ष के दौरान 65 संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई, इनमें से 17 मामलों में संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था की जानी थी तथा अन्य 48 मामलों में निगम ने ही वित्त प्रदान करना था।

वर्ष के दौरान चार संस्थाओं के आवेदन पत्र वापिस लिए मान लिए गए और एक आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया क्योंकि निगम का विचार था कि कम्पनी का प्रस्ताव एक निवेश संस्था के अधिक उपयुक्त है न कि निगम जैसे विकास बैंक के लिए वर्ष के दौरान दो आवेदन पत्र रद्द मान लिए गए।

21. वर्ष के अंत में 7 संस्थाओं से 23.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थे, इन मामलों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिल कर वित्त व्यवस्था की जानी थी। इसके अतिरिक्त निगम से 29.99 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त करने के लिए 31 संस्थाओं के पत्र विचाराधीन थे। कुल मिलाकर 38 संस्थाओं के 53.04 करोड़ रुपए की सहायता के लिए आवेदन पत्र विचाराधीन थे, इनमें एक आवेदन पत्र ऐसा था जिसमें वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता का कुछ भाग मंजूर किया गया।

22. 45 संस्थाओं से निगम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र कुछ महत्वपूर्ण बातों में अधूरे थे और इन पर भी कार्यवाही की जा रही है। एक विवरण रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है जिसमें राज्यवार विचाराधीन आवेदन पत्र, वर्ष के दौरान प्राप्त, मंजूर किए गए आवेदन पत्र, वापिस लिए आवेदन पत्रों की संख्या दर्शाई गई है।

वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण

23. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता तथा संवितरणों का उद्योगवार वितरण नीचे सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1

(रुपए, लाखों में)

उद्योग	ऋण	हामीदारियां	जोड़	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	संवितरण
चीनी	945.00	—	945.00	24.1	10	631.00
उर्वरक	613.22	160.00	773.22	19.7	5	39.75
लोहा और इस्पात	213.74	105.00	318.74	8.2	6	46.04
रबर उत्पाद	250.67	50.00	300.67	7.7	2	74.75
धातु उत्पाद	175.68	16.00	191.68	4.9	5	87.13
कागज	177.42	11.00	188.42	4.8	5	46.29
बिजली मशीनरी	135.30	27.00	162.30	4.2	7	213.98
मूल धातु रसायन	152.29	5.00	157.29	4.0	3	5.35
वस्त्र	145.14	—	145.14	3.7	4	366.79
मोटर गाड़ियां	138.48	3.00	141.48	3.6	6	39.40
कृत्रिम रेशे	99.31	35.00	134.31	3.4	2	267.46
मशीनरी	84.21	25.00	109.21	2.8	1	143.25

1	2	3	4	5	6	7
लौह धातु	75.00	–	75.00	1.9	1	–
रेल रोड उपस्कर	60.00	10.00	70.00	1.8	1	–
पटसन	65.00	–	65.00	1.6	1	30.41
कांच	51.00	5.00	56.00	1.4	3	15.00
अलौह धातुएं	29.00	6.00	35.00	0.9	1	0.65
सीमेंट	20.00	–	20.00	0.5	1	36.00
नौपरिवहन	–	10.00	10.00	0.3	1	–
वनस्पति तेल तथा स्नेह	7.50	–	7.50	0.2	1	31.78
विविध धातु उत्पाद	6.00	–	6.00	0.2	1	78.46
खाद्य निर्माण उद्योग	3.85	–	35.8	0.1	1	–
चीनी मिट्टी बर्तन	–	–	–	–	–	13.75
गैस उत्पादन तथा वितरण	–	–	–	–	–	3.53
कोयला	–	–	–	–	–	30.00
लकड़ी तथा कार्क	–	–	–	–	–	9.50
जोड़	3447.81	468.00	3915.81	100.0	68	2210.27

24. 39 नई परियोजनाओं को 28.53 करोड़ रुपए (कुल सहायता का 72.8 प्रतिशत) की सहायता मंजूर की गई, शेष 10.63 करोड़ रुपए की सहायता वर्तमान उपक्रमों के विस्तार, विशाखन तथा आधुनिकीकरण के लिए दी गई। वर्ष के दौरान निगम से सहायता प्राप्त करने वाली इन परियोजनाओं की कुल लागत 404.70 करोड़ रुपए है और निगम की सहायता इस लागत का 9.7 प्रतिशत के लगभग है।

निगम द्वारा वित्तपोषित इन 68 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं विदेशी सहयोग से स्थापित हुई।

वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण

25. इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता तथा संवितरणों का राज्यवार वितरण नीचे सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2

(रुपए, लाखों में)

राज्य	ऋण	हामीदारियां	जोड़	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	संवितरण
महाराष्ट्र	996.38	13.00	1009.38	25.8	19	724.88
तमिलनाडु	355.26	135.00	490.26	12.5	6	215.24
उत्तर प्रदेश	410.50	76.00	486.50	12.4	8	294.92
गुजरात	429.22	16.00	445.22	11.4	6	113.60
मैसूर	220.00	70.00	290.00	7.4	3	123.21
हरियाणा	250.12	30.00	280.12	7.1	7	143.61
केरल	194.38	10.00	204.38	5.2	5	37.00
उड़ीसा	123.71	–	123.71	3.2	2	90.32
पंजाब	84.21	25.00	109.21	2.8	1	0.49
आन्ध्र प्रदेश	97.01	8.00	105.01	2.7	4	104.67
राजस्थान	95.70	7.00	102.70	2.6	2	100.27
असम	100.00	–	100.00	2.6	1	–
बिहार	–	75.00	75.00	1.9	2	45.59
पश्चिमी बंगाल	65.00	–	65.00	1.7	1	113.12
मध्य प्रदेश	26.32	3.00	29.32	0.7	1	112.85
जोड़	3447.81	468.00	3915.81	100.0	68	2210.27

26. निगम की सहायता 15 राज्यों को प्राप्त हुई। औद्योगिक रूप से कम विकसित प्रदेशों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाओं को 10.22 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई जो कुल मंजूर वित्तीय सहायता का 26.1 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र को 10.09 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई, जिसमें से 8.55 करोड़ रुपए अर्थात् 84.7 प्रतिशत चीनी सहकारिताओं को मंजूर किए गए।

इस वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनके नाम और उनकी परियोजनाओं का विवरण रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

वर्ष के दौरान मंजूर वित्तीय सहायता की कुछ उल्लेखनीय बातें

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की 17 परियोजनाओं को 14.10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की, इन परियोजनाओं की कुल प्राक्कलित लागत 189.82 करोड़ रुपए थी।

28. नए उद्यमकर्ताओं तथा व्यवसायिकों द्वारा लगाई गई 13 परियोजनाओं को 3.73 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई, इन परियोजनाओं की लागत 8.80 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

29. निगम ने केरल में स्थित एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मंजूर की है।

निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूती वस्त्र मिलों को सहायता

30. इस वर्ष के दौरान भारत सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग में निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण मिलों के आधुनिकीकरण की एक योजना लागू की है। यह योजना उन सभी मिलों पर लागू होगी जिन्होंने पिछले दो वित्तीय वर्षों में अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत से अधिक भाग निर्यात किया, चाहे वे कताई, बुनाई, जथवा संयुक्त मिलें हैं। इस प्रकार की इकाइयों को निगम से रियायती दर पर सहायता मिलेगी।

यद्यपि निगम इस योजना के अधीन आधुनिकीकरण के सभी ऋण आवेदन पत्रों पर विचार करेगा, लेकिन निगम आवेदक इकाइयों की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता को निश्चित करने के लिए अपनी सामान्य कसौटी से ही काम लेगा।

ब्याज की दर

31. इस वर्ष के दौरान ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रुपया ऋणों पर यह 8½% वार्षिक तथा विदेशी मुद्रा में उप-ऋणों पर 9 वार्षिकी रहीं। रिपोर्ट में अन्य स्थान पर उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन अधिसूचित कम विकसित जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं पर यह दर 7% वार्षिकी है।

पहली जुलाई, 1948 से 30 जून, 1972 की अवधि में किये गये कुल कार्य

32. निगम ने 30 जून, 1972 तक 521 संस्थाओं की 565 परियोजनाओं को 397.86 करोड़ रुपए की निवल वित्तीय सहायता मंजूर की। संवितरणों की राशि 340.86 करोड़ रुपए थी, जिनमें से नकद संवितरण 289.77 करोड़ रुपए हुआ। समीक्षाधीन वर्ष के अंत में कुल बकाया राशि 203.79 करोड़ रुपए थी। नीचे की सारणी में 30 जून, 1972 की मंजूरियां की संख्या, निवल मंजूरियां, संवितरित तथा बकाया राशि दर्शाई गई है।

सारणी 3

(रुपए, करोड़ों में)

	मंजूरियां (निवल)		संवितरित सहायता	बकाया सहायता
	संख्या	रकम	रकम	रकम
1. ऋण				
—रुपया	730	264.31	227.65	141.07
—विदेशी मुद्रा	177	47.20	38.42	27.42
जोड़	907	311.51	266.07	168.49
2. हामीदारियां				
—साधारण शेयर	153	13.56	7.97	6.38
—अधिमान शेयर	121	8.09	5.58	3.70
—डिबेंचर	22	9.98	7.58	4.68
जोड़	296	31.63	21.13	14.76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3. प्रत्यक्ष अभिदान					
—साधारण शेयर	17	0.98	0.62	1.43	(क)
—अधिमान शेयर	6	0.25	0.13	0.66	(क)
—डिबेंचर	1	1.82	1.82	1.37	
1 से 3 तक का जोड़	24	3.05	2.57	3.46	
जोड़	1227	346.19	289.77	186.71	
4. गारंटियां					
—आस्थगित अदायगी के लिए	41	28.20	27.76	5.88	(ख)
—विदेशी ऋणों के लिए	5	23.47	23.33	11.20	(ख)
जोड़	46	51.67	51.09	17.08	
कुल जोड़	1273	397.86	340.86	203.79	

(क) इसमें 6 कम्पनियों का 1.28 करोड़ रुपए के बकाया ऋण भी सम्मिलित हैं, जिन्हें शेयरों में बदल दिया गया और एक दूसरी कम्पनी के 0.06 करोड़ रुपए के डिबेंचर भी सम्मिलित हैं, जिन्हें साधारण शेयरों में बदल दिया गया।

(ख) वास्तव में जारी की गई गारंटियां।

पहली जुलाई, 1948 से 30 जून, 1972 तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष मंजूर और संवितरित की गई निवल वित्तीय सहायता

33. पिछले चौबीस वर्षों की अवधि में निगम ने प्रत्येक वर्ष जो कुल निवल वित्तीय सहायता मंजूर और संवितरित की है, उसका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार किया गया वर्गीकरण निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 4

(रुपए, करोड़ों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के दौरान मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				इस वर्ष के दौरान संवितरित रकम			
	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़
पहली पंचवर्षीय योजना से पहले की अवधि								
1949	3.25	—	—	3.25	1.33	—	—	1.33
1950	2.90	—	—	2.90	2.08	—	—	2.08
1951	1.98	—	—	1.98	2.38	—	—	2.38
जोड़	8.13	—	—	8.13	5.79	—	—	5.79
पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1952	3.20	—	—	3.20	1.78	—	—	1.78
1953	0.53	—	—	0.53	2.50	—	—	2.50
1954	4.10	—	—	4.10	2.82	—	—	2.82
1955	5.13	—	—	5.13	1.64	—	—	1.64
1956	14.06	—	—	14.06	2.20	—	—	2.20
जोड़	27.02	—	—	27.02	10.94	—	—	10.94

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1957	9.15	–	–	9.15	9.78	–	–	9.78
1958	5.93	0.75	1.82	8.50	8.33	–	–	8.33
1959	2.77	0.87	0.27	3.91	7.48	0.66	–	8.14
1960	12.62	0.10	6.06	18.78	8.41	0.17	2.09	10.67
1961	18.58	1.84	8.29	28.71	6.62	0.48	13.02	20.12
जोड़	49.05	3.56	16.44	69.05	40.62	1.31	15.11	57.04
तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1962	17.84	0.73	0.48	19.05	10.92	0.24	0.41	11.57
1963	19.82	4.63	10.62	35.07	15.05	3.99	3.18	22.22
1964	23.61	4.30	13.16	41.07	16.94	1.96	6.39	25.29
1965	19.39	3.55	3.92	26.86	19.79	3.36	14.65	37.80
1966	21.49	3.96	1.35	26.80	23.99	4.48	2.17	30.64
जोड़	102.15	17.17	29.53	148.85	86.69	14.03	26.80	127.52
वार्षिक योजनाएं								
1967	12.34	1.87	4.00	18.21	29.52	2.90	5.64	38.06
1968	15.70	1.49	0.85	18.04	23.35	1.06	2.61	27.02
1969	22.75	2.42	0.29	25.46	15.03	1.68	0.28	16.99
जोड़	50.79	5.78	5.14	61.71	67.90	5.64	8.53	82.07
चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि								
1970	11.86	1.19	0.14	13.19	16.86	0.85	0.34	18.05
1971	28.03	2.30	0.42	30.75	16.28	0.87	0.20	17.35
1972	34.48	4.68	–	39.16@	20.99	1.00	0.11	22.10
जोड़	74.37	8.17	0.56	83.10*	54.13	2.72	0.65	57.50
कुल जोड़	311.51	34.68*	51.67	397.86	266.07	23.70	51.09	340.86

*इसमें 3.05 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अभिदान भी शामिल है।

@इनमें पहले से की गई मंजूरियों से सम्बन्धित 2.11 करोड़ रुपये का वर्ष के दौरान किया गया समायोजन शामिल नहीं है। पिछले वर्षों में इस प्रकार का समायोजन नहीं किया गया।

टिप्पणी : सारणी में दिए गए आंकड़े पिछले वर्षों की रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि इनमें से कुछ मंजूरियां बाद में या तो वापस ले ली गईं या समंजित कर दी गईं।

सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता

34. पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों तथा केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुरूप निगम सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं, विशेषकर चीनी तथा वस्त्र उद्योग को काफी सहायता देता रहा है। निगम ने सहकारी क्षेत्र की 105 परियोजनाओं को 30 जून, 1972 तक 87.45 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की, जो निगम की कुल मंजूरियों का 22 प्रतिशत है। सहायता का अधिकतर भाग अर्थात् 37.22 करोड़ रुपए 97 चीनी सहकारिताओं को प्राप्त हुआ। जबकि 22 सूती वस्त्र सहकारिताओं को 10.12 करोड़ रुपए मंजूर किए। एक पटसन सहकारिता (78.50 लाख रुपए), एक वनस्पति तेल निकालने वाली सहकारिता इकाई (22.50 लाख रुपए) तथा उर्वरक उद्योग की एक सहकारिता (3 करोड़ रुपए) की भी सहायता मंजूर की गई। कुल संवितरणों की राशि 72.88 करोड़ रुपए थी। 30 जून 1972 तक निगम से सहायता प्राप्त करने वाली सहकारिताओं में से 41 परियोजनाएं औद्योगिक रूप से अधिसूचित कम विकसित जिलों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं को कुल 33.63 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

सभी मामलों में औद्योगिक सहकारिताओं को दी गई सहायता रुपया ऋणों के रूप में थी, फिर भी महाराष्ट्र की एक चीनी सहकारिता को 4.00 लाख जर्मनी मार्क का विदेशी मुद्रा उप-ऋण (7.86 लाख रुपए) दिया गया, जिसका पूरा उपयोग किया जा चुका है।

35. निगम द्वारा वित्तपोषित चीनी सहकारिताएं सम्पूर्ण भारत में फैली हुई हैं। लेकिन महाराष्ट्र गुजरात तथा मैसूर तमिलनाडु जैसे राज्यों में सहकारी आन्दोलन ने काफी प्रगति की है, इससे काफी चीनी सहकारिताएं पनप सकी हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों की अपेक्षा इन राज्यों में निगम की सहायता प्राप्त करने वाली चीनी सहकारिताओं की संख्या भी अधिक है।

36. 30 जून, 1972 तक निगम द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक सहकारिताओं का राज्यवार तथा उद्योगवार वितरण नीचे सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5

(रुपये, लाखों में)

राज्य	चीनी		सूत-कताई		अन्य		कुल मंजरियां		कुल का प्रतिशत	कुल संवितरण	बकाया ऋण
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		राशि	राशि
आन्ध्र प्रदेश	6	585.00	3	110.00	—	—	9	695.00	7.9	600.00	369.44
असम	1	60.00	—	—	1*	78.50	2	138.50	1.6	138.50	80.44
बिहार	1	115.00	1	24.70	—	—	2	139.70	1.6	114.70	141.51
गुजरात	7	445.50	2	170.00	2@	300.00	11	915.50	10.5	513.50	398.20
हरियाणा	2	106.00	—	—	—	—	2	106.00	1.2	106.00	—
केरल	2	180.00	—	—	—	—	2	180.00	2.1	180.00	239.85
मध्य प्रदेश	1	80.00	1	40.00	—	—	2	120.00	1.4	120.00	120.00
महाराष्ट्र	32	3599.70	9	436.50	—	—	41	4036.20	46.2	3229.20	1885.13
मैसूर	8	627.75	2	79.00	1**	22.50	11	729.25	8.3	618.75	441.91
उड़ीसा	2	175.00	1	31.00	—	—	3	206.00	2.3	206.00	166.90
पंजाब	4	315.00	—	—	—	—	4	315.00	3.6	315.00	187.00
राजस्थान	1	80.00	1	45.50	—	—	2	125.50	1.4	113.00	116.49
तमिलनाडु	7	583.00	1	35.00	—	—	8	618.00	7.1	613.00	348.11
उत्तर प्रदेश	5	380.00	1	40.00	—	—	6	420.00	4.8	420.00	162.65
जोड़	79	7331.95	22	1011.70	4	401.00	105	8744.65	100.0	7287.65	4657.63

*पटसन सहकारिता @उर्वरक सहकारिता **वनस्पति तेल निकालने वाली मिल

37. निगम द्वारा वित्तपोषित इन 79 चीनी सहकारी परियोजनाओं की पूंजी लागत 152.49 करोड़ रुपए थी, इसमें से निगम ने 48.1 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्रदान किया। जिन मामलों में सहकारी समितियों के उत्पादक सदस्य, राज्य सरकारें, सहकारी बैंक, जीवन बीमा निगम (कुछ मामलों में) तथा निगम परियोजना की पूंजी लागत में अपना योगदान देते हैं। वहां पर चीनी सहकारिताओं के प्रवर्तन के लिए एक समान पद्धति अपनाई गई है।

यद्यपि चीनी सहकारिताओं का विकास आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, निगम को आवश्यक रूप से विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर परियोजना की वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता से संतुष्ट होना पड़ता है तथा ऋण मंजूर करने के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही करनी होती है। कुछ मामलों को छोड़कर औद्योगिक परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने की निगम की नीति बहुत सफल रही है, जिसका प्रमाण यह है कि निगम ने पहले से वित्तपोषित 18 परियोजनाओं को उनके विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता मंजूर की है। निगम की नीतियों के अनुरूप चीनी तथा सूती वस्त्र सहकारिताओं के लिए आवेदन पत्रों तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के मानकीकरण तथा सरलीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

38. निगम सहकारिताओं को वचनबद्धता प्रभारों में विशेष रियायतें प्रदान कर रहा है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुलाई, 1970 में घोषित रियायती वित्त की योजना सामान्यतः उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होती है जहां परियोजना लागत एक करोड़ रुपए से अधिक न हो, परन्तु निगम सहकारिताओं को ये रियायतें उनकी पूंजी लागत को बिना ध्यान में रखे प्रदान करता है। निगम ने 6 सहकारिताओं को 6.36 करोड़ रुपए की निबल रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की है।

सार्वजनिक कम्पनी को सहायता

39. निगम ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक सार्वजनिक कंपनी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की 460 परियोजनाओं को 310.41 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

40. इस सहायता का उद्योगवार वितरण नीचे सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6

(रुपये, लाखों में)

उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
वस्त्र						
—सूती	71	2680.55	197.50	278.21	3156.26	10.2
पटसन	13	511.81	—	—	511.81	1.6
रसायन और रसायन उत्पाद	43	2703.87	276.10	421.75	3401.72	10.9
अलौह धातुएं	11	938.97	301.00	1945.65	3185.62	10.3
उर्वरक	8	1073.82	384.43	1278.86	2737.11	8.8
कागज	29	1780.00	170.07	551.16	2501.23	8.1
धातु उत्पाद	57	1922.53	442.60	130.26	2495.39	8.0
सीमेंट	26	1680.16	210.89	18.54	1909.59	6.2
मशीनरी	23	1214.53	104.70	105.01	1424.24	4.6
बिजली उपस्कर	38	1248.02	167.24	—	1415.26	4.6
रबर उत्पाद	9	1005.41	77.00	265.61	1348.02	4.3
कृत्रिम रेशे	14	1091.49	131.25	42.35	1265.09	4.1
मोटर गाड़ियां	21	1002.66	203.00	26.95	1232.61	4.0
लोहा और इस्पात	11	779.22	252.25	—	1031.47	3.3
मृत्तिका शिल्प और कांच	24	779.04	43.00	—	822.04	2.6
चीनी	17	632.94	49.00	—	681.94	2.2
खनन और खदान	6	197.00	360.00	—	557.00	1.8
होटल	5	268.12	7.00	93.00	368.12	1.2
अन्य	34	896.31	90.40	9.61	996.32	3.2
जोड़ :	460	22406.45	3467.43	5166.96	31040.84	100.0

41. नीचे की सारणी में सार्वजनिक कम्पनी क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार वितरण दर्शाया गया है :

सारणी 7

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां	गारंटियां	जोड़	कुल का प्रतिशत
तमिलनाडु	56	3025.40	545.38	1227.06	4797.84	15.5
महाराष्ट्र	80	3321.37	571.28	375.93	4268.58	13.8
पश्चिमी बंगाल	70	3190.17	217.50	532.13	3939.80	12.7
उत्तर प्रदेश	38	2284.77	272.25	322.31	2879.33	9.3
बिहार	23	1443.05	288.00	329.75	2060.80	6.6
गुजरात	35	1686.03	187.32	127.30	2000.65	6.4
आन्ध्र प्रदेश	25	836.43	182.82	925.82	1945.07	6.3
मैसूर	30	1238.74	265.50	221.52	1725.76	5.6
राजस्थान	12	800.84	22.50	757.35	1580.69	5.1
केरल	17	1006.33	29.50	172.47	1208.30	3.9
हरियाणा	26	1035.87	104.38	20.08	1160.33	3.7
उड़ीसा	14	937.04	95.00	—	1032.04	3.3
मध्य प्रदेश	14	564.14	226.25	39.82	830.21	2.7
असम	5	263.29	350.00	—	613.29	2.0
पंजाब	8	427.36	25.00	9.96	462.32	1.5
दिल्ली	3	187.62	9.75	97.30	294.67	0.9
मेघालय	1	95.00	—	—	95.00	0.3
गोआ	1	—	75.00	—	75.00	0.2
पांडिचेरी	1	52.00	—	8.16	60.16	0.2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	11.00	—	—	11.00	—
जोड़ :	460	22406.45	3467.43	5166.96	31040.84	100.0

रुपया ऋण

42. सार्वजनिक कम्पनी क्षेत्र को 176.94 करोड़ रुपए की रुपया ऋणों के रूप में दी गई सहायता कुल सहायता का 57 प्रतिशत है। रुपया ऋणों में 154-85 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया जो कुल संवितरणों का 71.3 प्रतिशत है।

विदेश मुद्रा ऋण

43. निगम ने संयुक्त क्षेत्र को 47.12 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा ऋण मंजूर किया, जबकि संवितरण 38.34 करोड़ रुपए हुआ।

30 जून, 1972 तक विदेशी मुद्रा ऋणों में संबंधित स्थिति नीचे की सारणी में दिखाई गई है :

सारणी 8

	निवल (मंजूरियां)			जारी किये गये साख/वचन यंत्र		संवितरित रकम	
मुद्रा	उपऋणों की संख्या	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपये (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपये (लाखों में)	विदेशी मुद्रा (दस लाख में)	रुपये (लाखों में)
पश्चिमी जर्मन मार्क	114	114.10	2325.58	98.42	2004.12	83.76	1703.70
अमरीकी डालर	57	26.75	1963.27	26.75	1963.27	26.75	1963.27
फ्रांसीसी फ्रांक	11	13.01	177.92	12.56	171.61	12.24	167.44
पौंड स्टर्लिंग	12	1.27	244.94	0.02	4.60	—	—
जोड़ :	194		4711.71		4143.60		3834.41

हामिदारियां

44. निगम ने 30 जून, 1972 तक साधारण और अधिमान शेयरों तथा डिबेंचरों के लिए हामीदारी के 296 आवेदन पत्रों पर 31.63 करोड़ रुपए की निवल राशि मंजूर की।

30 जून, 1972 तक पूरे किए गए निर्गमों से सम्बन्धित स्थिति सारणी 9 में दिखाई गई है :

सारणी 9

(रुपए, लाखों में)

	हामीदारी की रकम	रकम जो निगम को देनी पड़ी	(3) से (2) का प्रतिशत
1	2	3	4
साधारण शेयर	1178.55	800.29	67.9
अधिमान शेयर	736.79	582.81	79.1
डिबेंचर	873.00	758.20	86.8
	2788.34	2141.30	76.8

निगम ने 18 निर्गम आवेदन पत्रों पर 304.52 लाख रुपए मंजूर किए। जिसमें 79.35 लाख रुपए के साधारण शेयर, 24.99 लाख रुपए के अधिमान शेयर तथा 182.00 लाख रुपए के डिबेंचर थे। इसमें से 6 निर्गमों के लिए निगम ने जो हामीदारी ली थीं, 24.11 लाख रुपए का प्रत्यक्ष अभिदान किया।

आस्थगित अदायगी के लिये गारंटियां

45. 30 जून, 1972 तक 41 आवेदन पत्रों पर 28.20 करोड़ रुपए की आस्थगित अदायगी गारंटियां दी गई। 30 जून, 1972 तक वास्तव में जारी की गई गारंटियों की कुल रकम 27.76 करोड़ रुपए थी।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए गारंटियां

46. निगम ने 30 जून, 1972 तक 5 आवेदन पत्रों पर कुल 23.47 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा गारंटियां मंजूर कीं, वास्तव में जारी की गई गारंटियों की कुल रकम 23.33 करोड़ रुपए थी।

30 जून, 1972 तक मंजूर की गई वित्तीय सहायता का प्रयोजनवार वितरण

47. 30 जून, 1972 तक मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का प्रयोजनवार वर्गीकरण तथा निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल लागत का विवरण नीचे सारणी 10 में दिया गया है।

सारणी 10

(रुपये, करोड़ों में)

उपक्रम का स्वरूप	परियोजनाओं की कुल लागत	मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता				
		ऋण	हामीदारियां और प्रत्यक्ष अभिदान	गारंटियां	जोड़	प्रतिशत (2) से (6) का
1	2	3	4	5	6	7
नये उपक्रम	1346.74	193.00	24.71	42.14	259.85	19.3
वर्तमान उपक्रम						
(1) उत्पादन की वर्तमान दिशाओं में विस्तार के लिये	493.14	91.28	7.34	6.93	105.55	21.4
(2) आधुनिकीकरण और पुनः स्थापन के लिये	105.90	15.59	2.11	0.53	18.23	17.2
(3) उत्पादन की नई दिशाओं में विशाखन के लिये	60.04	11.64	0.52	2.07	14.23	23.7
जोड़	2005.82	311.51	34.68	51.67	397.86	19.8

निगम ने 30 जून, 1972 तक नए उपक्रमों को 259.85 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की जो कुल सहायता का 65.3 प्रतिशत है और वर्तमान परियोजनाओं को उनके विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा विशाखन के लिए 138.01 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। जिन 565 परियोजनाओं को निगम ने सहायता दी है उनकी कुल लागत 2,006 करोड़ रुपए है, समग्र साधनों का सूचक है जो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जुटाया गया है।

30 जून, 1972 तक मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्यवार तथा उद्योगवार वितरण इस रिपोर्ट के क्रमशः 'ख' और 'ग' परिशिष्टों में दिया गया है। प्रत्येक राज्य में मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का उद्योगवार वितरण परिशिष्ट 'ङ' में दिया गया है। निवल वित्तीय सहायता और प्रत्येक औद्योगिक संस्था को मंजूर की गई राशि के अनुसार उनकी सहायता का वर्गीकरण परिशिष्ट 'ज' में दिया गया है।

औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों को सहायता

48. राष्ट्र की पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों का दीर्घकालीन लक्ष्य प्रादेशिक आर्थिक असंतुलन समाप्त करना रहा है असन्तुलित आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप न केवल विभिन्न राज्यों में अपितु एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी आय असमानताएं पैदा हो गई हैं।

49. निगम ने अर्थव्यवस्था से प्रादेशिक असन्तुलन को समाप्त करने के लिए उद्योगों के विस्तार की आवश्यकता को भली प्रकार जाना है और कम विकसित क्षेत्रों के विकास को तीव्र करने में अपना पूरा योगदान दिया है। 30 जून, 1972 तक 565 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूर की गई 397.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का लगभग 26.9 प्रतिशत भाग अर्थात् 107.11 करोड़ रुपए कम विकसित क्षेत्रों की 148 परियोजनाओं को मंजूर किए गए।

50. कम विकसित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा योजना आयोग से परामर्श करने के बाद कुछ जिले/क्षेत्र अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अधिसूचित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 जून, 1972 तक अधिसूचित औद्योगिक रूप से कम विकसित जिले/क्षेत्र परिशिष्ट 'झ' में दिखाए गए हैं। इन अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों में लगने वाली परियोजनाओं पर ये रियायतें उपलब्ध हैं, वर्तमान ब्याज की दर 8–1/2 प्रतिशत से कम ब्याज दर, अर्थात् 7 प्रतिशत वार्षिक; ऋणों की अदायगी में आरम्भिक 5 वर्ष तक की अवधि तथा ऋणों के परिशोधन के लिए 15/20 वर्षों तक की लम्बी अवधि; प्रतिभूति की कम सीमा; परियोजना लागत में प्रवर्तकों का कम योगदान एवं निगम द्वारा संस्था की शेयर पूंजी में अधिक योगदान; और अन्ततः निगम के सामान्य प्रभारों में 50% की कटौती। सामान्यतः ये रियायतें उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होंगी जिनकी लागत एक करोड़ रुपए से अधिक न हों, बड़ी परियोजनाओं को रियायती वित्त चयनात्मक आधार पर दिया जाएगा। ये रियायतें वर्तमान इकाइयों के विस्तार कार्यक्रमों के लिए भी प्राप्त की जा सकती हैं, जहां पर अतिरिक्त स्थाई पूंजी पहले से लगी पूंजी के 25 प्रतिशत से कम नहीं है। औद्योगिक सहकारिताओं के बारे में यह निर्णय किया गया है कि पूंजी लागत को बिना ध्यान में रखे ये रियायतें दी जाएंगी। इन क्षेत्रों की परियोजनाओं पर निगम से प्राप्त होने वाला रियायती वित्त केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार मिलने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त है। निगम द्वारा घोषित ये रियायतें परिशिष्ट 'ञ' में दिखाई गई हैं।

51. निगम ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर कम विकसित राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है। ताकि उनकी औद्योगिक क्षमता तथा वहां पर लगाई जा सकने वाली परियोजनाओं की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके। निगम अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा राज्य सरकारों को उनके परियोजना विचारों को वास्तविकता प्रदान करने के लिए भरसक सहायता प्रदान कर रहा है।

नये उद्यमकर्ताओं और व्यावसायिकों को वित्तीय सहायता

52. निगम नये व्यावसायिकों तथा पेशेवर योग्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देता रहा है।

53. वर्षों से निगम ने नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा स्थापित लगभग एक सौ औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता दी है। ये परियोजनायें इंजीनियरिंग, वस्त्र, रसायन, चीनी, सीमेंट, कागज और कागज उत्पाद, रबर उत्पाद, कांच, होटल आदि उद्योगों से सम्बन्धित हैं। 13 राज्यों तथा एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों द्वारा लगाई गई इन परियोजनाओं को निगम द्वारा मंजूर कुल सहायता का 10 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। इन परियोजनाओं में से अधिकतर बहुत सफल रही हैं। कई नये उद्यमकर्ताओं तथा पेशेवर कुशल तकनीकियों ने औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया है तथा उन्होंने छोटे स्तर से शुरू करके विस्तार किया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता

54. जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि केन्द्रीय सरकार ने निगम को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये प्राधिकृत किया था। निगम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (चाहे उनमें सरकारी शेयरों की संख्या कुछ भी हो) से निजी क्षेत्र की संस्थाओं के समान ही वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम जो पब्लिक लिमिटड कम्पनियां हैं, अपने विस्तार, आधुनिकीकरण अथवा विशाखन व नई परियोजनाओं के लिये निगम को निवेदन करने के पात्र हैं। 30 जून, 1972 तक सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों की 6.92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की गई।

वित्तीय सहायता देने के लिये अपनाई गई कसौटी तथा कार्य प्रणाली

55. वित्तीय सहायता प्रदान करते समय निगम को पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित प्राथमिकताओं तथा उद्योगों का प्रादेशिक विस्तार, औद्योगिक सहकारिताओं को प्रोत्साहन तथा उद्योग में प्रथम बार प्रवेश करने वाले उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीतियों के अनुरूप कार्य करना होता है।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अनुसार निगम के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना काम करते हुए व्यावसायिक सिद्धान्तों पर अमल करे और उद्योग, वाणिज्य तथा सामान्य जनता के हितों का विशेष ध्यान रखे।

क्योंकि वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं की परियोजनाओं में कारोबारी जोखिम होता है, अतः निगम इन परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है, ये पहलू हैं, देश की अर्थव्यवस्था में परियोजनाओं की अपेक्षाकृत औद्योगिक और राष्ट्रीय दृष्टि से प्राथमिकता, उसकी तकनीकी वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता, प्रवर्तकों का अनुभव और ईमानदारी तथा परियोजनाओं की लागत में उनका वित्तीय अंशदान, प्रबन्ध का स्तर और परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान सक्षम तकनीकी और प्राशासनिक कर्मचारियों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना।

निगम परियोजना के गुणावगुणों पर ही विशेष ध्यान रखता है, अतः परियोजना के तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन करना जरूरी होता है।

उदाहरण के तौर पर तकनीकी पहलुओं की जांच करते समय प्रयोग में लाई गई तकनीकी प्रक्रिया की व्यवहार्यता, परियोजना की स्थिति, संयन्त्र और उपस्कर का आकार, तथा मशीनरी पूर्तिकारों की ख्याति और अनुभव, तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रबन्ध तथा कार्मिक और श्रमिकों का प्रशिक्षण, संयंत्र की रूपरेखा, आवश्यक उपयोगिताओं के लिये व्यवस्था, परियोजना के निर्माण की अवधि पर विशेष ध्यान रखा जाता है। परियोजना के वित्तीय पहलुओं की जांच में उसकी लागत का अनुमान, आवश्यक कार्यकारी पूंजी का मूल्यांकन, वित्तीय साधनों जैसे शेयर पूंजी, दीर्घकालीन ऋण, विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिये व्यवस्था, वर्तमान संस्थाओं के लिये संयन्त्र और मशीनरी के लिये आस्थगित अदायगियां तथा आन्तरिक साधन आदि। यह भी आश्वास्त करना जरूरी है कि परियोजना के इक्विटी और ऋण का अनुपात सन्तोषजनक है, परियोजना लागत में प्रवर्तकों का योगदान उपयुक्त है तथा लाभ का अनुमान व्यावहारिक है ताकि दीर्घकालीन ऋण उचित प्रकार से लौटाया जा सके और शेयरधारियों को भी उचित मात्रा में लाभ मिलता रहे। परियोजना के आर्थिक पहलुओं का विस्तृत मुल्यांकन किया जाता है। उत्पाद की वर्तमान तथा भावी मांग का अनुमान लगाने के लिये बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है, उत्पाद की निर्यात सम्भावनायें भी ध्यान में रखी जाती हैं। परियोजना का राष्ट्र की विदेशी मुद्रा स्थिति सुधारने में योगदान, रोजगार क्षमता, सहायक उद्योगों को स्थापित करने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। बड़ी परियोजनाओं के लिये आर्थिक मूल्यांकन की आधुनिक तकनीकों जैसे, आन्तरिक उत्पादन दर, उत्पादन लागत का अध्ययन किया जाता है।

प्रबंधकीय पहलू के अध्ययन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्था का प्रबंधकीय ढांचा उपयुक्त है तथा संस्था का संचालक-मंडल समर्थ है और परियोजना के निर्माण तथा संचालन के लिये तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्मिक योग्य एवं अनुभवी हैं।

निगम के वित्तीय और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा परियोजना का वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद सलाहकार समिति से सलाह ली जाती है। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के उन विशेषज्ञों को बुलाया जाता है जिनको उस विशिष्ट उद्योग की विशेष जानकारी होती है। इसके बाद निगम का बोर्ड सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मामले पर निर्णय करता है। किन्तु सलाहकार समिति की सलाह नहीं ली जाती, यदि परियोजनायें नई न हों अथवा सहायता की विदेशी मुद्रा उप-ऋण के रूप में संतुलनकारी उपस्कर का आयात करने, आधुनिकीकरण के लिये संयन्त्र और मशीनरी प्राप्त करने अथवा सीमान्तिक विस्तार करने के लिये जरूरी हों। जिन बड़ी परियोजनाओं को अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं जैसे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं साख निगम, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है, उनके मामले में समय-समय पर इन संस्थाओं की सम्मिलित बैठकें या विशेष सम्मेलन बुलाये जाते हैं। उपयुक्त मामलों में फक्टरी स्थल पर जाकर और आवेदकों से विचार-विमर्श करके एक संयुक्त तकनीकी तथा वित्तीय दल द्वारा जांच की जाती है। इस दल में सहायता देने वाली वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं।

जब निगम का संचालक बोर्ड वित्तीय सहायता मंजूर कर देता है तो आवेदक को सिद्धान्त रूप में मंजूरी की सूचना भेज दी जाती है, साथ ही मंजूरी की मुख्य शर्तें भी स्पष्ट कर दी जाती हैं। इसके पश्चात् उधार लेने वाले को मानकीकृत तथा मुद्रित ऋणकरार तथा प्रतिभूति के अन्य दस्तावेज निष्पादित करने होते हैं।

विधिक औपचारिकताओं तथा ऋण करार में उल्लिखित शर्तों के पूरा हो जाने के पश्चात् संवितरण शुरू हो जाते हैं। संवितरण में देरी को कम से कम करने के लिये विधिक औपचारिकताओं को बेहद सरल कर दिया गया है। परियोजना की प्रगति तथा पहले दिए गए ऋणों के उपयोग आदि को देखते हुए आगे संवितरण किये जाते हैं।

परियोजना की निर्माण अवधि में तथा उसके बाद भी निगम अनुवर्ती कार्रवाई करता है। सहायता प्राप्त संस्था को नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्रों में अपनी प्रगति रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र निगम को भेजने पड़ते हैं। जब कारखाना उत्पादन शुरू कर देता है तो निगम के तकनीकी तथा वित्तीय

अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर निगम सहायता-प्राप्त संस्थाओं के बोर्डों में अपने द्वारा नामित व्यक्तियों की नियुक्ति करके सहायता-प्राप्त संस्थाओं की गतिविधियों से निकट सम्पर्क बनाये रखता है।

56. यह ज्ञात होगा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1970 में लोक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये कुछ परिवर्तन करने का निर्णय किया। संयुक्त क्षेत्र विकल्प के सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेने से यह निर्णय किया गया कि बड़ी परियोजनायें जो लोक वित्तीय संस्थाओं से काफी वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, विशेषकर नीति स्तर पर उनके प्रबंध में सहयोग की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि वित्तीय संस्थाओं को अपने ऋणों तथा भविष्य में निर्गमित डिबेंचरों के पूरे अथवा कुछ भाग को निश्चित अवधि के भीतर संपरिवर्तन करने का अधिकार वित्तीय सहायता की एक व्यवस्था के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। पिछले ऋणों तथा डिबेंचरों के लिये वित्तीय संस्थायें अपनी स्वेच्छा से चूकों के मामले में वार्तालाप कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार हाल ही में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय के विस्तृत निदेश जारी किये हैं। ये निदेश दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों के साधारण शेयरों में बदलने तथा वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में संचालक नामित करने की नीतियों से सम्बन्धित हैं। ये निदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं साख निगम, जीवन बीमा निगम, यनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा निगम को जारी किये गये हैं।

इन निदेशों की शर्तों के अनुसार सभी मामलों में जहां पर कुल वित्तीय सहायता 50 लाख रुपये से बढ़ जाती है, ऋण के एक भाग को साधारण शेयरों में बदलना जरूरी हो गया है। उन सभी मामलों में जब एक औद्योगिक इकाई की कुल वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है परन्तु 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ती, तो वित्तीय संस्थाओं की स्वेच्छा से संपरिवर्तन धारा अनुबंधित की जा सकती है। स्वेच्छा का प्रयोग करते हुए सभी भौतिक तथा वाणिज्यिक तथ्यों जैसे, उद्योग केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्गीकृत 'कोर सेक्टर' का हिस्सा है अथवा उद्योग सुरक्षा प्रधान है अथवा उद्योग सामान्य उपभोग की आवश्यक वस्तु के उत्पादन में लगा है, को ध्यान में रखना आवश्यक है। जिन मामलों में एक औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ती तो ऋणों के एक भाग को साधारण शेयरों में बदलने से सम्बन्धित धारा को अनुबंधित करना जरूरी नहीं है जब कि वित्तीय संस्थायें वाणिज्यिक आधार पर ऐसा फैसला न कर लें।

ऋणों के साधारण शेयरों में बदलने से सम्बन्धित शर्तें उन विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर लागू नहीं होगी जो ऋण भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों में से मंजूर किये हैं। फिर भी यह संपरिवर्तन धारा उन सभी रुपया ऋण संविदाओं/डिबेंचर निर्गमों पर लागू होगी जो वित्तीय संस्थाओं ने औद्योगिक इकाइयों को सरकार के पास तथा किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध ऋण में उन इकाइयों को विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए मंजूर किये हैं।

ऋणों/डिबेंचरों का साधारण पूंजी में संपरिवर्तन की शर्तें, ऋण की संपरिवर्तित राशि, शेयर का इजरा मूल्य संपरिवर्तन विकल्प के अधिकार का प्रयोग करने की अवस्था अथवा अवस्थायें, विकल्प प्रयोग किये जाने की अवधि, यदि सूचना दी जाती है तो उसकी अवधि आदि प्रत्येक मामले में तय करके ऋण करार में अनुबंधित कर दिये जायेंगे। शर्तों को तय करते समय उद्योग की प्रकृति तथा महत्व, परियोजना के चालू होने की संभव अवधि, ऋण-इक्विटी अनुपात, परियोजना की लाभ क्षमता, विस्तार की संभावनायें, आदि को भी आवश्यक महत्व दिया जायेगा। ऐसी वर्तमान कम्पनियों के मामलें में जिन्हें पिछले लाभों में से आरक्षित निधियां कायम की हैं, इनके शेयर की इजरा कीमत तय करते समय शेयर का बाजार मूल्य, विसर्जन मूल्य, अधिलाभांश रिकार्ड, वर्तमान तथा भावी लाभ, आदि बातों पर भी ध्यान रखा जायेगा।

संपरिवर्तन धारा को बंधित करते समय संबंधित कम्पनी को संपरिवर्तन की शर्तों के अनुसार कम्पनी अधिनियम के खण्ड 81 (3) के अधीन अपने शेयरधारियों तथा केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति ले लेनी चाहिए।

निगम ने 30 जून, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्वेच्छा से 35 कम्पनियों के सम्बन्ध में संपरिवर्तन की शर्तों को अनुबंधित किया है, इन संस्थाओं को वर्ष के दौरान रुपया ऋण तथा पौंड स्टर्लिंग ऋण मंजूर किये गये थे। जिन 35 कम्पनियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनमें से एक ने सहायता का उपयोग नहीं किया तथा 10 के संपरिवर्तन मामलों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और शेष 24 के मामलों में संपरिवर्तन शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उपरोक्त निदेशों के अनुसार निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिये सभी भारी मात्रा में सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियों के बोर्डों में अपने सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधियों को नामित करना आवश्यक है, जिन मामलों में वित्तीय सहायता के लिये समझौता करारों में संपरिवर्तन धारा का निर्गमन किया गया है। अन्य मामलों में वित्तीय संस्था की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वे इन संस्थाओं बोर्डों में संचालक नामित करें अथवा नहीं।

नये उद्योग विशेष रूप से उन उद्योगों की समीक्षा जिन्हें निगम ने सहायता दी

57. 1970 के स्तर से 1971 में औद्योगिक उत्पादन की 3.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र में कम हलचल के कारण थे, कपास की कमी के कारण सूती वस्त्र का कम उत्पादन, चीनी का कम उत्पादन, क्षमता दबाव के कारण, कागज और कास्टिक सोडा जैसे, उद्योगों में सीमित उत्पादन, तथा कार्यकारी पूंजी तथा श्रमिक कठिनाइयों के कारण इस्पात उद्योग में क्षमता का कम उपयोग। कुछ इस्पात आधारित तथा इंजीनियरिंग उद्योगों को इस्पात की कमी रही जिन्हें

आयात द्वारा कुछ राहत प्रदान की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण की लगातार प्रगति के परिणामस्वरूप 1971 में बिजली मशीनरी उद्योग ने अच्छी प्रगति की। 1971 में कपास की अच्छी उपज होने तथा कपास की कीमतें गिर जाने से सूती वस्त्र उद्योग में लाभ की स्थिति में सुधार हुआ। 1971-72 में गन्ने की कमी के कारण चीनी का उत्पादन घट गया। औद्योगिक उत्पादन को तीव्र करने के लिये भारत सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन मूल उद्योगों, जैसे लोहा और इस्पात, इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता वस्तुयें बनाने वाले उद्योगों सहित चुने हुए 54 उद्योगों को जनवरी, 1972 में लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने की स्वीकृति दे दी।

1971 में मिश्रित धातु तथा विशेष इस्पात का उत्पादन 3.2 लाख टन रहा। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में यह 10 प्रतिशत कम था, फिर भी उद्योग ने पिछले दो वर्षों की तुलना में 23.1 प्रतिशत अधिक उत्पादन करके भारी प्रगति की, इस उद्योग ने निर्माण इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात सहज कटने वाले इस्पात सहित उत्पादन दिशाओं में वृद्धि की है अब उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में समर्थ है।

1971 में काले तथा जस्ताकृत इस्पात का निर्माण करने वाली लाइसेंस प्राप्त 14 इकाइयों ने 6 लाख विस्थापित क्षमता के स्थान पर लगभग 2.18 लाख टन का उत्पादन किया। इस क्षेत्र में काफी क्षमता है परन्तु 1971 में इस्पात चादरों तथा पत्तियों की कमी के कारण इस पर बुरा प्रभाव पड़ा। निगम से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं को कच्चे माल की कमी रही और अधिकतर की कम बिक्री हुई।

1971 में ट्रैक्टरों का उत्पादन 1970 की तुलना में 21 प्रतिशत कम रहा। श्रम संकट के कारण एक फैक्ट्री के बन्द होने तथा वित्तीय कठिनाइयों से दूसरी का उत्पादन घटने से उत्पादन गिर गया। एस० के० डी०/सी० के० डी० ट्रैक्टरों के आयात ने उत्पादन स्तरों को कम रखा। निगम द्वारा वित्तपोषित एक इकाई जिसने 1971 में उत्पादन शुरू किया, अपना माल बेचने में भी कठिनाई रही। फिर भी इस वर्ष उद्योग की विस्थापित क्षमता में लगभग 29 प्रतिशत वृद्धि हुई। पहली सितम्बर, 1971 से ट्रैक्टरों का वितरण कानूनी नियंत्रण में लिया गया तथा नये ट्रैक्टर खरीदने के लिए पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई। कृषि के आधुनिकीकरण हो जाने से आगामी वर्षों में ट्रैक्टरों, विशेषकर कम हार्स पावर के ट्रैक्टरों की मांग बढ़ने की संभावना है।

बिजली के पंखों का उत्पादन 1970 के 15 लाख की तुलना में 1971 में 19 लाख हुआ। क्षमता का 105 प्रतिशत उपयोग किया गया जबकि 1970 में यह केवल 87 प्रतिशत था। देश में ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नागरिकीकरण से बिजली के पंखों की मांग बढ़ेगी क्योंकि वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है, अतः नई क्षमता पैदा करने की जरूरत है।

घरेलू उपयोग के मीटर उद्योग में एक फेज मीटरों के उत्पादन में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा बहु-फेज मीटरों के उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र रूप से 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया गया। निगम द्वारा वित्तपोषित अधिकतर 200,000 बहु-फेज मीटर उत्पादन क्षमता वाली इकाई आर्डरों की कमी के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकी।

कच्चे माल, विशेषकर इस्पात पत्तियों की कमी के कारण बाइसाइकिलों का उत्पादन 21 लाख की तुलना में 1971 में 19 लाख हो गया। निगम से वित्तपोषित एक इकाई ने अपने सीमान्त उत्पादन में वृद्धि की है। इस उद्योग ने लगातार काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की।

बाल और रोलर बियरिंग उद्योग के लिए 1971 का वर्ष अच्छा रहा, इसकी विस्थापित क्षमता में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बियरिंगों के उत्पादन में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो 1971 में 190 लाख के स्तर पर पहुंच गया। इंजीनियरिंग उद्योग के लगातार विकास से उद्योग के उत्पादन की मांग अच्छी रही। निगम से वित्तपोषित इकाइयों ने उत्पादन में मामूली वृद्धि की और उनमें से अनेक ने क्षमता का पूरा उपयोग किया।

1971 में कास्टिक सोडे का उत्पादन 3.7 लाख टन रहा जो 1970 की तुलना में थोड़ा ही अधिक था, परन्तु इसकी घरेलू मांग गिर गई। उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और "वास्तविक उपभोक्ता" के आधार पर आयात की भी स्वीकृति दी गई। तरल क्लोरिन की विस्थापित क्षमता 2.2 लाख टन थी परन्तु वास्तविक उत्पादन केवल 1.6 लाख टन रहा। निगम से सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों की सोडा तथा क्लोरिन की अच्छी बिक्री रही लेकिन उन में से कुछ को ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की कमी का सामना करना पड़ा।

उर्वरक उद्योग ने जो 'कोर सेक्टर' में है, काफी उत्साहवर्धक परिणाम दिखाये। नाइट्रोजन उर्वरकों का 1971 में उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़कर 9.5 लाख टन हो गया, 1.5 लाख टन की विस्थापित क्षमता का 63 प्रतिशत के लगभग है। फास्फेरिय उर्वरकों का उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़कर 2.9 लाख टन हो गया, इसमें 5 लाख टन की विस्थापित क्षमता का 58 प्रतिशत उपयोग किया गया। फिर भी आन्तरिक उत्पादन से बढ़ती मांग को पूरा नहीं किया जा सका और लगातार आयात होता रहा। बिजली की कमी, श्रम संकटों तथा कच्चे माल की कमी के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं उठाया जा सका। सिंचाई सुविधाओं के बढ़ जाने से उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ने की आशा है। निगम द्वारा वित्तपोषित इकाइयों ने यूरिया के उत्पादन में औसतन 75 प्रतिशत और अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में 40—45 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया।

सीमेंट का उत्पादन 1970 के 140 लाख टन से 1971 में 149 लाख टन हो गया, यह 1970 की 3 प्रतिशत से कम वृद्धि की तुलना में 6.4 प्रतिशत बढ़ा। यद्यपि सीमेंट के उत्पादन में लगी इकाइयां 50 पर ही स्थिर रही, 1970 में 173.6 लाख टन की विस्थापित क्षमता 1971 में 193.9

लाख टन हो गई । सीमेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना एक स्वस्थ प्रयास है । समान्यतः निगम से सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों का कार्य संतोषप्रद रहा ।

वर्ष के दौरान भट्ठी में लगने वाली ईंटों के उद्योग ने तीव्र प्रगति की, 1971 में उत्पादन 7.8 लाख टन हुआ जो 1970 में 7.4 लाख टन था । उद्योग में लगभग 70 प्रतिशत क्षमता का उपयोग उठाया गया। भट्ठी में लगने वाली ईंटों की उपयोग प्रवृत्तियां बदल रहीं हैं जैसा कि अधिक संकलित उत्पाद जैसे, ग्रोग तथा उच्च अलूमिना अग्नि ईंटों, भारी सिलिका ईंटें, बिजली से बनने वाली ईंटें तथा बहुत अच्छे प्रकार की जिरकोन ईंटों की मांग बढ़ रही है ।

1971 में कांच उद्योग ने तीव्र प्रगति की, उपभोक्ता उद्योगों जैसे, दूध, पेय, हल्के पेय आदि के विकसित होने से कांच बोतलों की मांग बढ़ गई । उद्योग के अन्य क्षेत्रों जैसे, फ्लोरोसेंट ट्यूबों तथा जी० एल० एस० लैम्पों के लिये खोलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई ।

उद्योग सोडा ऐस, अच्छी प्रकार की भट्टी की ईंटों, वैगनों की कमी के कारण बहुत अच्छा कार्य नहीं कर सका । ढलवा उत्पादों जैसे चित्रित तथा आकृति वाले कांच के उत्पादन में लगी एक इकाई को बाजार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निगम द्वारा वित्तपोषित इकाइयों की सफलता अलग अलग रही, कुछ के सामने बाजार कठिनाइयां थीं। एक इकाई ने बिक्री में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की ।

कागज और कागज बोर्ड उद्योग में 1971 के दौरान उत्पादन 1.1 लाख टन से बढ़कर 8.8 लाख टन बढ़ गया, 1971 में 7.57 लाख टन कागज और कागज बोर्ड विशेषकर छपाई और लिखाई कागज का उत्पादन मांग से कम था। केन्द्रीय सरकार ने देश में कागज की कमी को पूरा करने के लिए 1971 में क्रैस कार्यक्रम शुरू किया, इसका लक्ष्य 15 से 20 महीनों के सीमित काल में 1.30 लाख टन कागज उत्पादन क्षमता का विस्तार करना है। भारी पूंजी के विनियोग वाले इस उद्योग में नई इकाइयां लगाने के लिये भारी पूंजी तथा कच्चे माल की उपलब्धता को देखना होगा। इस उद्योग में निगम से वित्तपोषित इकाइयों का कार्य संतोषजनक रहा ।

इस वर्ष रबर उत्पाद उद्योग का कार्य अच्छा रहा और इसने अधिकतर वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली, अभी भी कुछ वस्तुओं का निर्यात किया जाता है ।

इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा ढील दिये जाने और देशी कच्चे माल की काफी उपलब्धता से आटोमोबाइल टायर और ट्यूब उद्योग ने अधिकतम क्षमता प्राप्त कर ली। 1971 में आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों के उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस उद्योग में निगम ने तीन इकाइयों को सहायता प्रदान की, एक ने अपनी बिक्री में काफी वृद्धि की जबकि अन्य दो का कार्य श्रम संकटों तथा बिजली की कमी से ठीक न रहा ।

इस वर्ष के दौरान औद्योगिक वी० बेल्टों तथा पंखों के बेल्टों के उत्पादन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षमता का 100 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया गया। उत्पादन 52.6 लाख बेल्टों का ही हुआ । निगम की सहायता प्राप्त करने वाली एक इकाई का कार्य कम सन्तोषजनक था और श्रम संकटों के कारण यह केवल 62 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर सकी ।

कृत्रिम रेशे उद्योग का कार्य समग्र रूप से संतोषजनक रहा यद्यपि उद्योग को कच्चे माल की कठिनाई का सामना करना पड़ा । कृत्रिम रेशे का वर्तमान उत्पादन मांग से कम है। उत्पादन तथा मांग के अन्तर को कम करने के लिये सरकार ने कई नये स्वीकृति पत्र/लाइसेंस जारी किये हैं और कुछ वर्तमान संस्थाओं के कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू किया जा रहा है। निगम से वित्तपोषित इकाइयों का कार्य संतोषजनक रहा ।

चीनी का उत्पादन 1970-71 में 37.40 लाख टन था, जो 1971-72 में घटकर 31.00 लाख टन रह गया । उत्पादन में 17 प्रतिशत की कमी का मुख्य कारण गन्ने की उपलब्धता की कमी है ।

केन्द्रीय सरकार ने चीनी उत्पादन को अधिकतम करने के लिये कई कदम उठाये । पहली दिसम्बर, 1972 से 3 सितम्बर, 1972 तक पैदा की गई चीनी पर 16 रु० प्रति क्विन्टल उत्पादन शुल्क में छूट दी ।

वर्ष के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित चीनी सहकारियों का कार्य समान्यतः सन्तोषजनक रहा ।

बंगला देश में घटनाओं के परिणामस्वरूप पटसन उत्पादों का उत्पाद तीव्र कर किया गया ताकि विदेशी खरीददारों की मांग को पूरा किया जा सके। यह वर्ष पटसन उद्योग के लिये बहुत ही अनुकूल रहा। निगम से सहायता प्राप्त करने वाली ईकाइयों ने उद्योग की समृद्धि में योगदान दिया ।

पिछले कुछ वर्षों से सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल को ऊँची कीमतों, उच्च निर्माण लागत से कम लाभ के कारण संकट की स्थिति में रहा । राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम तथा राज्य सूती वस्त्र निगमों ने बन्द पड़ी इकाइयों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तथा पुर्नस्थापन की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 1971 में कपास के उत्पादन बढ़ने तथा परिणामस्वरूप कपास की कीमतें गिरने से सूती वस्त्र उद्योग मे लाभ की स्थिति में बहुत सुधार हुआ ।

यद्यपि भविष्य में सूती वस्त्र की मांग बढ़ने की आशा है, उद्योग में लाभ की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि लम्बे धागे वाली देशी कपास में उपलब्ध होती रहे और मिलों का पूर्णतः आधुनिकीकरण किया जाये ।

निधि स्रोत

शेयर पूंजी

58. निगम ने अपने निधि स्रोत तथा उधार शक्ति बढ़ाने के दृष्टिकोण से जून, 1972 में 5000 रु० प्रति शेयर की दर से 1,65,40,000 रु० अंकित मूल्य के 3,308 शेयर (चौथी सिरीज) जारी किए, जिनका पूरा अभिदान हो गया ।

उपरोक्त 3,308 शेयरों के लिए सभी शेयर धारियों से 2,500 रु० प्रति शेयर की दर से आवेदन मुद्रा प्राप्त हो चुकी है और शेष राशि 2,5000 रु० प्रति शेयर निकट भविष्य में प्राप्त कर ली जाएगी।

बांड

59. 1971 में 4 प्रतिशत के परिपक्व होने वाले बांडों को ध्यान में रखते हुए जो अक्तूबर, 1971 में परिपक्व हुए तथा निगम के निधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपए के नकद व संपरिवर्तनीय बांड अक्तूबर, 1971 में जारी किए, जिनकी परिपक्वता अवधि 12 वर्ष है। बांड सम-मूल्य पर जारी किये गये और ब्याज की दर 5½ प्रतिशत वार्षिक तय की गई। जारी की गई राशि में अनुज्ञेय 10 प्रतिशत रकम को मिलाकर 8.80 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। इसमें 1971 के 4 प्रतिशत वाले बांडों के अंकित मूल्य की राशि 2.94 करोड़ शामिल है, जिन्हें नई सीरीज में बदल दिया गया। इस निर्गम से वर्ष के अन्त में बकाया बांडों की कुल राशि 61.00 करोड़ रुपए थी।

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण

60. 30 जून, 1971 को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों को राशि 77.32 करोड़ रुपए थी। निगम ने सरकार से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान के एफ० डब्ल्यू० ऋणों से पैदा होने वाले ब्याज दर अन्तर निधियों के अधीन 0.09 करोड़ रुपए की राशि उधार ली। 3.34 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई। इस वर्ष के अन्त में ऋणों की बकाया राशि 74.07 करोड़ रुपए थी। पिछले दो वर्षों की भांति इस वर्ष में निगम के लिए केन्द्रीय बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त ऋण

61. समीक्षाधीन वर्ष में पिछले वर्षों की भांति रिजर्व बैंक से ऋण उसी अवस्था में लिये गए जबकि ऋण लेना अनिवार्य हो गया था। 30 जून, 1972 को इस शीर्षक के अन्तर्गत 1.68 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी जो बाद में अदा कर दी गई।

विदेशी मुद्रा ऋण

62. दिसम्बर, 1971 में 80 लाख जर्मन मार्क का एक और दसवां ऋण निगम को दिया गया। वर्ष के अन्त में उपरोक्त ऋण सहित निगम के पास पश्चिम जर्मन मार्क का कुल ऋण 1205 लाख मार्क हो गया। निगम ने इसमें से 1145 लाख मार्क के उप-ऋण मंजूर किये। अब यह पूर्ण संपरिवर्तनीय है, अर्थात् यह कुछ विशेष देशों को छोड़ कर पश्चिमी जर्मनी के अतिरिक्त अमेरिका, इंग्लैण्ड, इटली, फ्रांस, तार्थे, स्वीडन, डेनमार्क, जापान आदि देशों से पूंजीगत माल, इंजीनियरिंग जानकारी और सेवाओं आदि के आयात के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

संयुक्त राज्य/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971 के अन्तर्गत 10 लाख पौंड का ऋण सम्बन्धी दस्तावेज सितम्बर, 1971 में पूरा किया गया। इस ऋण के पूरा होने से भारत सरकार द्वारा प्रदान संयुक्त राज्य ऋणों की कुल राशि 20 लाख पौंड हो गई, इसमें से वर्ष के अन्त तक 12.7 लाख पौंड के उप-ऋण मंजूर किये गये। इससे निगम पात्र संस्थाओं को संयुक्त राज्य से पूंजीगत माल का आयात करने के लिए ऋण दे सकेगा।

बैंक फ्रांसिस डु कामर्स एक्सटिरिए, द्वारा निगम को दिये गये फ्रांसिसी ऋण का कुल मूल्य 150.0 लाख फ्रांक था, जिसमें से 130.1 लाख फ्रांसीसी फ्रांक के उप-ऋण मंजूर किये गये।

उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के स्रोत

63. 30 जून, 1972 तक निगम ने जो रकमें संवितरित की हैं और हामीदारी लेने के कारण उसे जो शेयर और डिबेंचर लेने पड़े थे उनकी कुल राशि 289.77 करोड़ रुपए है। ये निम्नलिखित स्रोतों से पूरे किये गये हैं:

	(रुपए, करोड़ों में)
प्रदत्त पूंजी	9.17
आरक्षित निधियां	16.02
बांड जारी करके बाजार से प्राप्त ऋण	61.00
केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	74.07
रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण	1.68
विदेशी ऋण	38.62
रुपया ऋणों की वापसी और निवेशों की बिक्री	89.41
जोड़	289.77

पिछले तीन वर्षों में निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(रुपए, करोड़ों में)

	1969-70	1970-71	1971-72
क—निधियों का स्रोत			
आंतरिक स्रोत			
1. प्रारंभ में नकदी और बैंक शेष	8.42	6.89	9.18
2. वर्ष का सकल लाभ	4.33	4.47	4.84
3. उधार लेने वालों द्वारा ऋणों की वापसी—			
(क) रुपया ऋण	10.34	9.48	10.87
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	1.97	2.46	2.59

4. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों की बिक्री	1.30	2.01	–
5. डिबेंचरों/अधिमान शेयरों का विमोचन	0.01	0.70	0.33
6. निवेशों की बिक्री	0.01	0.16	1.74
7. गारंटी दायित्वों के रूप में वसूली	0.04	–	0.07
8. शेयरों का निर्गमन-आवेदन मुद्रा	–	–	0.83
उप-जोड़	26.51	26.17	30.45
उधार			
9. बांड जारी करके बाजार से उधार	5.50	4.95	8.80
10. विदेशी संस्थाओं से उधार	1.69	3.10	2.95
11. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से निवल उधार	–	1.24	1.68
12. केन्द्रीय सरकार से उधार	–	–	0.09
उप-जोड़	7.19	9.29	13.52
जोड़	33.70	35.46	43.97
ख—निधियों का उपयोग			
औद्योगिक संस्थाओं को सहायता			
1. सहायता संवितरणों के रूप में			
(क) ऋण			
(i) रुपया ऋण	15.01	13.16	17.85
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	1.69	3.10	2.95
(ख) हामीदारी दायित्वों के रूप में औद्योगिक इकाइयों के शेयर/ डिबेंचरों में अभिदान	0.82	0.73	0.56
(ग) प्रत्यक्ष अभिदान	0.03	0.14	1.72
(घ) निगम द्वारा दी गई हामीदारियां	0.16	0.02	0.19
उप-जोड़	17.71	17.15	23.27
सरकार को अदायगी			
2. ऋणों की अदायगी	1.77	2.29	3.34
3. कर के लिए व्यवस्था	2.37	2.37	2.17
उप-जोड़	4.14	4.66	5.51
अन्य उपयोग			
4. रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋणों की अदायगी	–	–	1.24
5. विदेशी संस्थाओं से प्राप्त ऋणों की अदायगी	2.09	2.26	2.40
6. बांडों का विमोचन	–	–	5.49
7. अधिलाभांश	0.25	0.42	0.42
8. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.51	–	–
9. अन्य	0.11	1.79	3.18
10. अन्त में नकदी और बैंक शेष	6.89	9.18	2.46
उप-जोड़	11.85	13.65	15.19
जोड़	33.70	35.46	43.97

ऋणों की वापसी अदायगी की प्रगति

64. सारणी 11 और 12 में वे रकमें दिखाई गई हैं जो पिछले पांच वर्षों के अन्त में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में लेनी थी और जो रकमें वसूल हुई थीं। इसमें प्रत्येक वर्ष में बाकीदारी की रकमों का ब्यौरा दिया गया है। 30 जून, 1972 को 165.65 करोड़ रुपए के कुल बकाया ऋणों में ब्याज की 598.40 लाख रुपए की बाकीदारी तथा मूलधन 637.06 लाख रुपए की बाकीदारी थी, जो कुल बकाया ऋणों का क्रमशः 3.61 प्रतिशत तथा 3.84 प्रतिशत है।

सारणी 11

ब्याज

(रुपए, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया रकम*	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया मूलधन	वर्ष के दौरान मूलधन की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान मूलधन की प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान मूलधन की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम*
1	2	3	4	5	6	7
1968	12120.37	116.82	940.19	1057.01	830.57	202.81
1969	13553.04	202.81	1026.64	1229.45	917.78	311.67
1970	14207.50	311.67	1084.89	1396.56	1023.84	372.72
1971	14998.54	372.72	1161.08	1533.80	983.05	550.75
1972	16565.11	550.75	1165.96	1716.71	1081.15	598.40

*इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं, जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों को चूकें नहीं माना जाता

सारणी 12

मूलधन

(रुपए, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया ऋण*	वर्ष के प्रारंभ में ब्याज की देय रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की देय रकम	खाना 3 और 4 का जोड़	वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त रकम	वर्ष के दौरान ब्याज की अदायगी में चूक होने से बकाया रकम**
1	2	3	4	5	6	7
1968	12120.37	80.02	928.16	1008.18	801.11	149.32
1969	13553.04	149.32	944.90	1094.22	811.99	256.51
1970	14207.50	256.51	1163.66	1420.37	1004.24	313.21
1971	14998.54	313.21	1354.43	1667.64	1151.66	498.03
1972	16565.11	498.03	1531.34	2029.37	1287.39	637.06

*इसमें वे बकाया ऋण शामिल नहीं हैं जिनकी किस्तें अदायगी में चूक होने के कारण आस्थगित कर दी गई हैं और जिनकी गारंटी निगम ने दी थी और इस लिए निगम को उन्हें अदा करना पड़ा। ये ऋण और उनके ब्याज का ब्यौरा सारणी 14 में दिया गया है।

**इसमें वे राशियां शामिल नहीं हैं जिनकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तकनीकी रूप से ऐसे मामलों में चूकें नहीं माना जाता।

65. 30 जून, 1972 तक बाकीदारी का उद्योगवार ब्यौरा और पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिये गए हैं।

सारणी 13

(रुपए, लाखों में)

उद्योग	30-6-1972 तक की बाकीदारियां			30-6-1972 तक की बाकीदारियां		
	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज	संस्थाओं की संख्या	मूलधन	ब्याज
चीनी	7	39.00	82.05	4	38.38	75.53
सूती वस्त्र	21	180.33	186.88	19	211.74	180.12
पटसन	—	—	—	1	—	1.94
लकड़ी और कार्क	1	75.00	23.09	1	92.48	31.81
कागज	3	15.65	87.86	3	18.10	64.12
रबर उत्पाद	2	1.53	5.97	3	13.59	17.04
मूल औद्योगिक रसायन	2	19.73	22.53	2	25.50	24.93
विविध रसायन	2	23.06	12.16	4	44.84	26.46
वनस्पति और पशु जन्य तेल तथा स्नेह	—	—	—	1	—	1.11
कांच	2	3.92	1.24	2	6.31	4.05
मृत्तिका शिल्प और भट्टी में लगाने की ईंटें	5	54.48	62.30	4	66.79	68.78
धातु उत्पाद	10	15.17	19.53	11	22.35	31.34
मशीनरी	5	31.85	10.57	7	48.68	18.21
बिजली मशीनरी तथा उपस्कर	2	19.23	22.30	2	5.35	20.29
विविध निर्माण उद्योग	2	8.63	1.06	2	12.15	0.93
मोटर गाड़ियां और उनके पुर्जे	1	5.30	8.88	1	9.90	16.84
साइकल	1	2.00	—	1	13.25	5.68
खनन और खदान-कोयला	—	—	—	1	2.50	2.11
होटल	1	3.15	4.33	1	5.25	7.11
जोड़	67	498.03	550.75	70	637.06	598.40

वर्ष के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 21 से घटकर 19 रह गई। बाकीदारी रकमों में और भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इस वर्ष उन्हीं संस्थाओं ने फिर समय पर रकमें नहीं चुकाई हैं जो पहले नहीं चुका सकी थीं। सूती वस्त्र उद्योग में प्रतिकूल परिस्थितियां होने से इन संस्थाओं का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा। यह सर्वविदित है कि छः वर्षों से सूती वस्त्र उद्योग में कार्य परिणाम असन्तोषप्रद रहा, जिसके कारण थे, माल की लागत में वृद्धि होना विक्रय मूल्य की वसूली कम होना, और उसकी अपेक्षा विनिर्माण लागत में वृद्धि होना। नवम्बर-दिसम्बर 1971 से कपास की स्थिति में सुधार हुआ है और कई परियोजनाएं ऊपर उठने लगी हैं। कुछ अन्य कठिनाइयां भी थीं, जैसे परियोजना के कार्यान्वित होने में विलम्ब हो जाने से लागत में अतिव्यय, कार्यकर पूंजी का अभाव, अकुशल प्रबन्ध और मजदूरों की हड़तालें आदि। कुछ इकाईयों के कार्य पर बिजली की उचित मात्रा में पूर्ति के अभाव का भी दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ इकाइयों के मामले में निगम ने अदायगीयों के कार्यक्रम में उचित परिवर्तन तथा आस्थगन करके राहत प्रदान की। इसके साथ ही इन संस्थाओं की कमियों तथा कठिनाइयों को भली प्रकार से समझने के लिए अधिक निरीक्षण तथा प्रवर्तकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के साथ विचार विमर्श को तीव्र कर दिया है। उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने निगम द्वारा वित्तपोषित पांच अकुशल मिलों के प्रबन्ध को राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम लि० को सौंप दिया है, जो अधिकृत नियन्त्रक हैं। कुछ मामलों में, निगम को बाध्य होकर अपनी बकाया को वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी।

चीनी उद्योग में बाकीदारी संस्थायों की संख्या 7 से घटकर 4 रह गई, ब्याज और मूलधन की बाकीदारी की रकमों में भी कमी हुई है।

समग्र रूप से कागज उद्योग का कार्य सन्तोषजनक रहा। फिर भी निगम द्वारा वित्तपोषित कुछ इकाइयां उनकी अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण देय रकमें समय पर नहीं चुका सकीं। पिछली वार्षिक रिपोर्ट में एक इकाई के पुनर्प्रवर्तन का उल्लेख किया गया था जिसमें निगम का भारी जोखिम है तब से इस संस्था ने विस्तार योजना के लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की उहायता के लिए पहुंच की है, जो मंजूर कर दी गई है। एक अन्य मामले में निगम की कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप सम्बन्धित न्यायालय ने बन्धक परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश दे दिया, तथा निगम की बकाया को वसूल करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

मृत्तिका शिल्प तथा भट्ठी में लगने वाली ईंटों की इस्पात और अन्य उद्योगों से मांग बढ़ जाने के कारण इस उद्योग की स्थिति में और सुधार हुआ है। यद्यपि निगम द्वारा वित्तपोषित इकाइयों के कार्यपरिणामों में कुछ सुधार हुआ है फिर भी कुछ ब्याज और मूलधन की बकाया रकमों को अदा करने में असमर्थ रहे। एक मामले में मन्दी के प्रभाव से पूर्णतः मुक्ति पाने तथा सन्तोषजनक कार्य के लिए कुछ समय लगेगा। एक अन्य मामले में कम्पनी का परिसमापन कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने संसद् के यअधिनिम द्वारा उपक्रम को अपने अधीन ले लिया है तथा निगम ने केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायालय में दिये जाने वाली मुआवजे की राशि के लिए रक्षित दावेदार के रूप में अपना दावा दायर कर दिया है।

हार्डबोर्ड के उत्पादन में लगी इकाई जिसका उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया गया था इस वर्ष में भी बाकीदारी की रकम अदा करने में असमर्थ रही, यद्यपि इसके घरेलू तथा निर्यात बिक्री में सुधार हुआ है। कम्पनी को परिवहन की कठिनाइयों के कारण अपने उत्पाद को बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कम्पनी की स्थिति सुधारने के लिए कुछ राहतें देने का निर्णय किया गया है।

इस वर्ष के दौरान भी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थिति लगातार असन्तोषजनक रही, बाकीदारी संस्थाओं की संख्या 21 से बढ़कर 24 हो गई। विशेषकर इस्पात तथा अन्य धीजों की कीमत बढ़ने तथा श्रम संकट, उच्च उत्पादन लागत, कुछ मामलों में कार्यकर पूंजी का अभाव तथा कुछ मामलों में अकुशल प्रबन्ध इस असंतोषजनक स्थिति का कारण रहे।

पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि इंजीनियरिंग उद्योग में सुधार के बावजूद भी कुछ मशीनरी निर्माता, मशीनी औजारों, इस्पात के ढ़ांचों और छोटे औजारों के उत्पादकों का कार्य असंतोषप्रद था। इनमें से कुछ परियोजनाऐं अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं में से कुछ को अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर वित्तीय सहायता प्रदान की गई, अदायगियों के मामलों में उचित परिवर्तन करके, और पुर्नस्थापना की योजना के रूप में प्रबन्ध को मजबूत किया गया। अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ इन संगठित प्रयासों से एक संस्था के प्रबन्ध में सफलतापूर्वक परिवर्तन लाया गया, आशा है कि कुछ समय में यह संस्था सुधार कर लेगी। पश्चिमी बंगाल की एक अन्य संस्था के मामले में निगम ने बन्द पड़ी फैक्टरी को खोलने के लिए औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० के सहयोग से उसको स्थाई परिसंपत्तियों पर समान प्रभार देकर और ऋणों में परिवर्तन/आस्थगन करके उचित राहत प्रदान की।

बाकीदारी की परियोजनाओं पर लगातार चौकसी रखी जा रही है और इनके पुर्नस्थापन तथा आवश्यक मामलों में कानूनी कार्रवाई द्वारा निगम की बकाया को प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

66. जिन आस्थगित अदायगियों के लिए निगम ने गारंटी दी थी उनकी किश्तों में चूकें होने के कारण निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि नीचे सारणी 14 में दिया गया है।

सारणी 14

जिन आस्थगित अदायगियों के लिए निगम ने गारंटी दी थी उनकी किस्तों की अदायगी में चूकें होने के कारण निगम द्वारा अदा की गई बाकीदारी की रकम और उस पर देय ब्याज आदि

(रुपए, लाखों में)

30 जून को समाप्त हुआ वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बाकीदारी की रकम	वर्ष के दौरान बाकी वारी की रकम	खाना 2 और 3 का जोड़	वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के अन्त में देय बाकीदारी की रकम
1	2	3	4	5	6
1968	335.11	80.41	415.52	0.47	415.05
1969	415.05	116.27	531.32	3.89	527.43
1970	527.43	52.24	579.67	285.83*	293.84
1971	293.84	25.71	319.55	2.72	315.83
1972	316.83	32.10	348.93	112.22**	236.71

*इसमें 279.44 लाख रुपए की वह राशि शामिल है, जिसे नये ऋणों में परिवर्तित करके मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है।

**इसमें 30.17 लाख रुपए की वह राशि शामिल है, जिसकी मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई।

शेयरों का वितरण

67. विभिन्न वर्गों के अंशधारियों के पास निगम के जो शेयर (प्रथम से तीसरी सीरीज तक) थे, समीक्षाधीन वर्ष में उनके वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है निगम ने जून, 1972 में विभिन्न वर्गों के अंशधारियों को उनके पास शेयरों के अनुपात में 3,308 शेयर (चौथी सीरीज) प्रदान किये। प्रत्येक प्रकार के शेयरधारियों ने पूरा-पूरा अभिदान किया।

लेखे

इस वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(रुपये लाखों में)

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
68. इस वर्ष के कारोबार की सकल आय	1498.12	1345.95
सकल आय में से निम्नलिखित घटाने के बाद बांडों और अन्य ऋणों पर अदा किया गया ब्याज	847.84	820.34
अन्य खर्चे तथा निवेशों की बिक्री से हानि	166.70	78.35
निवेशों के मूल्य में ह्रास	48.00	—
कर के लिये व्यवस्था	216.83	237.00
इस वर्ष का निवल लाभ	218.75	210.26
218.75 लाख रुपये के निवल लाभ को इस प्रकार विनियोजित किया गया :		
(1) सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित	82.70	74.54
(2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अन्तर्गत आरक्षित निधि को अंतरित	44.00	50.00
(3) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये आरक्षित निधि को अंतरित	49.18	42.99
(4) स्टाफ कल्याण निधि को अंतरित	1.00	1.00
(5) 9.17 करोड़ रुपयों की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 5 प्रतिशत वार्षिक दर से अधिलाभांश की अदायगी	41.87	41.73
	218.75	210.26

30 जून, 1972 को शेयरों का वितरण नीचे लिखे अनुसार था :

	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	10,000	50
अनुसूचित बैंक	4,067	20
बीमा संस्थाएं आदि	4,314	22
सहकारी बैंक	1,619	8
	20,000	100

सामान्य आरक्षित निधि

69. चालू वर्ष के लाभों में से 82.70 लाख रुपए की रकम सामान्य आरक्षित निधि में अन्तरित कर दी गई है, जो अब 917.30 लाख रुपए हो गई है।

सामान्य आरक्षित निधि के अतिरिक्त कुल 479.78 लाख रुपए की निम्नलिखित विशेष आरक्षित निधियां हैं।

(रुपए, लाखों में)

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 32क के अधीन विशेष आरक्षित निधि	100.00
(2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	379.58
	479.78

सामान्य और आरक्षित निधियों की कुल रकमों का जोड़, 1397.07 लाख रुपए है।

इसके अतिरिक्त संदिग्ध ऋणों के लिए कुल 203.00 लाख रुपए की रकम आरक्षित है। इस प्रकार निगम के पास आरक्षित निधियों की कुल रकम 1602.08 लाख रुपए है जो प्रदत्त पूंजी से 684.78 लाख रुपए अधिक है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि

70. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i)(viii) के अधीन चालू वर्ष के लाभ में से 44.00 लाख रुपए की राशि विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित कर दी गई। यह राशि चालू वर्ष की कर निर्धार्य आय के 10 प्रतिशत के बराबर है। इस प्रकार इस निधि की जमा रकम 379.78 लाख रुपये हो गई है।

अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिये व्यवस्था

71. वर्ष के अन्त में ऋण खाते की समीक्षा संतोषजनक पाई गई। फिर भी, निगम के कार्यक्षेत्र के विस्तार, कुछ संस्थाओं के पुनःस्थापना की योजनाओं के परिपक्व होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए, संचालकों ने दूरदर्शिता से काम लेकर समीक्षाधीन वर्ष के लाभ में से 49.18 लाख रुपए संदिग्ध ऋणों की आरक्षित निधि को अन्तरित करने का निर्णय किया है।

आयकर के लिये व्यवस्था

72. 30 जून, 1971 को समाप्त हुए लेखा वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 1972-73) को कर निर्धारण की कार्यवाही की वार्षिक लेखा बन्द होने से पहले अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। अतः 30 जून, 1972 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिए कर लेखे में 216.83 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

पिछले पांच वर्षों का कार्य परिणाम

73. निगम के पिछले पांच वर्षों के लाभ-हानि लेखे का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया है।

सारणी 15

(रुपए, लाखों में)

	पिछले पांच वर्षों का कार्य परिणाम				
	1968	1969	1970	1971	1972
उपार्जित लाभ	1009.90	1086.78	1200.34	1257.84	1383.31
अन्य आय	71.24	107.03	81.23	88.11	114.81
कुल आय	1081.14	1193.81	1281.57	1345.95	1498.12
अदा किया गया ब्याज	670.63	739.24	793.56	820.34	847.84
बांडों पर बट्टा और दलाली	16.97	17.87	1.37	1.17	3.26
स्थापना खर्च जिसमें चिकित्सा शुल्क तथा खर्च और कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज भी शामिल है	23.49	29.35	35.03	48.24	61.33
राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान	—	—	—	—	5.00
अन्य खर्च तथा निवेशों की बिक्री से हानि	13.63	15.24	18.79	28.94	97.11
कुल खर्च	724.72	801.70	848.75	898.69	1014.54
सकल लाभ	356.42	392.11	432.82	447.26	483.58
निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए व्यवस्था	—	—	—	—	48.00
कर के लिए व्यवस्था	198.25	221.79	237.00	237.00	216.83
निवल लाभ	158.17	170.32	195.82	210.26	218.75
आरक्षित निधियों में	133.54	145.69	171.19	168.53	176.88
अधिलाभांश	24.63	24.63	24.63	41.73	41.87

पिछले वर्ष 1345.95 लाख रुपए की आय की तुलना में निगम को इस वर्ष कुल 1498.12 लाख रुपए की आय हुई।

अशोक पपर मिल्स लि०, की पुनः स्थापना की योजना के लिए, जिसमें निगम को भारी जोखिम था, निगम ने 96 लाख रुपए के बकाया ब्याज को कम्पनी के साधारण शेयरों में बदल दिया तथा इसमें से 66 लाख रुपए अंकित मूल्य के शेयर 15 प्रतिशत पर असम सरकार को बेचे गये, परिणामस्वरूप निगम को 56.10 लाख रुपए की हानि हुई "अन्य खर्चे तथा निवेशों की बिक्री से हानि" शीर्षक के अन्तर्गत वृद्धि का यही अधिक भाग है।

सकल लाभ 447.26 लाख रुपये से 483.58 लाख रुपये हो गया। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 48.00 लाख रुपये तथा कर के लिये 216.83 लाख रुपये की व्यवस्था करने के बाद निवल लाभ 210.26 लाख रुपये से 218.75 लाख रुपये हो गया। पिछले वर्ष के 168.53 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष आरक्षित निधियों में 176.88 लाख रुपये का विनियोजन किया गया।

इस वर्ष के लाभ में से 82.70 लाख रुपये की राशि सामान्य आरक्षित निधि को अन्तरित कर देने से यह निधि 30 जून, 1972 को निगम की प्रदत्त पूंजी के बराबर हो गई। इसलिये औद्योगिक

वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 के अनुसार निगम ने अपनी प्रदत्त पूंजी पर 5 प्रतिशत का अधिलाभांश देने की घोषणा की। 82.70 लाख रुपये प्रदत्त मूल्य के जून, 1972 में जारी किये गये 3,308 शेयरों (चौथी सीरीज) पर निगम की शर्तों के अनुरूप अधिलाभांश 19 जून, 1972 से ही लागू होगा।

तुलन-पत्र से संलग्न अनुसूची

74. 30 जून, 1972 तक दिए गए ऋणों और पेशगियों का विवरण बताने वाली एक अनुसूची तुलन-पत्र के साथ लगी है।

(i) केवल न्यायालय की डिक्री द्वारा रक्षित ऋण

(ii) ऋणी संस्थाओं में संचालकों के हित

तुलन-पत्र के साथ लगी अनुसूची की मद (च) में दिये गए आंकड़ों के विश्लेषण को दिखाने वाला विवरण परिशिष्ट 'छ' में दिया गया है।

ऐसी कोई भी संस्था नहीं है (देखिये विवरण का खण्ड 'क') जिसमें निगम के संचालक का राज्य सरकार या सहकारी बैंक या सहकारी समितियों के नामित संचालक के रूप में कोई हित हो।

उन संस्थाओं पर कुल 2086.13 लाख रुपये के ऋण बकाया हैं जिनमें निगम के कुछ संचालक केवल शेयर धारी के नाते हितबद्ध है। 1683.31 लाख रुपये के ऋण सम्बन्धित संचालकों के निगम का संचालक बनने से पूर्व या ऋणी संस्था से हितबद्ध होने से पूर्व मंजूर किए गए थे। जिन संस्थाओं में संचालकों का हित संचालकों के नाते है, और जिनको वित्तीय सहायता उन व्यक्तियों के निगम के संचालक बनने के बाद मंजूर हुई है, इन संस्थाओं पर बकाया ऋण की कुल राशि 61.09 लाख रुपये है। यह राशि निगम को प्राप्त होने वाले कुल बकाया ऋणों की 168.49 करोड़ रुपये की रकम का लगभग 0.4 प्रतिशत (देखिये विवरण का खण्ड 'ग')।

1472.17 लाख रुपये का मूलधन और ब्याज की किस्तों के रूप में बकाया में से एक संस्था से 124.29 लाख रुपये की राशि बकाया थी जिसमें निगम का एक संचालक ऋणी संस्थाके शेयर धारी रूप में हितबद्ध था।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नीति प्रश्नों सम्बन्धी दिए गए अनुदेश

75. निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नीति प्रश्नों सम्बन्धी दिए गए अनुदेशों की नवीनतम सूची परिशिष्ट 'ट' में दी गई है।

बोर्ड और अन्य समितियों की बैठकें

76. इस वर्ष के दौरान बोर्ड की बारह बैठकें हुईं। जिनमें से छः नई दिल्ली में और एक-एक बैठक बैंगलोर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, लखनऊ, शिमला और त्रिवेन्द्रम में हुई।

इस वर्ष के दौरान बोर्ड की अन्य समितियों की पांच बैठकें हुईं।

सलाहकार समितियां

77. वर्ष के दौरान विभिन्न सलाहकार समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी गई है।

सलाहकार समिति का नाम	बैठकों की संख्या
रसायन प्रक्रिया और समवर्गीय उद्योग	11
इंजीनियरिंग	9
चीनी	8
वस्त्र	3
पटसन	1

इन बैठकों में कुल 53 संस्थाओं से विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार किया गया।

निगम ने पहले की तरह विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों और सलाहकारों की एक नामिका रखी ताकि विभिन्न उद्योगों के लिये उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके और अवसर की आवश्यकतानुसार विचारार्थ मामलों की जटिलता तथा उनके स्वरूप और संबंधित विशेषज्ञ के विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों के अनुसार नामिका में से कुछ विशेषज्ञों को सम्बधित समिति का सदस्य सहयोजित किया जा सके।

संचालक बोर्ड

78. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 10 (1)(ग) के अधीन निगम की 27 सितम्बर, 1971 को हुई वार्षिक साधारण सभा में अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये श्री एन० रामानन्द राव के कार्यनिवृत्त होने पर श्री सी०पी० शाह संचालक के रूप में चुने गये। इसी सभा में उक्त अधिनियम की धारा 10(I)(घ) के अधीन बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिय श्री एन० बी० नायडू के कार्यनिवृत्त होने पर श्री बी० सी० रणदेरिया संचालक के रूप में चुने गये और उक्त अधिनियम की धारा 10(I)(ङ) के अधीन सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू, जो चार-चार वर्ष की लगातार दो पूर्ण अवधियां पूरी करने के बाद कार्यनिवृत्त हुए, के स्थान पर श्री वसन्तराव बी० पाटिल संचालक चुने गये। महाराष्ट्र सरकार में बिजली व सिंचाई मन्त्री के पद पर कार्यभार संभाल लेने

के पश्चात् श्री बसन्तराव बी० पाटिल ने 27 मार्च, 1972 को निगम के संचालक पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर सहकारी बैंकों द्वारा निगम की 17 जून, 1972 को हुई विशेष साधारण सभा में महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, बम्बई के प्रबन्ध संचालक, डा० डब्ल्यू० सी० श्री श्रीमल चुने गये।

बोर्ड श्री एन० रामानन्द राव, श्री एन० वी० नायडू, श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू तथा श्री बसन्तराव बी० पाटिल द्वारा की गई अमूल्य सेवाओं की सराहना करता है।

प्रबन्ध विकास संस्थान

79. निगम ने प्रबन्ध विकास संस्थान की स्थापना की, जिसका पंजीकरण समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन 17 मई, 1972 को किया गया। इस संस्थान का उद्देश्य निगम से वित्त प्राप्त करने वालों, विशेषकर निगम की सहायता से प्रथम बार उद्योग में प्रवेश करने वाले नये उद्यमकर्ताओं तथा व्यावसायिकों को आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। निगम का अनुभव रहा है कि केवल वित्त पर ही औद्योगिक परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती। औद्योगिक उद्यम की सफलता के लिये प्रबन्ध, कार्यकारी, वित्तीय तथा तकनीकी पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक प्रबन्ध का अधिक प्रभाव बढ़ने से तथा मध्य वर्ग से उद्यमकर्ताओं की नई श्रेणी के पैदा होने से ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके पास नये उद्यमकर्ताओं तथा तकनीकिमों को जिन्हें पहले से न तो औद्योगिक अनुभव है और जिनका न ही किसी बड़े औद्योगिक हाउस से सम्बन्ध है प्रबन्ध प्रशिक्षण देने के लिये उचित स्टाफ तथा साधन है। निगम का यह भी विचार था कि इस प्रकार का संस्थान निगम जैसी वित्तीय संस्था द्वारा जिसने पिछले 24 वर्षों से बड़े और मध्यम स्तर की परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने का अनुभव प्राप्त किया है तथा जिसके पास अध्ययन और शोध के लिये काफी सामग्री है तथा जो समस्यायें नये उद्यमकर्ताओं के सामने औद्योगिक उपक्रमों को कार्यान्वित करते तथा संचालन के समय सामने आती है, उनसे भली प्रकार अवगत है।

निगम से सहायता प्राप्त करने वालों को आधुनिक प्रबन्ध तकनीक में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त यह संस्थान निगम के स्टाफ को सभी स्तरों पर तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं के स्टाफ को विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

संस्थान की वित्त सम्बन्धी जरूरतों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को मंजूर के० एफ० डब्ल्यू० के जर्मनी मार्क ऋणों के ब्याज के अन्तर के कारण जमा हुई निधियों से पूरा किया जायेगा। निगम की आर्थिक सहायता से भी संस्थान की जरूरतों को पूरा किया जायेगा। जैसा कि संस्थान निगम से सहायता प्राप्त करने वालों के अतिरिक्त राज्य और अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अतः यह अलाभकारी संगठन होगा।

चीनी सहकारिताओं का सम्मेलन

80. निगम चीनी सहकारिताओं को काफी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है, अतः इस बात पर विचार किया गया कि उनमें निगम की वित्त प्रदान करने की कसौटी, नीतियों तथा कार्य प्रणाली के बारे में अधिक समझ पैदा करने की आवश्यकता है और यह अनुभव किया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति वित्तपोषित चीनी सहकारिताओं का सम्मेलन बुलाने से ही की जा सकती है। तदनुसार 2 अप्रैल, 1972 को यह सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में चीनी सहकारिताओं के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय ऋण एवं साख निगम, आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में निगम, चीनी सहकारिताओं तथा अन्य सभी सम्बन्धित के मध्य उन्मुक्त विचार विनिमय का कार्य किया।

निगम के कार्यालय

81. निगम के तीन कार्यालयों ने हैदराबाद, भुवनेश्वर, और बंगलौर में, क्रमशः 19 नवम्बर, 1971, 8 अप्रल 1972, तथा 25 मई, 1972 से कार्य करना शुरू कर दिया है। वर्ष के अन्त तक कानपुर और पटना में दो कार्यालय खुल जाने से निगम के कार्यालयों की संख्या 11 हो गई है।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

82. निगम ने जनवरी, 1972 में राष्ट्रीय रक्षा कोष को 5 लाख रुपये का योगदान दिया।

उच्च स्तरीय प्रबन्ध में परिवर्तन

83. श्री एल० सीतारामन, उप-महाप्रबन्धक के पद से कार्य निवृत्त होने से पूर्व अवकाश ग्रहण करने के कारण बोर्ड ने सहायक महाप्रबन्धक श्री एस० एन० पाई को 24 मार्च, 1972 से निगम का उप-महाप्रबन्धक नियुक्त किया। मुख्य लेखापाल श्री आर० बी० माथुर तथा प्रबन्धक श्री एम० एस० नागरथ को 26 जून, 1972 से क्रमशः सहायक महाप्रबन्धक तथा मुख्य लेखापाल नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षक

84. 30 जून 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मैसर्स वाकर चंडोयक एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, को निगम के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। 27 सितम्बर 1971 को निगम के शेयर-धारियों की वार्षिक साधारण बैठक में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छोड़कर अन्य शेयरधारियों की ओर से उक्त अवधि के लिये मेसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, बम्बई को फिर से लेखा परीक्षक चुना गया। मैसर्स हरिभक्ति एण्ड कम्पनी कार्यानिवृत्त हो जायेंगे, लेकिन उनका फिर से चुनाव किया जा सकता है।

प्राप्त सहायता के लिये आभार प्रदर्शन

85. बोर्ड को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से जो सहयोग और सहायता मिली है, उस के लिये यह वह उनकी प्रशंसा करता है जिन सदस्यों ने निगम को विभिन्न सलाहकार समितियों में कार्य किया है बोर्ड उनकी अमूल्य सहायता और सलाह के लिये उनके प्रति कृतज्ञ है और वह उन गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है जिन्होंने विभिन्न ऋणी संस्थाओं के संचालक बोर्डों में निगम के द्वारा नामित किये गए संचालकों के रूप में कार्य किया है। वर्ष के दौरान निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वफादारी और निष्ठापूर्वक की गई सेवा के लिये भी बोर्ड उनकी सराहना करता है।

संचालकों की ओर से

चरन दास खन्ना

अध्यक्ष

भारतीय औद्योगिक
नई

30 जून, 1972 को

पिछले वर्ष	पूंजी और देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
	1. अधिकृत पूंजी			
10,00,00,000	पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर			10,00,00,000
	जारी स्वीकृत और प्रदत्त पूंजी			
5,00,00,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और 2½ प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		5,00,00,000	
2,00,00,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार के 4,000 शेयर (द्वितीय श्रेणी) (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और 4 प्रतिशत के हिसाब, से न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		2,00,00,000	
1,34,60,000	पूरी तरह से प्रदत्त पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय श्रेणी) (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और 4 प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		1,34,60,000	
—	पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ श्रेणी), प्रति शेयर रु० 2,500 प्रदत्त (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की वापसी, अदायगी और 4½ प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारंटी प्राप्त)		82,70,000	9,17,30,000
	2. रिजर्व और आरक्षित निधि			
8,34,60,000	(i) सामान्य आरक्षित निधि (धारा 32 के अन्तर्गत)			
7,60,05,737	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	8,34,60,000		
74,54,263	लाभ हानि लेखे से अंतरित	82,70,000		
8,34,60,000			9,17,30,000	
1,00,00,000	(ii) विशेष आरक्षित निधि (धारा 32 के अन्तर्गत) पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		1,00,00,000	
2,85,78,362	(iii) विशेष आरक्षित निधि [आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत] पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	3,35,78,362	3,35,78,362	
12,20,38,362				
8,34,60,000	आगे ले जाया गया		13,53,08,362	9,17,30,000

वित्त निगम
दिल्ली

तुलन-पत्र

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
	1. नकद और बैंक शेष			
38,769	(i) प्रधान कार्यालय और शाखाओं में		19,541	
	(ii) (धारा 19 के अन्तर्गत) नीचे लिखे बैंकों में—			
49,15,209	(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में	52,79,952		
8,42,86,407	(ख) अनुसूचित बैंकों में	1,87,85,363		
26,00,000	(ग) राज्य सहकारी बैंकों में	5,00,000,		
8,811	(घ) भारत के बाहर के बैंकों में	14,444		
9,18,10,427			2,45,79,759	
9,18,49,196				2,45,99,300
	2. निवेश लागत मूल्य			
	(i) धारा 20 के अन्तर्गत			
—	(क) भारत सरकार की प्रतिभूतियों में	—		
—	(ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	—		
21,00,000	(ग) भारत यूनिट ट्रस्ट की आरंभिक पूंजी	21,00,000		
21,00,000			21,00,000	
	(ii) धारा 23(1)(च) के अन्तर्गत शेयर			
94,80,693	(क) शेयर	2,09,37,935		
8,75,000	(ख) शेयरों की आवेदन राशि	—		
1,03,55,693			2,09,37,935	
	(iii) धारा 23(1)(ज) के अन्तर्गत			
—	(क) स्टाक	—		
10,85,49,285	(ख) शेयर	10,06,87,690		
2,17,750	(ग) शेयरों और डिबेंचरों की आवेदन राशि	61,500		
—	(घ) बांड	—		
4,73,14,600	(ङ) डिबेंचर	4,67,64,600		
15,60,81,635			14,75,13,790	
1,37,35,000	(iv) धारा 23(1)(झ) के अन्तर्गत डिबेंचर		1,37,35,000	
18,22,72,328				18,42,86,725
	[रु० 13,11,82,740(कथित) रु० 12,56,92,349 बाजार मूल्य] रु० 5,31,03,985 (अकथित)			
	3. ऋण और पेशगियां			
1,59,41,19,564	कुल बकाया ऋण (संलग्न अनुसूची के अनुसार)			1,68,49,26,292
1,86,82,41,088	आगे ले जाया गया			1,89,38,12,317

तुलन

पिछले वर्ष	पूंजी और देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
8,34,60,000	आगे लाया गया			9,17,30,000
12,20,38,362	**रिजर्व और आरक्षित निधि (जारी)**		13,53,08,362	
50,00,000	लाभ हानि लेखे से अंतरित	44,00,000	3,79,78,362	
3,35,78,362				
	(iv) स्टाफ कल्याण निधि			
—	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	1,00,000		
1,00,000	लाभ हानि लेखे से अंतरित	1,00,000	2,00,000	
1,00,000				
12,71,38,362	**3. संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित**			13,99,08,362
1,19,45,478	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		1,53,81,634	
8,63,019	घटाइये : बट्टे खाते डाले गये ऋण		—	
1,10,82,459			1,53,81,634	
42,99,175	लाभ हानि लेखे से अंतरित		49,18,366	
1,53,81,634	**4. उचंत डाली गई रकमें**			2,03,00,000
2,91,68,158	(i) उचंत ब्याज		2,43,84,792	
4,33,270	(ii) उचंत वचनबद्धता प्रभार		4,33,270	
38,681	(iii) उचंत प्रासंगिक प्रभार		57,516	
4,20,572	(iv) गारंटी का उचंत कमीशन		—	
3,00,60,681				2,48,75,578
—	**5. निवेशों के मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था**			48,00,000
	6. कराधान के लिए व्यवस्था			
4,56,78,698	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष			
2,37,00,000	जोड़िये : वर्ष के लिए व्यवस्था		4,77,86,971	
6,93,78,698			2,16,83,364	
			6,94,70,335	
2,15,91,727	घटाइए : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)		2,35,42,857	
4,77,86,971			4,59,27,478	
61,40,537	घटाइए : स्रोत पर काटा गया कर	55,03,279		
2,38,12,581	पेशगी दिया गया कर	2,72,39,262		
2,99,53,118			3,27,42,541	
1,78,33,853				1,31,84,937
27,38,74,530	आगे ले जाया गया			29,47,988,77

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,86,82,41,088	आगे लाया गया			1,89,38,12,317
	4. आस्थगित फ्रांसीसी ऋण मूलधन के लिए उप-ऋणियों के वायदे			
	5. अधिलाभांश घाटा लेखा			
1,08,16,648				1,05,16,015
—	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		—	
—	घटाइये : लाभ हानि लेखे से अंतरित बकाया		—	
—				—
	6. भवन आदि—लागत मूल्य			
—	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		—	
—	वर्ष दौरान वृद्धियां		—	
—				—
—	घटाइये : पिछले वर्ष तक का ह्रास मूल्य	—		
—	इस वर्ष का ह्रास मूल्य	—		
—			—	
	7. मोटर-कारें, साइकलें, फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग इत्यादि-लागत मूल्य पर			—
8,63,576	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष		13,53,720	
4,96,869	वर्ष के दौरान वृद्धियां		6,04,219	
13,60,445			19,57,939	
6,725	घटाइये : बेची गई/फेंकी गई परिसम्पत्तियों की लागत		59,883	
13,53,720			18,98,056	
3,54,367	घटाइए : पिछले वर्ष तक का ह्रास मूल्य	4,64,998		
1,13,870	इस वर्ष का ह्रास मूल्य	1,83,024		
4,68,237		6,48,022		
3,239	घटाइये : बेची गई/फेंकी गई परिसम्पत्तियों का ह्रास मूल्य	36,927		
4,49,998			6,11,095	
8,88,722				12,86,961
1,87,99,46,458	आगे ले जाया गया			1,90,56,15,293

तुलन

पिछले वर्ष	पूंजी और देयतायें			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
27,38,74,530	आगे लाया गया			29,47,98,877
	7. बांड और डिबेंचर (आरक्षित)			
	(i) 4 प्रतिशत बांड (अरक्षित) जो 1971 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21			
5,48,86,900	के अन्तर्गत गारण्टी दी है)।		—	
	(ii) $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत बांड जो 1974 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत			
6,00,33,100	गारण्टी दी है)।		6,00,33,100	
	(iii) $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड जो 1976 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत			
4,45,50,000	गारण्टी दी है)		4,45,50,000	
	(iv) $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड जो 1976 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत			
6,58,48,100	गारण्टी दी है)		6,58,48,100	
	(v) $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत बांड जो 1977 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के			
2,00,00,000	अन्तर्गत गारण्टी दी है)		2,00,00,000	
	(vi) $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत बांड जो 1978 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के			
6,12,90,000	अन्तर्गत गारण्टी दी है)		6,12,90,000	
	(vii) $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड जो 1979 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के			
8,24,86,700	अन्तर्गत गारण्टी दी है)		8,24,86,700	
	(viii) $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड जो 1980 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के			
8,33,30,800	अन्तर्गत गारण्टी दी है)		8,33,30,800	
	(ix) $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड जो 1981 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के			
5,50,00,000	अन्तर्गत गारण्टी दी है)		5,50,00,000	
	(x) $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड जो 1982 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के			
4,95,00,000	अन्तर्गत गारण्टी दी है)		4,95,00,000	
	(xi) $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत बांड जो 1983 में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडों की भारत सरकार ने धारा 21 के			
—	अन्तर्गत गारण्टी दी है)		8,80,08,000	
	(xii) प्रतिशत डिबेंचर जो — में प्रतिदेय होंगे। (इन बांडो की भारत सरकार ने धारा 21 के अन्तर्गत			
—	गारन्टी दी है)		—	
57,69,25,600				61,00,47,500
	8. सावधि जमा			
—	(धारा 22 के अन्तर्गत)			
	9. लिये गए ऋण (रिजर्व बैंक से)			
—	(क) रु० अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्राप्त ऋण [धारा 21(3)			
57,69,25,600	(क) के अन्तर्गत]	—		61,00,47,500

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,87,99,46,458	आगे लाया गया			1,90,56,15,293
	8. **अन्य परिसम्पत्तियां**			
	प्रोद्भूत ब्याज			
1,42,76,886	(i) ऋणों और पेशगियों पर	1,72,74,893		
15,47,802	(ii) डिबेंचरों पर	15,27,459		
20,05,095	(iii) बैंकों में जमा रकमों पर	4,75,802		
68,871	(iv) कर्मचारियों की दी गई पेशगी रकमों पर	1,19,950		
288	(v) किराए के लिए जमा पर	290		
1,78,98,942				
8,46,232	वचनबद्धता और अन्य प्रोद्भूत प्रभार		1,93,98,394	
			8,94,748	
—	प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता तथा अन्य प्रोद्भूत प्रभार		—	
42,82,422	फुटकर ऋण		91,61,416	
7,70,395	कर्मचारियों को दी गई पेशगी रकमें		13,48,315	
95,673	लेखन सामग्री के स्टाक		94,981	
72,034	टेलीफोन जमा (डिपाजिट)		65,469	
97,99,110	भुनाने के लिए पेश किए गए चैक अथवा अपने पास मौजूद चैक जो भुनाए जाने हैं दुतरफा (पर कन्ट्रा)		2,69,95,774	
53,844	पूर्वदत्त खर्चे		83,360	
2,58,344	विनिमयजन्य अन्तर		1,91,440	
18	पास में मौजूद टिकटें		18	
3,40,76,999				5,82,33,915
20,70,51,508	9. **गारंटियां दुतरफा (पर कन्ट्रा)**			17,07,88,429
23,00,000	10. **हामीदारी संविदा दुतरफा (पर कन्ट्रा)**			1,81,00,000
2,12,33,74,965	आगे ले जाया गया			2,15,27,37,637

तुलन

पिछले वर्ष	पूंजी और देयताएं		इस वर्ष	
रु०		रु०	रु०	रु०
57,69,25,600	आगे लाया गया			61,00,47,500
1,24,10,000	(ख) 3.25 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के निगम द्वारा जारी किए गए बांड और डिबेंचरों द्वारा प्राप्त ऋण [धारा 21 (3) (ख) के अंतर्गत]	1,68,00,000		
1,24,10,000			1,68,00,000	
—	(ii) धारा 21 (4) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से		—	
77,32,05,415	(iii) धारा 21 (4) के अन्तगत भारत सरकार से		73,98,12,817	
78,56,15,415				
—	(iv) के० एफ० डब्ल्यु० ऋण करारों के अनुसार ब्याज		8,52,000	
21,47,49,369	(v) विदेशी मुद्रा में		22,16,30,935	
1,00,03,64,784				97,90,95,752
1,08,16,648	10. **आस्थगित फ्रांसीसी ऋण मूलधन के लिए**			1,05,16,015
	11. **भारत सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता** धारा 32 के साथ पड़ी गई धारा 5 के अंतर्गत अधिलाभांश के लिए			
—	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि		—	—
—	घटाइए भारत सरकार को अदा की गई		—	
—	12. **अन्य देयताएं**			—
	प्रोद्भूत हुआ और प्रोद्भूत होने वाला ब्याज—			
1,48,88,796	(क) धारा 21 (4) के अन्तर्गत भारत सरकार से लिए गए ऋणों पर	1,43,35,356		
73,25,956	(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बांडों पर	80,10,379		
11,94,169	(ग) विदेशी मुद्रा ऋणों पर	10,05,476		
487	(घ) फुटकर जमा राशियों पर	3,054		
—	(ङ) रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के ऋणों पर	8,285		
2,34,09 408			2,33,62 550	
8,94,204	पेशगी गारंटी कमीशन		7,30,949	
1,03,62,206	फुटकर लेनदार		98,41,187	
74,200	उचंत विधि प्रभार		1,17,500	
33,23,363	औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि लेखा		41,53,144	
614	दावा न किया गया अधिलाभांश		—	
97,99,110	वसूली के लिए प्राप्त बैंक चैक दुतरफा		2,69,95,774	
5,790	विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार		3,364	
4,78,68,895				6,52,04,468
	13. **आकस्मिक देयताएं**			
24,63,400	जोड़िए : लाभ हानि लेखे के अनुसार इस वर्ष का लाभ	41,73,000		
24,63,400	घटाइए : 1970-71 का अधिलाभांश	41,73,000	—	
—				
1,90,98 50,457	आगे ले जाया गया		—	1,95,96,62,612

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
2,12 33,74,965	आगे लाया गया			2,15,27,37,637
2,12,33,74,965	आगे ले जाया गया			2,15,27,37,637

तुलन

पिछले वर्ष	पूंजी और देयताएं			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
1,90,98,50,457	आगे लाया गया			1,95,96,62,612
—	13. **लाभ-हानि लेखा (जारी)**		—	
2,10,26,438	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष		2,18,74,962	
	घटाइए : (आयकर अधिनियम 1971 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत)			
50,00,000	विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	44,00,000		
42,99,175	संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि को अंतरित	49,18,366		
74,54,263	सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित	82,70,000		
1,00,000	स्टाफ कल्याण निधि को अंतरित	1,00,000		
1,68,53,438			1,76,88,366	41,86,596
41,73,000				
	14. **आकस्मिक देयताएं**			
7,05,29,601	(क) धारा 23 (1) (ख) के अन्तर्गत दी गई गारंटियां—दुतरफा	5,87,97,407		
13,65,21,907	(ख) धारा 25 (1) (ग) के अधीन विदेशी ऋण के लिए दी गई गारंटियां—दुतरफा ।	11,19,91,022		
20,70,51,508			17,07,88,429	
23,00,000	(ग) धारा 23 (1) (घ) के अंतर्गत हामीदारी संविदा—दुतरफा		1,81,00,000	18,88,88,429
20,93,51,508				
	(घ) धारा 23 (1) (च) तथा धारा 23 (1) (ज) के अन्तर्गत निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिए दावा न की गई राशि		65,49,685	
2,12,33,74,965				2,15,27,37,637

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
थाकर, चण्डयोक एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

श्री एम० के० वेंकटाचलम्
श्री एन० ए० कल्याणी
डा० सैम्युल पाल
मंचालक

सरदार सन्तोख सिंह
श्री सी० पी० शाह
श्री एस० जे० उत्तमसिंह
संचालक

पत्र (जारी)

पिछले वर्ष	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०	रु०
2,12,33,74,965	आगे लाया गया			2,15,27,37,637
2,12,33,74,965				2,15,27,37,637

टिप्पणियां

1. निगम द्वारा ग्रहित निवेशों के मुल्य ह्रास के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है ।
2. धारा 23(1) (ज) के अन्तर्गत एक कम्पनी की साधारण शेयर पूंजी में नियोजित 1,97,900 रुपये शामिल हैं, कम्पनी ने ऐच्छिक परि-समापन कर दिया है । सम्भवत: निगम की नियोजित पूर्ण राशि वसूल न की जा सके ।
3. इस राशि के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि 'उचंत में डाला गया ब्याज' और 'संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि' खातों में उचित व्यवस्था है ।
4. दो इकाइयों से ऋणों और अग्रिम राशियों में ब्याज की किश्तों में बकाया 1,27 75,000 रुपए शामिल हैं । निगम ने वर्ष के दौरान कम्पनी के एक भाग के पुनर्स्थापित होने से ब्याज की बकाया रकम के बराबर वास्तविक मूल्य के साधारण और अधिमान शेयर स्वीकार करके समायोजन कर दिया, इन शेयरों का बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य से कम आंका गया है ।
5. वचनबद्धता और अन्य प्रभारों में शामिल हैं : (क) एक इकाई से 38,005 रुपए बकाया हैं, जिनकी अदायगी विवादग्रस्त हैं । इस संदिग्ध राशि के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई । (ख) एक इकाई से 4,33,270 रुपए बकाया हैं, जिनकी अदायगी संदिग्ध है और उचंत खाते में डाले गए ।
6. फुटकर ऋणों में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) एक कम्पनी के शेयरों के आवेदन और आबंटन के लिए वास्तविक 50 प्रतिशत मूल्य की राशि 1,97,525 रुपए क्योंकि निगम ने आबंटन से संबंधित कम्पनी पर मुकदमा दायर किया है । (ख) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए पश्चिमी पुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि के वास्ते अदा की गई राशि के 11,76,120 रुपए । (ग) कुछ उप-देनदारों की अतिरिक्त देयता के 7,87,975 रुपए जो उन्होंने रुपए के अवमूल्य से पहले मूलधन की किस्तों के रूप में जमा किऐ हैं और जो विवादग्रस्त हैं, तथा जिनकी वसूली संदिग्ध है ।
7. कर्मचारियों की निवृत्ति उपादान अदायगी विनियम 1968 के अधीन भविष्य में अदा की जाने वाली निवृत्ति उपादान देयता (अनिश्चेय राशि) के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

30 जून, 1972 के तुलन-पत्र में उल्लिखित ऋणों और पेणगियों के बारे को दर्शाने ब्यौरी अनुसूची

	रु०
(क) शोध्य समझे गए ऋण जो निगम के लिए पूर्णरूप से रक्षित हैं	1,31,21,65,067
इसमें से :—	
(i) कुल 60,13,24,150 रुपये के ऋण उधार लेने वाली संस्थाओं के संचालकों और या पूर्व प्रबन्ध एजेन्टों और/या पूर्व सचिवों तथा कोषाध्यक्षों की व्यक्तिगत गारन्टी द्वारा भी रक्षित हैं। (इनमें से कुल 67,22,496, रुपयों के ऋण केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों की गारन्टी द्वारा और भी रक्षित हैं तथा कुल शून्य रुपए के ऋण अनुसूचित या सहकारी बैंकों द्वारा रक्षित हैं)	
(ii) कुल 40,43,89,105 रुपयों के ऋण केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों की गारन्टी द्वारा भी रक्षित हैं ।	
(iii) कुल शून्य रुपयों के ऋण अनुसूचित और या/राज्य सहकारी बैंकों की गारंटी द्वारा भी रक्षित हैं ।	
(ख) ऋण जो पहले पूरी तरह रक्षित थे लेकिन अब केवल 17,42,32,000 रुपयों की सीमा तक ही रक्षित हैं। 24,45,40,802 रुपयों में से 4,43,34,772 रुपयों के ऋण केन्द्रीय और राज्य सरकारों की गारन्टियों द्वारा रक्षित हैं।	24,45,40,802
(ग) केवल केन्द्रीय और/या राज्य सरकारों की गारंटी द्वारा रक्षित ऋण	4,48,05,349
(घ) केवल अनुसूचित और/या सहकारी बैंकों की गारन्टी द्वारा रक्षित ऋण	8,27,33,062
(ङ) केवल व्यक्तिगत गारन्टी या वाद प्राप्य वस्तुओं द्वारा रक्षित ऋण	6,82,012
(क), (ख), (ग), (घ), और (ङ) का जोड़	1,68,49,26,292
(च) जिन औद्योगिक संस्थाओं से निगम के संचालक उनके संचालक और अंशधारी के रूप में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा देय ऋण	23,26 57,058
इसमें से—	
(i) उन सहकारी समितियों द्वारा कुल शून्य रुपए के ऋण देय हैं, जिनसे निगम के संचालक राज्य सरकार या उन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नामित व्यक्ति के रूप में हितबद्ध हैं।	
(ii) कुल 20,86,12,850 रुपयों के ऋण उन संस्थाओं द्वारा देय हैं जिनसे निगम के संचालक केवल अंशधारियों के रूप में हितबद्ध है।	
(iii) कुल 2,40,44,208 रुपयों के ऋण उन संस्थाओं द्वारा देय हैं जिनसे निगम के संचालक केवल संचालक के रूप में हितबद्ध हैं।	
(छ) जिन संस्थाओं से निगम के संचालक, उनके संचालक और अंशधारी के रूप में हितबद्ध हैं, उनको वर्ष के दौरान संवितरित किए गए ऋणों की रकम।	66,38,908

		रु०
(क)	(i) मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्तों की रकम जिनको चुकाने में वर्ष के दौरान किसी समय चूक हुई हो।	5,87,04,719
	(ii) मूलधन या ब्याज की ऐसी किस्तों की कुल रकम जो वर्ष का अन्त होने के बाद भी देय हों।	14,72,16,751
	(iii) ऐसी संस्थाओं द्वारा देय मूलधन या ब्याज की किस्तों की कुल रकम जिससे निगम के संचालक केवल अंशधारी के नाते हितबद्ध हैं।	1,24,29,153

टिप्पणी : इस अनुसूची में छः संस्थाओं द्वारा मशीनरी पूर्तिकारों की आस्थगित अदायगी की किस्तों में की जाने वाली चूकें शामिल हैं। इन चूकों के लिए निगम ने आस्थगित गारंटी के अधीन अदायगी की है और इन अदायगियों को ऋण माना गया है।

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
वाकर, चण्डयोक एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

भारतीय औद्योगिक

नड़

30 जून, 1972 को समाप्त हुए

पिछले वर्ष			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०
8,20,34,017	बाबत बांड, डिबेंचरों आदि पर ब्याज		8,47,83,686
	बाबत वेतन, भत्तों, भविष्यनिधि अंशदान और उपदान		
46,457	(क) अध्यक्ष	42,521	
29,325	(ख) महाप्रबंधक	33,879	
46,06,686	(ग) अन्य	57,17,670	
2,10,110	(घ) भविष्यनिधि अंशदान	3,12,367	
2,250	(ङ) उपदान	3,123	
48,94,828		61,09,560	
	घटाइए : निगम द्वारा किए गए कानूनी कार्य के लिए ऋण		
2,81,700	लेने वाली संस्थाओं से ली गई रकम।	2,37,900	
46,13 128			58,71,660
11,350	बाबत संचालकों की फीस		10,750
4,350	,, समिति के सदस्यों की फीस (संचालकों से अन्य)		9,650
1,00,711	,, संचालकों के यात्रा और अन्य भत्ते		1,31,017
44,988	,, समिति के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते (संचालकों को छोड़कर)		95,066
11,16,601	,, किराया, कर, बीमा और रोशनी		18,59,505
1,62,185	,, डाक, तार, टिकटें और टेलीफोन		2,90,514
2,67,020	,, छपाई, लेखन सामग्री और विज्ञापन		3,81,854
6,187	,, मरम्मत		8,290
32,854	,, विधि प्रभार		13,997
20,000	,, लेखा परीक्षा फीस		25,000
1,13,870	,, मूल्यह्रास		1,83,024
	बाबत दूसरे खर्चे :		
4,950	,, एजेंसी प्रभार	1,28,890	
19,047	,, पुस्तकें और समाचार-पत्र	18,112	
42,749	,, डाक्टरी फीस और खर्चे	60,825	
1,79,650	,, यात्रा फीस	2,96,486	
16,739	,, विराम भत्ते	18,151	
25,587	,, मोटरकारों का रख-रखाव	27,961	
6,000	,, सूचीकरण फीस	7,200	
2,94,722			
8,85,27,261	आगे ले जाया गया	5,57,625	9,36,64,013

वित्त निगम

दिल्ली

वर्ष का लाभ-हानि लेखा

पिछले वर्ष		इस वर्ष
रु०	रु०	रु०
12,57,83,668	द्वारा ब्याज	13,83,31,236
25,81,615	,, कमीशन (क) (ख) और (ग) टिप्पणियां देखें	33,45,490
—	,, किराया (घ) टिप्पणी देखें	—
12,22,356	,, निवेशों की बिक्री से लाभ	28,96,229
1,132	,, परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	18,032
34,39,754	,, शेयरों पर अधिलाभांश	34,09,180
13,26,487	,, वचनबद्धता प्रभार	15,89,104
—	,, समय पूर्व वापसी अदायगी के लिए प्रीमियम	—
—	,, अशोध्य ऋण की वसूली	8,333
2,40,015	,, विविध आय	2,14,113
13,45,95,027	आगे ले जाया गया	14,98,11,717

लाभ और

पिछले वर्ष			इस वर्ष
रु०		रु०	रु०
8,85,271,261	आगे लाया गया		9,36,64,013
2,94,722	बाबत दूसरे खर्च (जारी)	5,57,625	
28,648	,, बैंक प्रभार	13,706	
1,81,773	,, न गिनाए गए खर्च	2,06,685	
1,67,672	,, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज	2,00,209	9,78,225
6,72,815			
1,41,091	बाबत विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार		2,18,242
—	,, बट्टेखाते डाले गए पिछले वर्ष के वचनबद्धता प्रभार		1,07,397
1,16,756	,, बांडों पर दलाली		3,25,514
—	,, बांडों पर बट्टा		—
—	,, बट्टेखाते डाले गए अशोध्य ऋण		—
—	,, प्रतिभूतियों की बिक्री पर काटा गया आयकर		—
—	,, संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था		—
4,10,000	,, निवेशों की बिक्री से हानि		56,10,000
482	,, बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां		—
184	,, परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि		—
—	,, राष्ट्रीय रक्षाकोष में अंशदान		5,00,000
—	,, वित्तीय प्रबन्ध तथा शोध संस्थान को अनुदान		50,000
—	,, निवेशों के मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था		48,00,000
2,37,00,000	,, कराधान के लिए व्यवस्था		2,16,83,364
2,10,26,438	,, तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ शेष		2,18,74,962
13,45,95,027			14,98,11,717

बलदेव पसरीचा
महाप्रबन्धक

चरन दास खन्ना
अध्यक्ष

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
वाकर, चण्डयोक एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

श्री एम० के० वेंकटाचलम्
श्री एन० ए० कल्याणी
डा० सैम्युल पाल
} संचालक

सरदार संतोख सिंह
श्री सी० पी० शाह
श्री एस० ज० उत्तम सिंग
} संचालक

हानि-लेखा (जारी)

पिछले वर्ष		इस वर्ष
रु०	रु०	रु०
13,45,95,027	आगे लाया गया	14,98,11,717
13,45,95,027		14,98,11,717

टिप्पणी : (क) 'ब्याज' में बकाया प्राप्त हुए 1,21,84,682 रुपए शामिल हैं जो पहले उचंत लेखे में डाले गए थे।

(ख) 'ब्याज' में 7401316 रुपए नहीं दिखाए गए हैं जिनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है, यह उचंत लेखे में डाले गए हैं।

(ग) कुछ लेखों पर ब्याज आभारित नहीं किया गया है जहां ब्याज की अदायगी में बार-बार चूकें की गई क्योंकि इनकी वसूली संदिग्ध समझी गई है।

(घ) 'कमीशन' में बकाया रकमों की वसूली के 420,572 रुपए शामिल हैं, जो गारंटी कमीशन के उचंत लेखे में से अंतरित किए गए।

(ङ) 'विविध आय' में 18,834 रुपए शामिल नहीं हैं जो प्रासंगिक प्रभार होने से वसूली में संदिग्ध समझे गए तथा उचंत लेखे में डाले गए।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंशधारी,

हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के, नीचे हस्ताक्षर करने वाले लेखा-परीक्षक निगम के 30 जून, 1972 के तुलन-पत्र और लेखों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने सम्बन्धित वाउचरों और लेखों तथा शाखा-कार्यालयों से प्राप्त परीक्षित विवरणियों के साथ संलग्न तुलन-पत्र की जांच कर ली है। ये विवरणियां संलग्न तुलन-पत्र में शामिल कर ली गई हैं। हम इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि हमने जहां कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है, वहां हमें सम्बन्धित स्पष्टीकरण या जानकारी दी गई है और वह संतोषप्रद रही है। हमारी राय में प्रस्तुत-तुलन-पत्र पूर्ण और निष्कपट और जहां तक हमें जानकारी और स्पष्टीकरण दिए गए हैं और जैसा कि निगम के बहीखातों से पता चलता है, यह तुलन-पत्र निगम के अधिनियम और नियमावली के अनुसार इस प्रकार उचित रीति से बनाया गया है कि इससे निगम के कार्यों का सच्चा और सही चित्र सामने आ जाता है।

मद्रास
तारीख : 30 अगस्त, 1972

हरिभक्ति एण्ड कम्पनी
वकार चण्डयोक एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

परिशिष्ट 'क'

1 जुलाई, 1971 से 30 जून, 1972 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपए, लाखों में)

क्रम सं०	संस्था का नाम और फैक्टरी का स्थान	प्रबन्धक संचालक/ संचालक बोर्ड के अध्यक्ष/ सचिवों और कोषाध्यक्षों के नाम	परियोजना की पूंजी लागत	मंजूर की गई वित्तीय सहायता (सकल)					परियोजना विवरण अथवा सहायता का प्रयोजन
				रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा ऋण (रुपये के बराबर)	हामीदारी साधारण शेयर	हामीदारी अधिमान शेयर	डिबेंचर मशीनों की आस्थगित अदायगी के लिए सारंटी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					आन्ध्र प्रदेश					
1.	मै० आन्ध्रा शुगर्स लि०, कोव्वुर, जिला : पश्चिमी गोदावरी	श्री एम०टिम्मराजू, अध्यक्ष, तथा श्री एम० हरिश्चन्द्र प्रसाद, प्रबन्धक संचालक	493.64	1.97* (अति०)	48.03 (पौंड में)	—	5.00	—	—	30 टन से 100 टन दैनिक काष्टिक सोडा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए योजना विस्तार।
2.	मै० एसोसियटेड ग्लास इंडस्ट्रीज लि०, कुक्तपल्ली, हैदराबाद	डा० सैय्यद हुसैन जाहिर, अध्यक्ष और श्री डी० आर० के० रेड्डी, प्रबन्ध संचालक	95.26 (अति० व्यय)	15.00 (अति०)	—	—	—	—	—	12,000 टन खोखले सफेद छल्ले 12,000 टन एम्बर के खोखले बर्तन तथा 1,500 टन चमकीले बर्तन वार्षिक दर से उत्पादन करने के लिए एक नई योजना लगाने में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
3.	मै० जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, हैदराबाद	ला० चरत राम, अध्यक्ष (श्रीराम ग्रुप)	7.66	—	6.11 (ज० मा० में) 1.55 (पौंड में)	—	—	—	—	नये माडलों की हार्स पावर मोटरें बनाने के लिए एक प्रोफाइल ग्राइंडिंग मशीन तथा एक यूनिवर्सल कापी मिलिंग मशीन और मापक यंत्रों के आयात के लिये।

4.	मै० कैपिटल लाइटिंग एण्ड इलैक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स लि०, बालानगर, इंडस्ट्रियल एरिया, हैदराबाद	श्री एल० एन० गुप्ता प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक	62.82	—	26.32 (पौंड में)	2.00	1.00	—	—	45 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से 230 वोल्टेज के दोनों प्रकार बी० सी० और ई० एस० बल्ब (25 से 200 वाट तक) बनाने के लिए एक नई इकाई लगाना।
			असम								
5.	मै० अशोक पेपर मिल्स लि०, (1) जोगीघोपा जि० : गोलपारा असम (2) रामेश्वर नगर, जि०: दरभंगा, बिहार (अधिसूचित कम विकसित जिले)	श्री ए० डी० अधिकारी, प्रबन्ध संचालक	1961.00**	100.00 (अति०)	—	—	—	—	—	जोगीघोपा (असम) में 120 टन दैनिक बांस आधारित पल्प तथा 90 टन दैनिक कागज सयन्त्र लगाने की पुनर्स्थापना योजना तथा रामेश्वर नगर (बिहार) में 40/45 टन दैनिक विशेष कागज और 10 टन चीथड़ा पल्प संयंत्र लगाना।
			बिहार								
6.	मै० टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, जमशेदपुर, जि० : सिंघभूम	श्री जे० आर० डी० टाटा, अध्यक्ष तथा श्री एस० के० नानावती, प्रबन्ध संचालक (टाटा ग्रुप)	***	—	—	—	—	75.00 (अति०)	—	प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण तथा विशाखन का कार्यक्रम।
			गुजरात								
7.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०, (i) कलोल, जि०: मेहसाना (ii) कांडला, जिला : कच्छ (अधिसूचित कम विकसित जिले)	सहकारी समिति श्री पाल पौद्दान, प्रबन्ध संचालक	9160.00	300.00	—	—	—	—	—	वार्षिक दर से 3,00,300 टन अमोनियम तथा 3,96,000 टन प्राकृतिक गैस पर आधारित यूरिया के उत्पादन के लिए नई इकाई लगाना और कांडला के स्थान पर प्रारम्भ में आयात फास्फोरिक अमल पर आधारित एन० पी० के खादों (नाइट्रोजन, फास्फोरिक तथा पोटाश) के 3,75,500 टन वार्षिक क्षमता से उत्पादन के लिए अन्य इकाई लगाना।

*खाद में नामंजूर कर दी गई।
**इसमें रामेश्वर नगर की इकाई पर लगा खर्च सम्मिलित नहीं है।
***परियोजना की लागत का पहले ही परिगणन किया जा चुका है।

परिशिष्ट 'क'—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	मैं० सरदार वल्लभ भाई पटेल खाड उद्योग कोपरेटिव सोसाइटी लि०, धोराजी. जिला : राजकोट	सहकारी समिति	245.00	130.00@	—	—	—	—	—	1250 टन दैनिक गन्ना पैरने की क्षमता वाले चीनी कारखाने की स्थापना के लिये।
9.	मैं० एयर कन्ट्रोल एण्ड कैमिकल इजीनियरिंग कं० लि०, देवदी, जिला : अहमदाबाद	श्री सुरेन्द्र मगनलाल मेहता अध्यक्ष	34.00	—	—	—	10 00	—	—	वातानुकूलन, वातानुकूलक यंत्रों तथा रेफ्रीजैरैंट्स पुर्जों के उत्पादन के लिए कार्यकारी पूजी की जरूरत को पूरा करने के लिए परियोजना की पुर्नस्थापना।
10.	मैं० गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स क० लि०. वाजवा, बडौदा के समीप	श्री एफ० जे० हैरदिया, प्रबन्ध सचालक	2670.00	—	13.22 (ज० मा० में)	—	—	—	—	कम्पनी के केपरोलेक्टम परियोजना के लिये एस० ओ० 2 ओलियम संयत्र लगाने के लिये कुछ यंत्रो का आयात।
11.	मैं० इरोकोट (इण्डिया) लि० , वापी, जिला : बलसर	श्री जी० वसु, प्रस्तावित अध्यक्ष	180.00	10.00	16.00 (ज० मा० में)	3.00	3.00	—	—	3,000 टन वार्षिक की क्षमता से चमकीला कागज गन्ना बनाने के लिये कुछ यंत्रो का आयात ।
		हरियाणा								
12.	मैं० यूनिवर्सल स्टील एण्ड अलायज लि०, फरीदाबाद जिला : गुडगाव	श्री स्वर्ण सिह कंवर, प्रबन्धक संचालक	99.89	50 00	—	5.00	—	—	—	12,000 टन वार्षिक की दर से नरम इस्पात छडे बनाने के लिये नई इकाई लगाना।
13.	मैं० सोमानी पिलकिंगटनर्स लि० कमर गाव, जिला : रोहतक	श्री एच० एल० सोमानी, अध्यक्ष तथा श्री एम० के० दग, संचालक	8.20 (अनि० व्यय)	8.00* (अति०)	—	—	—	—	—	5,400 टन वार्षिक की दर से चमकीली मृतकशिल्प टाइले बनाने के लिए कारखाने के अति व्यय को पूरा करना।

14.	मै० वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि०, फरीदाबाद, जिला : गुड़गांव	श्री रत्न चन्द ओसवाल अध्यक्ष तथा श्री दर्शन कुमार ओसवाल, प्रबन्ध संचालक	148.32	50.00	—	10.00	—	—	—	30,000 टन वार्षिक की विस्थापित क्षमता से नरम इस्पात मध्यम और लौचदार सिले बनाने के लिये नई योजना का विशाखन।
15	मै० अमेरिकन यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक (इण्डिया) लि०, फरीदाबाद, जिला : गुड़गांव	श्री के० पी० सिंह, प्रबन्ध संचालक	99.00	40.00	—	5.00 2.00 3.00**	—	—	—	(i) 2 लाख से 2 20 लाख वार्षिक एफ० एच० पी० मोटरों। (ii) एक लाख से दो लाख पंखे। (iii) 200 टन से 1300 टन वार्षिक पलिया के उत्पादन की निस्तार क्षमता बढ़ाना और आम जरूरतों की 20,000 मोटरें और 40,000 वार्षिक दर से स्टार्टर रोटर सैटों के उत्पादन की विशाखन योजना।
16.	मै० जोतिन्द्रा स्टील एण्ड ट्यूब्ज लि०, फरीदाबाद, जिला : गुड़गांव	श्री सीताराम सुरेका, प्रवर्तक संचालक	100.00	55.00	—	—	3.00	—	—	13,000 टन काला तथा जस्तेदार इस्पात ट्यूबें बनाने के लिये एक सयन्त्र लगाने की योजना।
17.	मै० उषा स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, बदरपुर फरीदाबाद के समीप जि०: गुड़गांव	श्री बाबुभाई एम० चिनई, अध्यक्ष तथा श्री जसवन्त राय, प्रबन्ध संचालक	10.46	—	5.93 (ज० मा० मे) (अति०)	—	—	—	—	सहायक पुर्जों सहित एक एम० एम-8 जौगलो लच्छो बनाने वाली मशीन का आयात।
18.	मै० हरियाणा कोटेज पेपर्ज लि० बल्लभगढ़, जिला: गुड़गांव	श्री प्रेम पटनायक, प्रस्ता-वित प्रबन्ध संचालक	76.00	28.64	4.38 (फ्र० फ्रां० में) 12.67 (पौंड में)	3.00	2.00	—	—	1,800 वार्षिक की विस्थापित क्षमता से आर्ट और क्रोमो कागज बनाने के लिये नई इकाई लगाना।

@जीवन बीमा निगम द्वारा 40.00 लाख रुपए की राशि मंजूर करने से तदनुसार राशि 90.00 लाख रुपये कर दी जायेगी।

*बाद में नामंजूर कर दी गई।

**प्रत्यक्ष अभिदान बाद में नामंजूर कर दिया गया।

परिशिष्ट 'क'—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	मै० इस्कोर्टस लि० फरीदाबाद, जिला : गुड़गांव	श्री एच० पी० नंदा, प्रबन्ध संचालक	3.50	—	3.50 (ज० मा० में) (अति०)	—	—	—	—	कम्पनी की वर्तमान फैक्टरी के औजार रूम में गियर होप तेज करने वाली मशीन लगाने के लिये आयात करना
				केरल						
20.	मै० केरल सोलवेन्ट एक्स्ट्रेसन लि० इरिंजलकुडा, जि०: त्रिचुर, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री के० एल० फ्रांसिस, प्रबन्ध संचालक	11.50 (अति०)	7.50 (अति व्यय)	—	—	—	—	—	40 टन दैनिक की दर से निचोड़ विधि द्वारा नारियल का तेल निकालने के लिये लगाई परियोजना के अति० व्यय के एक भाग को पूरा करना।
21.	मै० स्टील कम्पलेक्स लि०, फिरोक, जिला : कोझीकोडे	श्री एस० ए० जाफरी, प्रबन्ध संचालक	332.00	15.00	22.57 (पौंड में)	5.00	—	—	—	लगातार ढलाउ प्रक्रिया द्वारा 37,000 टन वार्षिक दर से मध्यम स्तर के कार्बन तथा लोचदार इस्पात छड़ियाँ बनाना।
22.	मै० ट्रावनकोर रेयन्स लि०, रेयनपुरम, जिला : इरनाकुलम।	श्री ए० आर० रामानाथन अध्यक्ष, तथा श्री एम० सीटी० पेथाची प्रबन्ध संचालक (मुथिय्या ग्रुप)	33.52	—	19.31 (ज० मा० में) 5.00 (पौंड में)	—	—	—	—	सैलुलोज फिल्म संयंत्र के कुछ संतुलन/प्रतिस्थापन उपस्करों/ औजारों तथा प्रयोगशाला के लिये कुछ यंत्रों का आयात।
23.	मै० एक्सल ग्लासेज लि०, पथिरापल्ली, जिला : ऐलेपी, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	डा० रामा वर्मा, अध्यक्ष और श्री बोबन कुन्चाको प्रबन्ध संचालक	180.00	25.00	—	5.00	—	—	—	12,000 लाख वार्षिक दर से श्वेत खोखले बर्तन बनाने के लिये स्वचालित कांच संयंत्र लगाना।

24. मै० ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्ज लि०, इलूर, उद्योगमंडल, जिला: इर्नाकुलम, (केरल सरकार का उपक्रम)	श्री टी० माधव मेनन, अध्यक्ष तथा श्री चीरन वी० मैथ्यूज, प्रबन्ध संचालक	994,82	100.00	—	—	—	—	—	100 टन दैनिक काष्टिक सोडा की क्षमता वाले काष्टिक सोडा/ क्लोरीन की दूसरी इकाई का विस्तार तथा प्रति वर्ष 1000 टन से 1200 टन क्षमता के बढ़ाने के लिए सोडियम सल्फाइट का विस्तार तथा 4,500 टन वार्षिक दर से तरल सल्फेट डाइआक्साइड बनाने के लिए इकाई की स्थापना ।
मध्य प्रदेश										
25. मै० ग्वालियर लैम्पस एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि०, महाराजपुर, ग्वालियर	श्री एच० सी० गुप्ता, प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक	62.82	—	26.32 (पौंड में)	2.00	1.00	—	—	45 लाख वार्षिक की दर से बी० सी० और ई० एस० दोनों प्रकार के 230 तथा 250 वोल्टेज के (25 से 200 वाट तक) लैंप बनाने के लिए एक इकाई लगाना ।
महाराष्ट्र										
26. मै० भोगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शाहूनगर, जिला: कोल्हापुर	सहकारी समिति	208.65	75.00 (अति०)	—	—	—	—	—	1,250 टन दैनिक से 2000 टन गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना ।
27. मै० संजीवनी (तक्ली) सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शाहजानन्द नगर, जिला: अहमदनगर	सहकारी समिति	95.47	45.00 (अति०)	—	—	—	—	—	1,250 टन दैनिक से 1,700 टन गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार योजना ।
28. मै० निपाद सहकारी शक्कर कारखाना लि० पिम्पलास, तालुका निपांद, जिला: नासिक	सहकारी समिति	160.25	75.00 (अति०)	—	—	—	—	—	1,000 टन दैनिक से 2,000 टन गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना ।

परिशिष्ट 'क' जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	मै० जिजमाता सहकारी शक्कर कारखाना लि० शंकर नगर, दसारविद, जिला: बुल्डाना, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	सहकारी समिति	279.11	150.00*	—	—	—	--	—	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली चीनी मिल की स्थापना ।
30.	मै० श्री सतपुड़ा तापी परिसर सहकारी शक्कर कारखाना लि० लोनखेदा डोंगर-गांव, तालूका शहदा, जि० धुलिया (अधिसूचित कम विकसित जिला)	सहकारी समिति	293.12	150.00*	—	—	—	--	—	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की विस्थापित क्षमता वाली चीनी मिल की स्थापना ।
31.	मै० श्री पंचगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि० गंगा नगर, इचलकरंजी तालुका हतकंगाले, जिला: कोल्हापुर	सहकारी समिति	132.00	75.00 (अति०)	—	--	—	--	—	2,600 टन दैनिक से 3,250 टन गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना ।
32.	मै० ओगले ग्लास वर्क्स लि०, ओगलेवाडी, जिला: उत्तरी सतारा	श्री वी० निवकर, अध्यक्ष तथा श्री श्याम शंकर ओगले, प्रवन्ध संचालक	17.50	11.00 (अति०)	—	—	—	—	—	कांच वर्तन अनुभाग में विस्थापित क्षमता का विस्तार तथा टूल रूम में सुविधाओं का बढ़ाना ।
33.	मै० ग्लोब स्टीरिंग्ज लि० मुलन्द, बम्बई	श्री सी० जे० तलसानिया, प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक	91.00	15.00	—	3.00	--	—	--	प्रति वर्ष 25,000 स्टीरिंग गियरों के वनाने के लिए नई इकाई लगाना ।
34.	मै० पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्ज लि०, थेरगांव, चिंचवाड के समीप, पुना	श्री एस० एल० किरलोस्कर, अध्यक्ष	10.00	—	5.73 (अ०मा०में) (अति०)	—	--	--	—	चमकीला कागज बनाने के लिये कम्पनी के पल्प सयन्त्र में चौथी अवस्था के लिये विरंजक यंत्र का आयात ।
35.	मै० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, थाना	श्री एम० ए० चिदम्बरम् अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक	9.98	—	9.98 (अ०मा० में) (अति०)	--	—	--	—	लैम्ब्रेटा स्कूटरों और तपहियों की उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने के लिये कुछ यन्त्रों का आयात ।

36. मै० सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि०, बम्बई	श्री गोपाल कृष्ण सिघानिया, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)	960.00	—	—	5.00	5.00	—	—	अन्तर्राष्ट्रीय नौपरिवहन उद्योग में लगाने के लिये 20,000 से 40,000 डी० डब्ल्यू० टी० 3 से 4 तक पुराने वाहकों को प्राप्त करना ।
37. मै० तेरना सेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि० धोकी, जि० ओसमानाबाद, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	सहकारी समिति	86.17	50.00 (अति०)	—	—	—	—	—	1,250 टन से 2,000 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना ।
38. मै० सेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, किलारी, तालुका ओसा जि: ओसमानाबाद (अधिसूचित कम विकसित जिला)	सहकारी समिति	261.00	150.00*	—	—	—	—	—	1,250 टन दैनिक गन्ना पेरने की विस्थापित क्षमता वाले चीनी कारखाने की स्थापना के लिये ।
39. मै० नासिक डिस्ट्रिक्ट कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० सतना के समीप जि: नासिक	सहकारी समिति	114.50	54.00	—	—	—	—	—	12,320 पूरक तकुओं वाले कताई मिल को लगाने के लिये ।
40. मै० टाटा मॉलिन एण्ड गेरिन लि०, गांव पंचपकडी, जि० थाना	श्री एम० पी० वजिफदार प्रबन्ध संचालक, (टाटा ग्रुप)	75.32	35.00 (Addl.)	—	—	—	—	—	66 के० वी० करंट तथा पोटेंशियल ट्रांसफारमर्स के निर्माण के लिये विस्तार योजना तथा शोध और विकास शाखा के लिये सन्तुलन उपस्कर लगाना ।
41. मै० स्वास्तिक रबर प्रोडक्टस लि०, चिंचवाड, पूना	श्री एस० एल० किर्लोस्कर, अध्यक्ष तथा श्री वी० एस० वैद्य व श्री जी० एस० वैद्य, संयुक्त प्रबन्ध संचालक	0.67	—	0.67 (ज० मा०में)	—	—	—	—	अरखनी स्पंज सोल बनाने के लिये एक डैन मिकस्चर तथा पुर्जों सहित एक डैन वलैंडर का आयात ।

*परियोजना लागत में जीवन बीमा निगम के योगदान की राशि कम कर दी जाएगी ।

परिशिष्ट 'क' (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	मै० श्री शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, सदाशिवनगर, जि० : सोलापुर	सहकारी समिति	154.00	85.00	—	—	—	—	—	800 टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता वाली अधूरी फैक्टरी को पूरा करने के लिये तथा बैंकों के ऋणों की अदायगी तथा आगामी पूंजी व्यय के लिए ।
43.	मै० बहको तपारिया टूल्ज लि०, नासिक	श्री श्रीराम तपारिया, अध्यक्ष तथा प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक और श्री श्याम सुन्दर तपारिया, संचालक	30.00	10.00 (अति०)	—	—	—	—	—	492 टन वार्षिक की दर से कुट्टित हैन्ड टूल्ज निर्माण करने वाली कम्पनी की परियोजना की पुनःस्थापना ।
				मैसूर						
44.	मै० मैंगलौर कैमिकल्ज एण्ड फर्टिलाइजर लि०, पनम्बर, मैंगलौर के समीप, जिला दक्षिणी कनारा, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री पी० ए० नारियलवाला अध्यक्ष तथा श्री एन० आर० शेषादरी, प्रबन्ध संचालक	5804.62	100.00	—	30.00	30.00	—	—	प्रति वर्ष 2,17,800 टन अमोनिया तथा 3,40,000 टन यूरिया निर्माण करने के लिये उर्वरक इकाई का लगाना ।
45.	मै० मोटर इन्डस्ट्रीज कं० लि० (i) बंगलौर, (ii) नासिक	श्री भाईलाल सी० पटेल, अध्यक्ष, श्री डी० एन० वत्व, वाणिज्य संचालक तथा श्री जी० एच० सैफ्लर, तकनीकी संचालक	2580.00	60.00	—	—	—	—	—	2.15 लाख 6.30 लाख वार्षिक की दर से एक तथा बहु सिलैन्डर पम्पों का उत्पादन बढ़ाने तथा 85.5 लाख से 160.4 लाख वार्षिक से डिलीवरी वाल्वज, फिल्टर/फिल्टर इन्सर्टस स्पार्क और ग्लो प्लगों, नोजलों और नोजल होल्डरों आदि के उत्पादन के लिए बंगलौर की शाखा में नई इकाई खोलना ।

46. मै० सूरी एण्ड नायर लि०, बंगलौर	श्री एस० के० नायर, प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक	113.67	60.90	—	5.00	5.00	—	—	प्रति वर्ष 47 हार्स पावर से लेकर 600 हार्स पावर तक के 36 डीजल लोकोमोटिव तथा 5000 गेयरों और गरारी सेटों को बनाने के लिये बंगलौर में नई इकाई लगाना ।
			उड़ीसा						
47. मै० उड़ीसा टैक्सटाइल्ज मिल्स लि०, चौदवर, जि०: कटक	श्री प्रताप सिंह, प्रबन्ध संचालक,	54.15	21.24	27.47 (ज० मा० में) (अति०)	—	—	—	—	प्रतिदिन 1.09 लाख मीटर से 1.15 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की विस्तार योजना ।
48. मै० बोलानी ओरज लि०, बोलानी, जि० क्योंझर (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री जो० रामानाथन, अध्यक्ष तथा श्री आर० सोंधी, महाप्रबन्धक (बर्ड हेल्गर्स ग्रुप)	411.00	75.00	—	—	—	—	—	प्रतिमास 1,30,000 टन कच्चा लोहा तथा 80,000 टन चमकीली धातु निकालने के लिए मशीनीकरण की संकलित योजना ।
49. मै० अलमोनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, जैपुर, जिला: कोरापुट, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	डा० पदमपत्त सिंघानिया अध्यक्ष तथा श्री श्रीपति सिंघानिया, प्रबन्ध संचालक (जे० के० सिंघानिया ग्रुप)		—	—	25.00**	—	—	—	15,000 टन क्षमता से अलमोनियम धातु तथा 7,000 टन प्रति वर्ष छड़ें बनाने के लिये संगठित अलमोनियम इकाई का लगाना ।
			पंजाब						
50. मै० पंजाब ट्रैक्टर्स लि०, मोहाली इन्डस्ट्रीयल इस्टेट (चंडीगढ़ के समीप) जिला: रोपड़	श्री बी० वी० महाजन, अध्यक्ष तथा श्री चन्द्र मोहन, प्रबन्ध संचालक	369.98	75.00	3.37 (ज०मा० में०) 5.84 (पौंड में)	20.00	5.00	—	—	प्रतिवर्ष 20/30 हार्स पावर वाले 'स्वराज' 5,000 ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये ।

*परियोजना की लागत का गणन पहले किया जा चुका है ।

**बाद में नामंजूर कर दी गई ।

परिशिष्ट 'क' (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				राजस्थान						
51.	मै० आदित्य मिल्स लि०, किशनगढ़, जिला: अजमेर	श्री अश्विनी कुमार कनोरिया, प्रबन्ध संचालक (भागीरथ कनोरिया ग्रुप)	46.50	36.50 (अति०)	—	—	—	—	—	सज्जीकरण विभाग की क्षमता बढ़ाने और 1,760 अतिरिक्त तकुयें लगाकर सीमान्त विस्तार की विशाखन योजना ।
52.	मै० अनील स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, कणकपुरा, जि०: जयपुर	श्री एस० एन० खेतान, प्रवर्तक संचालक	217.34	41.76*	37.44 (ज०मा० में)	5.00	2.00	—	—	तीन स्फिटों के आधार पर उच्च कार्बन तथा धातु पर इस्पात पत्तियों को 24,000 टन वार्षिक की दर से कठोर करने तथा ताप देने के लिये नई इकाई लगाना ।
				तमिलनाडु						
53.	मै० चेतिनाड सीमेंट कारपोरेशन लि०, गांव पुलियर, करूर तालुक जि: तिरुचेरापल्ली (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री एम० ए० एम० रामास्वामी चैतियर, प्रबन्ध संचालक	106.00 (अति व्यय)	35.00** (अति०)	—	—	—	—	—	4 लाख टन वार्षिक दर की विस्थापित क्षमता से सीमेंट का उत्पादन करने के लिये शेष पूंजी व्यय को पूरा करने हेतु ।
54.	मै० साउद्रन पैट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, तूतिकोरिन, जि०: तिरुनेलवेली	श्री एम० ए० चिदम्बरम, अध्यक्ष तथा श्री के० आर० श्रीवत्स, उपाध्यक्ष तथा सभापति	7100.02	200.00	—	50.00@ 25.00	25.00	—	—	प्रतिवर्ष 28,000 टन डी० ए० पी० (डाइमोनियम फास्फेट) तथा 1,60,000 टन एन० पी० के उर्वरक बनाने के लिये मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में 3,52,000 टन अमोनिया 5,12,000 टन यूरिया तथा 1,50,000 टन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए एक संकलित उर्वरक इकाई लगाना ।
55.	मै० इनफिल्ड इण्डिया लि०, अनेक्पति, तिरुपतूर तालुक जिला: रामनाथपुरम (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री एस० शंकरन, प्रबन्ध संचालक	118.12	50.00 (अति०)	—	—	—	—	—	प्रतिवर्ष 173 सी० सी० की 14,000 मीटर साइकलें बनाने के लिये नई इकाई की विस्तार योजना ।

56. मैं० प्रोटीन प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि०, सोलर, औटाकामुण्ड के समीप जिला: नीलगिरि	श्री ए० डी० मंगो, अध्यक्ष मैं० अपिनवाल एण्ड कं० लि०, सचिव (रेलीश ग्रुप)	46.70 (अति व्यय)	6.00 (अति०)	—	—	—	—	—	सरस, खुश्क हाड्डया का चूरा और डाई-कैल्सियम फास्फेट बनाने के लिये लागत के अति व्यय को पूरा करना ।
57. मैं० श्रीराम फाइब्रस लि०, मनाली, [जिला: चिंगलेपुट	डा० भरतराम तथा लाला चरतराम तथा पांच अन्य संचालक (श्रीराम ग्रुप)	769.10	75.00	—	26.45 3.55@	5.00	—	—	2000 टन वार्षिक की दर से नाइलोन-6 टायर धागे जिसमें से 1000 टन टायर डोरी में बदला जायगा) के निर्माण के लिये नई इकाई लगाना ।
58. मैं० मैटूर कैमिकल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, मैट्टूर डैम, जिला: सलेम	श्री एस० नारायणस्वामी, उपाध्यक्ष तथा श्री आर० वी० रमानी, प्रबन्ध संचालक (शेषासायी ग्रुप)	5.65	—	4.26 (ज०मा० में) (अति०)	—	—	—	—	अमेरिका से वाल्व सहित एक टन वाले 100 कलोरिन पात्र आयात के लिये ।

उत्तर प्रदेश

59. मैं० सैन्चुरी मेटल्स लि०, दिल्ली हापुड़ रोड, गाजियाबाद, जिला: मेरठ	श्री जी० डी० सरोजी, प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक	92.04	44.00@@	—	4.50	1.50	—	—	प्रति वर्ष अलमोनियम धातु, ढांचे तथा दाब वस्तुओं के 2400,320 तथा 720 टन की क्षमता से उत्पादन के लिए नई इकाई ।
60. मैं० राठी एलायज एण्ड स्टील लि०, गाजियाबाद, जिला: मेरठ	श्री हरिकृष्ण राठी, अध्यक्ष तथा श्री चान्द रतन राठी प्रबन्ध संचालक	173.80 173.80	4.71 (अति०)	21.46 (पौंड में)	2.50 (अति०)	2.50 (अति०)	—	—	नरम इस्पात उच्च कार्बन तथा धातु प्रतिवर्ष इस्पात पिण्ड 20,000 टन से 37,000 टन को विस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिये विस्तार योजना ।
61. मैं० सोमानी स्टील्ज लि०, सोनिक जिला: उन्नाव, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री आर० के० सोमानी प्रस्तावित प्रबन्ध संचालक	120.00	70.00†	—	5.00		—	—	प्रति वर्ष 15,000 टन नरम इस्पात पिण्ड बनाने के लिये नई इकाई लगाना ।

*भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजना लागत में योगदान देने से राशि 21.76 रुपये लाख कर दी जायेगी ।

**भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कम्पनी की बाकी जरूरतें पूरी करने से राशि 20.00 लाख रुपए कर दी जायेगी ।

@प्रत्यक्ष अभिदान

@@भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा परियोजना लागत में 15.00 लाख रुपये का अभिदान करने से राशि 29.00 लाख रुपये कर दी जायेगी ।

†उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा 20.00 लाख रुपये का योगदान करने से राशि 50.00 लाख रुपये कर दी जायेगी ।

परिशिष्ट 'क' (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	मै० [illegible] लि०, गाजियाबाद, जिला: मेरठ	श्री मोहिन्द्रसिंह, प्रबन्ध संचालक	46.00	—	3.85 (ज० मा० में)	—	—	—	—	प्रति वर्ष 4,800 टन जो का अभिसंस्कार करने के लिये जौ की शराब इकाई के लिये कुछ यंत्रों का आयात ।
63.	मै० जैस्नज इलेक्ट्रोनिक्स लि०, शाहिबाबाद, गाजियाबाद के समीप, जिला: मेरठ	लाला चरत राम, अध्यक्ष तथा श्री आर० जे० अग्रवाल, प्रबन्ध संचालक	136.50	—	—	2.00	2.00	—	—	प्रति वर्ष 600 लाख सूखे सैलों की विस्थापित क्षमता वाली नई इकाई लगाने के लिये ।
64.	मै० मोदी रबर लि०, पब्ली खास, जिला: मेरठ	श्री के० एन० मोदी, उपाध्यक्ष (मोदी ग्रुप)	1900.00	250.00	—	33.00 17.00*	—	—	—	प्रतिवर्ष 4 लाख आटोमोबाइल टायर और ट्यूबों के उत्पादन के लिये नई इकाई लगाना ।
65.	मै० मोदी इन्डस्ट्रीज लि०, मोदी नगर, जिला: मेरठ	रायबहादुर सेठ गुजरमल मोदी, अध्यक्ष और प्रबन्ध संचालक, (मोदी ग्रुप)	29.07	—	10.05 (ज०मा०में)	—	—	—	—	इस्पात की पत्तियां दवाने के लिये पश्चिमी जर्मनी से एक ब्रिकेटिंग प्रेस के आयात के लिये ।
66.	मै० इण्डिया इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कं० लि०, उन्नाव, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री एस० के० भौमिक प्रबन्ध संचालक	93.00	32.00	9.43 (ज०मा० में)	3.00	3.00	—	—	प्रतिवर्ष 39,000 टन की लाइसेंस क्षमता से इस्पात के नल बनाने के लिए नई इकाई लगाना ।
					पश्चिमी बंगाल					
67.	मै० अंगस कम्पनी लि०, अंगस, जिला: हुगली, (अधिसूचित कम विकसित जिला)	श्री हरिलाल मेहता, प्रबन्ध संचालक	97.26	65.00	—	—	—	—	—	कुछ पुरानी मशीनों का पुर्नस्थापन तथा 31 चौड़े करघे लगाने की आधुनिकीकरण योजना ।
		जोड़	40478.67	3217.32	350.46	308.00	113.00	75.00	—	
	छः कम्पनियों के सम्बन्ध में पिछले वर्ष से मंजूर विभिन्न सुविधाओं के परिवर्तन/पुनः आवंटन के कारण अन्तर ।		—	103.83	107.34	—	—	—	—	
	पिछले वर्षों में दो कम्पनियों को मंजूर पौंड उप-ऋणों के पौंड विनिमय दर में परिवर्तन के कारण		—	—	1.22	—	—	—	—	

*प्रत्यक्ष अभिदान ।

परिशिष्ट 'ख'

30 जून, 1972 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का राज्य/क्षेत्रवार वितरण

(रुपये, लाखों में)

राज्य/क्षेत्र	इकाइयों की कुल संख्या	जोड़				कुल का प्रतिशत
		ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
आन्ध्र प्रदेश	34	1531.43	182.82	925.82	2640.07	6.6
असम	7	401.79	350.00	—	571.79	1.9
बिहार	25	1582.75	288.00	329.75	2200.50	5.5
गुजरात	46	2601.53	187.32	127.30	2916.15	7.3
हरियाणा	28	1141.87	104.38	20.08	1266.33	3.2
केरल	19	1186.33	29.50	172.47	1388.30	3.5
मध्य प्रदेश	16	684.14	226.25	39.82	950.21	2.4
महाराष्ट्र	121	7357.57	571.28	375.93	8304.78	20.8
मेघालय	1	95.00	—	—	95.00	0.2
मैसूर	41	1967.99	265.50	22.52	2455.01	6.2
उड़ीसा	17	1143.04	95.00	—	1238.04	3.2
पंजाब	12	742.36	25.00	9.96	777.32	2.0
राजस्थान	14	926.34	22.50	757.35	1706.19	4.3
तमिलनाडु	64	3643.40	545.38	1227.06	5415.84	13.6
उत्तर प्रदेश	44	2704.77	272.25	322.31	3299.33	8.3
पश्चिमी बंगाल	70	3190.17	217.50	532.13	3939.80	9.9
दिल्ली	3	187.62	9.75	97.30	294.67	0.7
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	11.00	—	—	11.00	—
गोआ	1	—	75.00	—	75.00	0.2
पांडीचेरी	1	52.00	—	8.16	60.16	0.2
जोड़	565	31151.10	3467.43	5166.96	39785.49	100.0

परिशिष्ट 'ग'

30 जून 1972 तक (रद्द की गई/वापस ली गई मंजूरियों के समायोजन के बाद) समस्त आर्थिक कार्यकलापों के अन्तर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए मंजूर की गई निवल वित्तीय सहायता का विश्लेषण

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रकम				कुल का प्रतिशत
		ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
खाद्य निर्माण उद्योग, सिवाय पेय उद्योगों के—						
(i) चीनी	96	7964.89	49.00	—	8013.89	20.1
(ii) फलों तथा वनस्पति का परिरक्षण तथा अन्य खाद्य निर्माण उद्योग . .	2	3.85	3.90	—	7.75	—
वस्त्र निर्माण—						
(i) सूती वस्त्रों की कताई, बुनाई और फिनिशिंग	93	3692.25	197.50	278.21	4167.96	10.5
(ii) पटसन उत्पादों की कताई बुनाई और फिनिशिंग	14	590.31	—	—	590.31	1.5
कृत्रिम रेशों का निर्माण . . .	14	1091.49	131.25	42.35	1265.09	3.2
काठ और कार्क निर्माण, सिवाय फर्नीचर निर्माण के	5	188.43	7.00	—	195.43	0.5
कागज और कागज उत्पादों का निर्माण .	29	1780.00	170.07	551.16	2501.23	6.3
रबर उत्पादों का निर्माण . .	9	1005.41	77.00	265.61	1348.02	3.4
मूल औद्योगिक रसायनों का निर्माण .	18	1548.83	47.75	176.03	1772.61	4.4
उर्वरकों का निर्माण . .	10	1373.82	384.43	1278.86	3037.11	7.6
विविध रसायनिक उत्पादों का निर्माण .	21	1086.54	221.35	245.72	1553.61	3.9
वनस्पति और पशुजन्य तेल तथा स्नेहों का निर्माण कांच और कांच उत्पादों का निर्माण .	5	91.00	7.00	—	98.00	0.3
	12	340.71	20.00	—	360.71	0.9
चीनी मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण . . .	12	438.33	23.00	—	461.33	1.2
सीमेंट का निर्माण . . .	26	1680.16	210.89	18.54	1909.59	4.8
मूल धातु उद्योग :—						
(i) लोहा और इस्पात . .	11	779.22	252.25	—	1031.47	2.6
(ii) अलौह धातुएं . . .	11	938.97	301.00	1945.65	3185.62	8.0
आगे ले जाया गया .	388	24,594.21	2,103.39	4802.13	13,499.73	79.2

परिशिष्ट 'ग' (जारी)

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रकम				कुल का प्रतिशत
		ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
आगे लाया गया	388	24,594.21	2103.39	4802.13	31,499.73	79.2
धातु उत्पादों का निर्माण, सिवाय मशीनरी और परिवहन उपस्कर के . . .	57	1922.53	442.60	130.26	2495.39	6.3
मशीनरी का निर्माण, सिवाय बिजली मशीनरी के	23	1214.53	104.70	105.01	1424.24	3.6
बिजली की मशीनरी, उपस्करों, औजारों और पूर्ति साधनों का निर्माण . .	38	1248.02	167.24	—	1415.26	3.5
रेल-सड़क उपस्कर का निर्माण . .	4	132.25	11.50	—	143.75	0.4
मोटर गाड़ियों और उनके कल पुर्जों का निर्माण	21	1002.66	203.00	26.95	1232.61	3.1
बाइसिकलों का निर्माण . . .	3	185.05	—	—	185.05	0.5
बिजली, गैस और भाप, जल और सफाई सेवायें:—						
(i) बिजली प्रकाश और शक्ति : जनन, संचरण और वितरण . .	5	43.00	50.00	—	93.00	0.2
(ii) गैस निर्माण और वितरण .	3	137.56	8.00	9.61	155.17	0.4
खनन और खदान उद्योग :—						
(i) कोयला . . .	3	122.00	—	—	122.00	0.3
(ii) कच्चा लोहा . . .	1	75.00	—	—	75.00	0.2
(iii) पत्थर के खदान-खनिज . .	1	—	10.00	—	10.00	—
(iv) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस .	1	—	350.00	—	350.00	0.9
होटल उद्योग . . .	5	268.12	7.00	93.00	368.12	0.9
विविध निर्माण उद्योग . . .	11	206.17	—	—	206.17	0.5
नौपरिवहन . . .	1	—	10.00	—	10.00	—
जोड़	565	31151.10	3467.43	5166.96	39785.49	100.0

परिशिष्ट

1-7-71 की विचाराधीन, आवेदन पत्रों की संख्या और उनकी राशि तथा
गये और मंजूर किये गये आवेदन पत्रों की संख्या
आवेदन पत्रों की संख्या और उनकी राशि के

राज्य/क्षेत्र	वर्ष के आरम्भ में (1-7-71 को) विचाराधीन आवेदन पत्र*		वर्ष के दौरान (1-7-71 से 30-6-1972 तक) प्राप्त आवेदन पत्र	
	सं०	राशि	सं०	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	—	—	5	454.55
असम	—	—	2	751.48
बिहार	—	—	2	345.00
गुजरात	1	3723.00	6	601.22
हरियाणा	2	62.00	@7	286.12
केरल	1	256.57	4	831.42
मध्य प्रदेश	—	—	1	32.50
महाराष्ट्र	8	655.00	25	2447.49
मैसूर	2	4927.00	7	1176.25
उड़ीसा	—	—	@4	448.71
पंजाब	—	—	2	572.39
राजस्थान	1	36.50	2	165.33
तमिलनाडु	—	—	9	5898.01
उत्तर प्रदेश	2	160.00	8	1865.29
पश्चिमी बंगाल	—	—	†7	311.12
दिल्ली	—	—	1	110.00
जोड़	17	9820.07	92	16296.88
अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से सहायता**	4	8944.57	20	11847.65

*वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाई गई संख्या से मेल नहीं खाती, क्योंकि बाद में आवेदकों द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए।

**वर्ष के अन्त तक दिये गये 45 आवेदन पत्र कई महत्वपूर्ण बातों में पूरे नहीं थे अतः इस सारणी में उनका गणन नहीं किया गया है।

†इसमें वर्ष के दौरान 20 लाख रुपये का अस्वीकृत एक आवेदन पत्र शामिल नहीं है।

@इसमें दो संस्थाओं के 23 लाख रुपये के दो आवेदन पत्र शामिल हैं जिन्हें रद्द मान लिया गया।

'घ'

30 जून 1972 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त, वापस लिए
तथा 30 जून, 1972 को विचाराधीन
राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये, लाखों में)

वर्ष के दौरान (1-7-71 से 30-6-72 तक) वापस लिए गए आवेदन पत्र		वर्ष के दौरान (1-7-71 से 30-6-72 तक) स्वीकृत आवेदन पत्र (निवल राशि)		30-6-1972 को विचाराधीन आवेदन पत्र*	
सं० (6)	राशि (7)	सं० (8)	राशि (9)	सं० (10)	राशि (11)
1	30.39	4	105.01	—	—
—	—	1	100.00	1	651.48
—	—	1	75.00	1	270.00
—	—	5	445.22	2	410.00
1	23.00	7	280.12	—	—
—	—	5	204.38	—	—
—	—	1	29.32	—	—
1	60.00	18	1009.38	14	2028.11
—	—	3	290.00	6	878.25
—	—	2	123.71	1	100.00
—	—	1	109.21	1	262.00
—	—	2	102.70	1	27.83
—	—	6	490.26	3	135.00
—	—	8	486.50	2	189.34
1	4.21	1	65.00	5	241.91
—	—	—	—	1	110.00
4	117.60	65	3915.81	38	5303.92
—	—	17	1882.18	7	2305.41

परिशिष्ट

30 जून 1971 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई

(क) ऋणों का बोधक है।
(ख) हामीदारियों का बोधक है।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों का बोधक है।

उद्योग का प्रकार		अन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार
(1)		(2)	(3)	(4)
		रु०	रु०	रु०
खाद्य निर्माण उद्योग,	(क)	735.00	60.00	186.50
सिवाय पेय उद्योगों के—	(ख)	—	—	5.00
चीनी		735.00	60.00	191.50
फलों और वनस्पति का डिब्बाबन्दी व परीरक्षण	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
		—	—	—
वस्त्र निर्माण-वस्त्रों की कताई, बुनाई और फिनिशिंग	(क)	236.07	26.17	84.70
	(ख)	27.50	—	8.00
	(ग)	6.87	—	—
		270.44	26.17	92.70
वस्त्र निर्माण-पटसन उत्पादों की कताई, बुनाई और फिनिशिंग	(क)	—	78.50	—
		—	78.50	—
कृत्रिम रेशों का निर्माण	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
	(ग)	—	—	—
		—	—	—
काठ और कार्क निर्माण सिवाय फर्नीचर निर्माण के	(क)	—	100.74	—
	(ख)	—	—	—
		—	100.74	—
कागज और कागज से बना चीजों का निर्माण	(क)	110.98	100.00	218.76
	(ख)	15.00	—	—
	(ग)	—	—	311.21
		125.98	100.00	529.97
रबड़ उत्पादों का निर्माण	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
	(ग)	—	—	—
		—	—	—
आगे ले जाया गया		1131.42	365.41	814.17

'ङ'

द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता

(रुपये लाखों में)

गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
445.50	106.00	180.00	80.00	—	3704.70	706.75
—	—	—	—	—	—	—
445.50	106.00	180.00	80.00	—	3704.70	706.75
—	—	—	—	—	—	—
—	3.90	—	—	—	—	—
—	3.90	—	—	—	—	—
512.70	147.06	27.50	252.14	—	561.20	245.57
13.00	7.50	2.50	12.00	—	5.00	30.00
—	10.60	11.68	39.82	—	—	39.52
525.70	165.16	41.68	303.96	—	566.20	315.09
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
443.00	—	49.24	50.00	—	185.00	—
23.00	—	—	46.25	—	7.00	—
42.35	—	—	—	—	—	—
508.35	—	49.24	96.25	—	192.00	—
—	—	56.69	—	—	—	—
7.00	—	—	—	—	—	—
7.00	—	56.69	—	—	—	
84.97	45.69	40.00	—	—	127.97	417.85
52.57	5.00	—	—	—	22.50	—
57.95	—	—	—	—	—	182.00
195.49	50.69	40.00	—	—	150.47	599.85
—	—	31.33	—	—	104.67	—
—	—	2.00	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	33.33	—	—	104.67	—
1682.04	325.75	400.94	480.21	—	4718.04	1621.69

परिशिष्ट

मंजूरियों का समायोजन करने के बाद भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(क) (क) ऋणों का बोधक है ।

(ख) हामीदारियों का बोधक है ।

(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों का बोधक है ।

उद्योग का प्रकार		उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु
(1)		(12)	(13)	(14)	(15)
		रु०	रु०	रु०	रु०
खाद्य निर्माण उद्योग, सिवाय पेय उद्योगों के—चीनी	(क)	175.00	315.00	80.00	750.44
	(ख)	—	—	—	44.00
		175.00	315.00	80.00	794.44
फलों और वनस्पति का डिब्बाबन्दी व परीक्षण	(क)	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
वस्त्र निर्माण-वस्त्रों की कताई, बुनाई और फिनिशिंग	(क)	169.19	148.89	256.00	373.00
	(ख)	5.00	—	7.50	45.00
	(ग)	—	9.96	—	24.99
		174.19	158.85	263.50	442.99
वस्त्र निर्माण-पटसन उत्पादों की कताई, बुनाई और फिनिशिंग	(क)	—	—	—	—
		—	—	—	—
कृत्रिम रेशों का निर्माण	(क)	—	—	55.80	75.00
	(ख)	—	—	—	35.00
	(ग)	—	—	—	—
		—	—	55.80	110.00
काठ और कार्क निर्माण सिवाय फर्नीचर निर्माण के	(क)	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
कागज और कागज से बना चाजा का निर्माण	(क)	127.81	—	—	—
	(ख)	50.00	—	—	—
	(ग)	—	—	—	—
		177.81	—	—	—
रबड़ उत्पादों का निर्माण	(क)	—	—	—	277.99
	(ख)	—	—	—	—
	(ग)	—	—	—	28.35
		—	—	—	306.34
आगे ले जाया गया		527.00	473.85	399.30	1653.77

'ङ'

के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये लाखों में)

उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
440.00	—	—	—	—	—	7964.89	
—	—	—	—	—	—	49.00	
440.00	—	—	—	—	—	8013.89	96
3.85	—	—	—	—	—	3.85	
—	—	—	—	—	—	3.90	
3.85	—	—	—	—	—	7.75	2
348.61	216.45	3500	—	52.00	—	3692.25	
15.00	19.50	—	—	—	—	197.50	
122.31	—	4.30	—	8.16	—	278.21	
485.92	235.95	39.30	—	60.16	—	4167.96	93
—	511.81	—	—	—	—	590.31	
—	511.81	—	—	—	—	590.31	14
233.45	—	—	—	—	—	1091.49	
20.00	—	—	—	—	—	131.25	
—	—	—	—	—	—	42.35	
253.45	—	—	—	—	—	1265.09	14
—	20.00	—	11.00	—	—	188.43	
—	—	—	—	—	—	7.00	
—	20.00	—	11.00	—	—	195.43	5
257.06	248.91	—	—	—	—	1780.00	
5.00	20.00	—	—	—	—	170.07	
—	—	—	—	—	—	551.16	
262.06	268.91	—	—	—	—	2501.23	29
303.34	288.08	—	—	—	—	1005.41	
55.00	20.00	—	—	—	—	77.00	
—	237.26	—	—	—	—	265.61	
358.34	545.34	—	—	—	—	1348.02	9
1803.62	1582.01	39.30	11.00	60.16	—	18089.681	262

परिशिष्ट

30 जून, 1972 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली द्वारा मंजूर की गई आर्थिक सहायता

(क) ऋणो का बोधक है ।
(ख) हामीदारियों का बोधक है ।
(ग) मशीनरी के आस्थगित अदायगियो और विदेशी ऋणो की गारटियों का बोधक है ।

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार
1		2	3	4
		रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया		1131.42	365.41	814.17
उर्वरक का निर्माण	(क)	—	—	—
	(ख)	84.43	—	—
	(ग)	878.86	—	—
		963.29	—	—
मूल औद्योगिक रसायनी का निर्माण	(क)	188.03	36.38	—
	(ख)	5.00	—	—
	(ग)	40.09	—	—
		233.12	36.38	—
वनस्पति और पशजन्य तेल और स्नेहों का निर्माण	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
		—	—	—
विविध रसायनिक उत्पादों का निर्माण	(क)	137.24	—	—
	(ख)	25.00	—	—
	(ग)	—	—	—
		162.24	—	—
कांच और कांच उत्पादों का निर्माण	(क)	35.00	—	84.93
	(ख)	5.00	—	—
		40.00	—	84.93
चीनी मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण	(क)	—	—	162.75
	(ख)	—	—	5.00
		—	—	167.75
सीमेंट का निर्माण	(क)	37.00	—	406.22
	(ख)	2.89	—	5.00
	(ग)	—	—	18.54
		39.89	—	429.76
मूल धातु उद्योग—लोहा और इस्पात	(क)	—	—	202.89
	(ख)	—	—	185.00
		—	—	387.89
आगे ले जाया गया		2569.96	401.79	1884.50

'ङ' (जारी)

मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये लाखों में)

गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
5	6	7	8	9	10	11
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1682 04	325.75	400 94	480.21	—	4718 04	1621.69
513.22	—	306.00	—	—	—	100.00
20.00	—	—	—	—	—	60.00
—	—	—	—	—	—	—
533.22	—	306 00	—	—	—	160.00
203.11	—	100.00	—	—	111.71	—
6.25	—	—	—	—	6.50	5.00
—	—	—	—	—	—	—
209.36	—	100.00	—	—	118.21	5.00
—	—	21.00	—	—	—	42.50
—	—	—	—	—	—	—
—	—	21.00	—	—	—	42.50
10.64	—	61.00	17.38	—	478.84	10.08
—	—	—	5.00	—	131.85	15.00
—	—	—	—	—	245.72	—
10.64	—	61.00	22.38	—	856.41	25.08
3.79	—	30.00	—	—	44.83	1.50
—	—	5.00	—	—	10.00	—
3.79	—	35.00	—	—	54.83	1.50
—	86.98	—	—	—	6.00	2.85
—	15.00	—	—	—	—	—
—	101.98	—	—	—	6.00	2.85
112.30	—	—	219.59	95.00	20.00	—
30.00	—	—	110.00	—	5.00	8.00
—	—	—	—	—	—	—
142.30	—	—	329.59	95.00	25.00	8.00
—	100.00	37.57	—	—	270.09	—
—	15.00	5.00	—	—	15 00	—
—	115.00	42.57	—	—	285.09	—
2581.35	542.73	966.51	832.18	95.00	6063.58	1866.62

परिशिष्ट

30 जून 1072 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई
द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक

(क) ऋणों का बोधक है ।
(ख) हामीदारियों का बोधक है ।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों की गारंटियों का बोधक है ।
(रुपये, लाखों में)

उद्योगों का प्रकार		उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु
(1)		(12)	(13)	(14)	(15)
		रु०	रु०	रु०	रु०
उर्वरक का निर्माण	(क)	527.00	473.85	653.90	1653.77
	(ख)	—	—	54.60	200.00
	(ग)	—	—	—	100.00
		—	—	200.00	—
		—	—	254.60	300.00
मूल औद्योगिक रसायनों का निर्माण . .	(क)	14.29	—	—	603.01
	(ख)	15.00	—	—	5.00
	(ग)	—	—	—	100.08
		29.29	—	—	708.09
वनस्पति और पशुजन्य तेल और स्नेहों का निर्माण .	(क)	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
विविध रसायनों के उत्पादों का निर्माण . .	(क)	—	—	—	128.48
	(ख)	—	—	—	27.00
	(ग)	—	—	—	—
		—	—	—	155.48
कांच और कांच उत्पादों का निर्माण . .	(क)	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
चीनी मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण	(क)	56.75	—	—	—
	(ख)	—	—	—	3.00
		56.75	—	—	3.00
सीमेंट का निर्माण	(क)	100.00	—	125.00	565.05
	(ख)	—	—	—	50.00
	(ग)	—	—	—	—
		100.00	—	125.00	615.05
मूल धातु उद्योग—लोहा और इस्पात . .	(क)	53.00	—	—	—
	(ख)	15.00	—	—	—
		68.00	—	—	—
आगे ले आया गया . .		781.04	473.85	778.39	3435.39

'ङ' (जारी)

मंजूरियों का समायोजन करने के बाद) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये, लाखों में)

उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1803.62	1582.01	39.3.0	11.00	60.16	—	18089.68	262
200.00	—	—	—	—	—	1373.82	
45.00	—	—	—	—	75.00	384.43	
200.00	—	—	—	—	—	1278.86	
445.00	—	—	—	—	75.00	3037.11	10
195.09	97.21	—	—	—	—	1548.83	
5.00	—	—	—	—	—	47.75	
—	35.86	—	—	—	—	176.03	
200.09	133.07	—	—	—	—	1772.61	18
27.50	—	—	—	—	—	91.00	
7.00	—	—	—	—	—	7.00	
34.50	—	—	—	—	—	98.00	5
39.75	203.13	—	—	—	—	1086.54	
12.50	5.00	—	—	—	—	221.35	
—	—	—	—	—	—	245.72	
52.25	208.13	—	—	—	—	1553.61	21
20.65	120.01	—	—	—	—	340.71	
—	—	—	—	—	—	20.00	
20.65	120.01	—	—	—	—	360.71	12
—	123.00	—	—	—	—	438.33	
—	—	—	—	—	—	23.00	
—	123.00	—	—	—	—	461.33	12
—	—	—	—	—	—	1680.16	
—	—	—	—	—	—	210.89	
—	—	—	—	—	—	18.54	
—	—	—	—	—	—	1909.59	26
115.67	—	—	—	—	—	779.22	
17.25	—	—	—	—	—	252.25	
132.92	—	—	—	—	—	1031.47	11
2689.03	2166.22	39.30	11.00	60.16	75.00	28314.11	377

30 जून, 1972 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई
द्वारा मंजूर की गई वित्तीय आर्थिक सहायता

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

(क) ऋणों का बोधक है ।
(ख) हामीदारी का बोधक है ।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों का बोधक है ।

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार		आंध्र प्रदेश	असम	बिहार
(1)		(2)	(3)	(4)
		रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया		2569.96	401.79	1884.50
—आलौह धातुएं	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
	(ग)	—	—	—
		—	—	—
धातु उत्पादों का निर्माण सिवाय मशीनरी परिवहन उपस्कर के .	(क)	—	—	159.00
	(ख)	15.00	—	20.00
	(ग)	—	—	—
		15.00	—	179.00
मशीनरी का निर्माण सिवाय बिजली मशीनरी के . .	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
	(ग)	—	—	—
		—	—	—
बिजली की मशीनरी, उपस्करों, औजारों और पूर्ति साधनों का निर्माण	(क)	33.98	—	12.00
	(ख)	3.00	—	—
		36.98	—	12.00
रेल-सड़क उपस्कर का निर्माण	(क)	—	—	15.00
	(ख)	—	—	—
		—	—	15.00
मोटर गाड़ियों और उनके कल पुर्जों का निर्माण . . .	(क)	11.79	—	—
	(ख)	—	—	50.00
	(ग)	—	—	—
		11.79	—	50.00
नौपरिवहन	(ख)	—	—	—
		—	—	—
साइकलों का निर्माण	(क)	—	—	—
		—	—	—
आगे ले जाया गया		2633.73	401.79	2140.50

परिशिष्ट 'ङ' (जारी

मंजूरियों का समायोजन करने के बाद), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये, लाखों में)

गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
5	6	7	8	9	10	11
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
2581.35	542.73	966.51	832.18	95.00	6063.58	1866.62
—	—	134.00	—	—	63.69	90.00
—	—	10.00	—	—	—	125.00
—	—	160.79	—	—	—	—
—	—	—	—	—	63.69	215.00
70.61	237.67	—	38.71	—	520.15	—
2.00	26.50	—	50.00	—	158.10	—
27.00	—	—	—	—	103.26	—
99.61	264.17	—	88.71	—	781.51	—
67.07	190.23	—	—	—	282.08	53.00
7.00	7.00	—	—	—	5.70	7.50
—	9.48	—	—	—	—	—
74.07	206.71	—	—	—	287.78	60.50
92.37	105.00	112.00	26.32	—	354.05	165.39
25.00	24.48	5.00	3.00	—	48.63	5.00
117.37	129.48	117.00	29.32	—	402.68	170.39
2.25	—	—	—	—	—	60.00
1.50	—	—	—	—	—	10.00
3.75	—	—	—	—	—	70.00
—	67.39	—	—	—	375.99	62.50
—	—	—	—	—	93.00	—
—	—	—	—	—	26.95	—
—	67.39	—	—	—	495.94	62.50
—	—	—	—	—	10.00	—
—	—	—	—	—	10.00	—
—	45.85	—	—	—	—	—
2876.15	1256.33	1388.30	950.21	95.00	8105.18	2445.01

परिशिष्ट 'ड' (जारी)

30 जून, 1972 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई हुआ मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता

(क) ऋणों का बोधक है ।
(ख) हामीदारियों का बोधक है ।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों का बोधक है ।

(रुपये, लाखों में)

उद्योग का प्रकार		उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिल नाडु
(1)		(12)	(13)	(14)	(15)
		रु०	रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया		781.04	473 85	778 90	3435 39
—अलौह धातुए	(क)	170 00	—	111 00	100.00
	(ख)	—	—	—	120.00
	(ग)	—	—	557.35	968.50
		170.00	—	668.35	1188.50
धातु उत्पादों का निर्माण सिवाय मशीनरी परिवहन उपस्कार के	(क)	127.00	—	59.20	147 80
	(ख)	—	—	7.00	27 00
	(ग)	—	—	—	—
		127.00	—	66.20	174.80
मशीनरी का निर्माण सिवाय बिजली मशीनरी के	(क)	—	84.21	—	93 72
	(ख)	—	25.00	—	22.50
	(ग)	—	—	—	95.53
		—	109.21	—	211.75
बिजली की मशीनरी, उपस्करो, औजारो और पुर्ति साधनो का निर्माण	(क)	—	60.54	184.74	12.00
	(ख)	—	—	8.00	28.88
		—	60.54	192 74	40.88
रेल-सडक उपस्कर का निर्माण	(क)	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
मोटर गाडियो और उनके कल पुर्जों का निर्माण	(क)	75.00	133.72	—	174.34
	(ख)	10 00	—	—	30.00
	(ग)	—	—	—	—
		85 00	133 72	—	204.34
नौपरिवहन	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
साइकलो का निर्माण	(क)	—	—	—	—
		—	—	—	—
आगे ले जाया गया		1163.04	777.32	1706·19	5255.66

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

मंजूरियों का समायोजन करने कोड), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये लाखों में)

उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(220)	(23)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
2689.03	2166.22	39.30	11.00	60.16	75.00	28314.11	377
29.00	241.28	—	—	—	—	938.97	
46.00	—	—	—	—	—	301.00	
—	259.01	—	—	—	—	1945.65	
75.00	500.29	—	—	—	—	3185.62	11
193.15	369.24	—	—	—	—	1922.53	
26.50	110.50	—	—	—	—	442.60	
—	—	—	—	—	—	130.26	
219.65	479.74	—	—	—	—	2495.39	57
120.00	324.22	—	—	—	—	1214.53	
10.00	20.00	—	—	—	—	104.70	
—	—	—	—	—	—	105.01	
130.00	344.22	—	—	—	—	1424,24	23
—	59.63	30.00	—	—	—	1248.62	
4.00	2.50	9.75	—	—	—	167.24	
4.00	62.13	39.75	—	—	—	1415.26	38
—	55.00	—	—	—	—	132.25	
—	—	—	—	—	—	11.50	
—	55.00	—	—	—	—	143.75	4
101.93	—	—	—	—	—	1002.66	
—	20.00	—	—	—	—	203.00	
—	—	—	—	—	—	26.95	
101.93	20.00	—	—	—	—	1232.61	21
—	—	—	—	—	—	10.00	
—	—	—	—	—	—	10.00	1
—	139.20	—	—	—	—	185.05	
—	139.20	—	—	—	—	185.05	3
3319.61	32766.80	75.05	11.00	60.16	75.00	38406.03	535

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

30 जून, 1972 तक प्रत्येक राज्य में (रद्द की गई/वापस ली गई द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता

(क) ऋणो का बोधक है ।
(ख) हामीदारियो का बोधक है ।
(ग) मशीनरी को आस्थगित अदायिगियो और विदेशी ऋणों की गारंटियो का बोधक है ।

(रुपये, लाखों में)

इकाइयों का प्रकार		आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार
(1)		(2)	(3)	(4)
		रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया		2633.73	401.79	2140.50
विविध उद्योग	(क)	6.34	—	—
		6.34	—	—
बिजली, गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाये :				
—बिजली प्रकाश और शक्ति जनन, संचरण और वितरण	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
		—	—	—
—गैस निर्माण और वितरण	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
	(ग)	—	—	—
		—	—	—
खनन और खदान—कोयला	(क)	—	—	50.00
		—	—	50.00
—लोह-धातु	(क)	—	—	—
		—	—	—
पत्थर की खदान खनिज—धातुएं	(ख)	—	—	10.00
		—	—	10.00
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	(ख)	—	350.00	—
		—	350.00	—
होटल उद्योग	(क)	—	—	—
	(ख)	—	—	—
	(ग)	—	—	—
		—	—	—
	(क)	531.43	401.79	1582.75
	(ख)	182.82	350.00	288.00
	(ग)	925.82	—	329.75
जोड़		2640.07	751.79	2200.50
राज्यवार इकाइयों की संख्या		(34)	(7)	(25)

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

मंजूरियों का समायोजन करने के बाद), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये, लाखों में)

गुजरात	हरियाणा	केरल	मध्य प्रदेश	मेघालय	महाराष्ट्र	मैसूर
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
2876.15	1256.33	1388.30	950.21	95.00	9105.18	2445.01
—	10.00	—	—	—	64.10	10.00
—	10.00	—	—	—	64.10	10.00
40.00	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	50.00	—
40.00	—	—	—	—	50.00	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	82.50	—
—	—	—	—	—	3.00	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	85.50	—
2601.53	1141.87	1186.33	684.14	95.00	7357.57	1967.99
187.32	104.38	29.50	226.25	—	571.28	265.50
127.30	20.08	172.47	39.82	—	275.93	221.52
2916.15	1266.33	1388.30	950.21	95.00	8304.78	2455.01
(46)	(28)	(19)	(16)	(1)	(121)	(41)

परिशिष्ट 'ङ' (जारी) 30 जून, 1972 तक प्रत्येक राज्य मे (रद्द की गई/वापस ली गई द्वारा मंजूर की गई निवल आर्थिक सहायता

(क) ऋणों का बोधक है ।
(ख) हामीदारियों का बोधक है ।
(ग) मशीनरी की आस्थगित अदायगियो और विदेशी ऋणो का बोधक है ।

(रुपये, लाखों में)

इकाइयो का प्रकार		उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु
(1)		(12)	(13)	(14)	(15)
		रु०	रु०	रु०	रु०
आगे लाया गया .		1163.04	777.32	1706.19	5255.66
विविध उद्योग	(क)	—	—	—	98.63
		—	—	—	98.63
बिजली, गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाये :					
—बिजली प्रकाश और शक्ति जनन, संचरण और वितरण	(क)	—	—	—	—
	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
—गैस निर्माण और वितरण . .	(क)	—	—	—	16.44
	(ख)	—	—	—	4.00
	(ग)	—	—	—	9.61
		—	—	—	30.05
खनन और खदान—कोयला . .	(क)	—	—	—	—
		—	—	—	—
—लोह-धातु	(क)	75.00	—	—	—
		75.00	—	—	—
पत्थर की खदान खनिज—धातुएं . .	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस . .	(ख)	—	—	—	—
		—	—	—	—
होटल उद्योग	(क)	—	—	—	27.50
	(ख)	—	—	—	4.00
	(ग)	—	—	—	—
		—	—	—	31.50
	(क)	1143.04	742.36	926.34	3643.40
	(ख)	95.00	25.00	22.50	545.38
	(ग)	—	9.96	757.35	1227.06
जोड़ .		1238.04	777.32	1706.19	5415.84
राज्यवार इकाइयों की संख्या . .		(17)	(12)	(14)	(64)

परिशिष्ट 'ङ' (जारी)

मजूरियों का समायोजन करने के बाद), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्योगवार वितरण का विवरण

(रुपये, लाखों में)

उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	पांडीचेरी	गोआ	जोड़	इकाइयों की संख्या
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
3319.61	3766.80	75.05	11.00	60.16	75.00	38406.03	535
5.10	12.00	—	—	—	—	206.17	
5.10	12.00	—	—	—	—	206.17	1
—	3.00	—	—	—	—	43.00	—
—	—	—	—	—	—	50.00	—
	3.00	—	—	—	—	93.00	5
35.12	86.00	—	—	—	—	137.56	
4.00	—	—	—	—	—	8.00	—
—	—	—	—	—	—	9.61	
39.12	86.00	—	—	—	—	155.17	3
—	72.00	—	—	—	—	122.00	
—	72.00	—	—	—	—	122.00	3
—	—	—	—	—	—	75.00	
—	—	—	—	—	—	75.00	1
—	—	—	—	—	—	10.00	
—	—	—	—	—	—	10.00	1
—	—	—	—	—	—	350.00	
—	—	—	—	—	—	350.00	1
35.50	—	122.62	—	—	—	268.12	
—	—	—	—	—	—	7.00	
—	—	93.00	—	—	—	93.00	
35.50	—	215.62	—	—	—	368.12	5
2704.77	3190.17	187.62	11.00	52.00	—	3115.10	
272.25	217.50	9.75	—	—	75.00	3467.43	
322.31	532.13	97.30	—	8.16	—	5166.96	
3299.33	3939.80	294.67	11.00	60.16	75.00	39785.49	565
(44)	(70)	(3)	(1)	(1)	(1)	(565)	

परिशिष्ट 'च'

वर्ष 1971 के दौरान देश के चुने हुए उद्योगों की कुल संस्थापित क्षमता और औद्योगिक उत्पादन तथा उसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थानों का योगदान

उद्योग	उत्पादन इकाई	सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त औद्योगिक संस्थाओं के सम्बन्ध में		
		औद्योगिक संस्थाओं की संख्या	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	औद्योगिक संस्थाओं की संख्या	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8
1. रसायन और रसायन उत्पाद	हजार टनों में						
—सल्फ्यूरिक एसिड	,,	67	1969	1300	3	40	11
—कास्टिक सोडा	,,	28	372	369	6	140	135
—सोडा एश	,,	4	471	483	2	259	278
—ब्लीचिंग पाउडर	,,	3	26	15	2	14	7
—क्लोरिन तरल	,,	22	222	162	5	66	51
—फिनायल	,,	2	17	10	1	10	9
—बुटाडिन	,,	1	7	5	1	7	5
—एसीटोन	,,	3	19	12	1	6	6
—डाई-एसीटोन तरल	,,	2	5	3	2	5	3
—एथिलीन	,,	2	75	67	1	60	47
—बैनजीन	,,	10	94	55	1	14	12
—पी० बी० सी	,,	4	23	26	1	20	20
—पी० एफ० मोल्डिंग पाउडर	,,	3	5	4	1	2	2
—यू० एफ० एण्ड एम० एफ० मोल्डिंग पाउडर	,,	5	3	2	1	0.5	0.4
2. उर्वरक							
(क) नाइट्रोजन उर्वरक							
—अमोनियम सल्फेट	,,	13	978	622	2	454	203
—अमोनियम क्लोराइड	,,	2	69	32	1	25	10
—अमोनियम फास्फेट	,,	2	186	96	1	132	58
,, यूरिया	,,	10	1878	1237	3	1054	799
(ख) फास्फेटीय उर्वरक							
—सुपर फास्फेट	,,	28	1300	759	1	44	30
3. सीमेंट	,,	50	19390	14930	9	11704	8780
4. कागज और कागज बोर्ड	,,	59	882	774	11	360	330
5. हार्ड बोर्ड	,,	3	35	20	2	19	9
6. रबर उत्पाद							
—आटोमोबाइल टायर	संख्या हजारों में	31	3850	4146	3	1050	870

—आटोमोबाइल ट्यूब	संख्या हजारों में	26	3850	3882	3	1050	921
—साइकल टायर	,,	11	24396	19189	2	7000	3283
—साइकल ट्यूब	,,	13	22200	12419	2	7000	2999
—औद्योगिक वी० बैल्ट और पंखों के पट्टे	,,	11	5260	5512	1	960	597
7. इस्पात की ढलवां वस्तुएं	हजार टनों में	42	137	56	4	18	10
—इस्पात ट्यूब और नल	,,	14	601	218	4	414	111
—बाल और रोलर बियरिंग	संख्या लाखों में	7	189	190	3	95	70
8. रिफ्रेक्ट्रियां	हजार टनों में	43	1096	785	1	36	39
—सफाई भांड (सनीटरी वेअर्स)	,,	9	17	14	1	5	4
9. मशीनरी							
—ट्रैक्टर	संख्या	6	32200	16443	1	3000	1210
10. बिजली की मशीनरी और सामान							
—बिजली की मोटरें	अश्वशक्ति हजारों में	20	2569	2365	2	410	556
—बिजली के ट्रांसफारमर	किलोवाट एम्पियर हजारों में	23	6265	8690	2	1000	1089
—घरेलू प्रयोग के मीटर	संख्या हजारों में	15	2057	2849	1	200	154
11. रीमर	,,	16	288	171	3	267	47
12. माइलिंग कटर	,,	18	436	339	3	73	37
13. आटोमोबाइल उद्योग							
—मोटरसाइकल —स्कूटर —तिपहिये स्कूटर —मोपेड	संख्या इकाई में	10	167	127	4	65	48
14. साइकल (पुर्ण)	संख्या हजारों में	10	3332	1864	1	700	467
15. चीनी							
—गैरसरकारी क्षेत्र	लाख टनों में	140	24.50	18.35	4	0.95	0.87
—सहकारी क्षेत्र	,,	79	15.00	12.75	53	9.53	8.54
16. सूती वस्त्र							
—सूत	किलोग्राम लाखों में	*670	180.06 (करघे लाखों में)	8810	48@	12.96 (करघे लाखों में)	759
—कपड़ा	मीटर लाखों में		2.09 (तकुए लाखों में)	73110		0.10 (तकुए लाखों में)	2018

टिप्पणी : 1. खाना 3, 4, और 5 में दी गई सूचना औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालयों की रिपोर्टों पर आधारित है ।

2. खाना, 6, 7 और 8 में दी गई सूचना निगम को वित्तपोषित इकाइयों से प्राप्त प्रश्नावली पर आधारित है ।

*इसमें 291 संयुक्त मिलें शामिल हैं । @इसमें 9 संयुक्त मिलें शामिल हैं ।

परिशिष्ट 'छ'

30 जून 1972 को जिन संस्थाओं में निगम के संचालक, संचालक और अंशधारी के रूप में हितबद्ध हैं उनके द्वारा देय ऋण

कम्पनियों/ समितियों की क्रम संख्या	ऋण मंजूर होने की तारीख	मंजूर हुए ऋण की रकम	देय रकम			कैफियत
			उन ऋणों की देय रकम जो सम्बन्धित संचालकों के निगम से संचालक होने अथवा ऋणी संस्था से हितबद्ध होने से पहले मंजूर किए गए थे	उन ऋणों की रकम जो सम्बन्धित संचालकों के निगम के संचालक रहते हुए मंजूर किए गए थे	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7
(क) जिन सहकारी समितियों में निगम के संचालक, राज्य सरकारों या सहकारी बैंकों या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नामित व्यक्ति के रूप में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा देय ऋण						
	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
(ख) जिन संस्थाओं में निगम के संचालक केवल अंशधारियों के रूप में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा देय ऋण						
1.	31-1-64	25,43,889	6,77,951			
	27-1-65	8,54,730	3,90,034			
	28-1-66	21,81,568	8,88,045			
2.	30-5-63	19,59,187	6,80,219			
3.	28-3-69	53,34,427	52,04,051			
4.	20-3-67	2,00,00,000	2,00,00,000			
5.	28-1-61	8,26,000	9,60,078			
	29-3-61	———	———			
	27-5-65	13,00,000	15,78,227			
	28-1-61	79,48,350	1,06,90,849			
6.	30-4-64	1,00,00,000	76,00,000			
7.	3-5-56	2,06,00,000	90,85,000			
	10-1-57	50,00,000				

1	2	3	4	5	6	7
8.	29-6-61	1,00,00,000	75,00,000			
	30-5-63	50,00,000	35,00,000			
	26-6-69	56,48,000	56,48,000			
	30-6-68	23,94,952	20,29,948			
	26-6-69	47,56,285	28,55,720			
9.	28-12-64	6,88,440	2,83,926			
	22-11-66	17,95,238	—	16,27,459		
10.	30-12-65	2,00,00,000	—	1,62,42,937		
11.	27-1-65	50,00,000	41,64,199			
12.	29-8-63	27,22,665	25,09,299			
	29-8-63	7,96,000	6,41,084			
	28-7-66	4,51,000	—	4,69,089		
	28-7-66	8,39,000	—	7,11,673		
13.	30-5-63	34,09,098	18,58,784			
	30-5-63	29,88,353	4,45,845			
14.	30-4-64	41,89,000	34,78,000			
	28-12-64	4,39,000				
	30-4-64					
	28-12-64	38,83,197	24,65,694			
	30-4-64					
	28-12-64	46,96,851	32,56,542			
	27-1-67	75,00,000	—	50,50,000		
15.	28-9-62	1,50,00,000	1,27,50,000			
	28-7-66	50,00,000	—	47,50,000		
16.	25-5-61	2,79,000	1,04,804			
	25-5-61	6,53,763	2,18,656			
	29-8-63	7,50,000	3,16,143			
	आगे ले जाया गया	18,74,27,993	11,17,81,098	2,88,51,158		

1	2	3	4	5	6	7
	आगे लाया गया	18,74,27,993	11,17,81,098	2,88,51,158		
17.	29-11-60	12,00,000	6,19,553			
	30-1-69	80,00,000	—	80,00,000		
18.	30-12-65	9,26,918	63,176			
19	29-9-65	1,00,00,000	78,02,000			
	28-8-69	30,00,000	4,96,000			
20.	29-9-64	35,98,313	19,89,562			
21.	30-5-63	1,40,00,000	1,12,00,000			
22.	31-10-68	20,65,000	—	19,65,000		
	31-10-68	3,00,000	—	3,00,000		
	31-10-68	12,32,093	—	9,17,089		
23.	25-3-65	42,82,650	23,92,645			
24.	29-4-65	2,00,00,000	1,62,50,000			
	24-2-72	13,21,580	—	2,49,046		
25.	29-2-63	28,07,000	19,12,771			
26.	25-6-55	1,00,00,000	20,66,460			
	27-6-58	50,00,000	10,33,515			
	30-3-67	85,14,960	75,79,776			
	30-3-67	6,91,200	1,37,937			
			6,349			
	30-3-67	5,79,120	5,11,715			
27.	26-11-56	25,00,000	4,88,000			
	'ख' का जोड़	28,74,46,827	16,83,30,557	4,02,82,293	20,86,12,850	

1	2	3	4	5	6	7
	ग. जिन संस्थाओं में निगम के संचालक, संचालकों के रूप में हितबद्ध हैं, उनके द्वारा देय ऋण					
1.	27-6-58	20,00,000	2,06,518			
	29-8-68	35,00,000	32,50,000			
	25-11-65	5,00,000	3,60,040			
	28-2-63	14,53,413	4,24,331			
	28-2-63	16,32,195	6,08,831			
	31-1-63 to 30-7-64	27,34,741	23,61,688			
	29-8-68	1,00,644	1,05,809			
2.	28-11-68	40,00,000	—	39,00,000		
	25-2-71	15,00,000	—	15,00,000		
3.	25-3-71	33,34,000	21,00,000			
	25-3-71	1,66,480	1,56,838			
4.	30-9-63	24,30,000	8,59,390			
	26-5-66	20,00,000	11,46,115			
	30-9-63	42,71,894	27,16,717			
	29-10-64	14,04,210	8,99,994			
	29-10-64	9,56,284	9,39,613			
5.	24-2-66	43,05,000	15,05,000			
	30-11-67	6,15,090	2,94,779			
6.	29-12-66	50,00,000	—	7,08,545		
	'ग' का जोड़	4,19,03,951	1,79,35,663	61,08,545	2,40,44,208	
	'क' 'ख' और 'ग' का जोड़	32,93,50,778	18,62,66,220	4,63,90,838	23,26,57,058	

परिशिष्ट

30 जून 1972 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई निवल वित्तीय
(प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिए

	सहकारी		पब्लिक लिमिटेड		
	संस्थाओं की संख्या	ऋण	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां
1. रकमें, जो दस लाख रु० से अधिक न हों . .	—	—	74	231.20	219.04
2. रकमें, जो 10 लाख रु० से अधिक पर 20 लाख रु० से अधिक न हों .	—	—	49	548.70	217.38
3. रकमें, जो 20 लाख रु० से अधिक पर 30 लाख रु० से अधिक न हों .	3	75.20	43	889.73	211.70
4. रकमें, जो 30 लाख रु० से अधिक पर 40 लाख रु० से अधिक न हों .	16	592.50	45	1342.30	243.75
5. रकमें, जो 40 लाख रु० से अधिक पर 50 लाख रु० से अधिक न हों .	6	275.00	44	1725.75	264.90
6. रकमें, जो 50 लाख रु० से अधिक पर 60 लाख रु० से अधिक न हों .	8	453.75	23	1211.39	63.00
7. रकमें, जो 60 लाख रु० से अधिक पर 70 लाख रु० से अधिक न हों .	5	323.00	21	1269.76	36.00
8. रकमें, जो 70 लाख रु० से अधिक पर 80 लाख रु० से अधिक न हों .	12	930.00	18	1058.90	211.10
9. रकमें, जो 80 लाख रु० से अधिक पर 90 लाख रु० से अधिक न हों .	30	2653.31	11	884.35	67.50
10. रकमें, जो 90 लाख रु० से अधिक पर एक करोड़ रु० से अधिक न हों .	4	398.00	8	778.11	—
11. रकमें, जो एक करोड़ रु० से अधिक हों . . .	20	3043.89	81	12466.26	1933.06
जोड़ . .	104	8744.65	417	22406.45	3467.43

'घ'

सहायता का धनराशि के अनुसार वर्गीकरण
मंजूर की गई रकमों के अनुसार)

(रुपये, लाखों में)

कम्पनियां			जोड़			
मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़	संस्थाओं की संख्या	ऋण	हामीदारियां	मशीनरी की आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां	जोड़
—	450.24	74	231.20	219.04	—	450.24
—	766.08	49	548.70	217.38	—	766.08
4.71	1106.14	46	964.93	211.70	4.71	1181.34
31.88	1617.93	61	1934.80	243.75	31.88	2210.43
38.68	2029.33	50	2000.75	264.90	38.68	2304.33
—	1274.39	31	1665.14	63.00	—	1728.14
58.75	1364.51	26	1592.76	36.00	58.75	1687.51
82.94	1352.94	30	1988.90	211.10	82.94	2282.94
—	951.85	41	3537.66	67.50	—	3605.16
—	778.11	12	1176.11	—	—	1176.11
4950.00	19349.32	101	15510.15	1933.06	4950.00	22393.21
5166.96	31040.84	521	31151.10	3467.43	1656.96	39785.49

परिशिष्ट 'ङ'

लोक वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र, जिलों/क्षेत्रों की समेचित सूची

राज्य	चुने हुए जिले
1. आन्ध्र प्रदेश	नलगोंडा, मेढक, महबूबनगर, करीमनगर, वारांगल, खमाम, चित्तूर, अनन्तपुर, करनूल, और निजामाबाद, श्रीकाकुलम, कुड्डपा, नेलौर, तथा ओंगल।
2. असम	गोलपारा* कछार, नवगंग, कामरूप, मिकिर हिल्स जिला* तथा मिजो हिल्स जिला तथा उत्तरी कछार हिल्स।
3. बिहार	संथाल परगना, भागलपुर* पालमाऊं, चम्पारन, सारन, दरभंगा* पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और सहर्ष।
4. गुजरात	पंचमहल* कच्छ, अमरेली, सबरकण्ठ, बंसकण्ठ, बढ़ोच भावनगर, मेहसाना, सुरेन्द्रनगर और जूनागढ़।
5. हरियाणा	महिन्द्रगढ़* हिसार तथा जींद।
6. हिमाचल प्रदेश	चम्बा, कन्नौर, कांगड़ा*, कुल्लू तथा लाहौल और स्पीति।
7. जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर* अनन्तनाग, बारामुला, जम्मू* कथुआ, उधमपुर, डोडा, लदाख, पूंच्छ तथा रजौरी।
8. केरल	अलेप्पी, त्रिवेन्द्रम, कन्नौर, त्रिचूर तथा मालापुरम।
9. मध्य प्रदेश	बस्तर, मांडला, सरगुजा, स्योनी, बिलासपुर, झलुआ, बालाघाट, सिन्धी, बेतूल, रायगढ़, रायपुर, धार, टिकमगढ, राजगढ़, खरगांव, साजपुर, शिवपुरी, चिंदवाड़ा, रीवां, पन्ना, देवस, मंदसौर, छत्तरपुर, गुना, दतिया, मोरेना, विडिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, देमोह, भिंड, सागर तथा रतलाम।
10. महाराष्ट्र	भीर, उसमानाबाद, भांद्रा, रत्नागिरि* औरंगाबाद, योतमल, चान्दा, बुलिया, बुल्डाना, नान्देद, प्रभाडी, जलगांव तथा कोलाबा।
11. मेघालय	संयुक्त खासी तथा जैयंतिया हिल्स के दोनों जिले, तथा गारो हिल्स*।
12. मैसूर	बेलगांव, बिदार, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायचुर, दक्षिणी कनारा तथा टुंकुर।
13. नागालैण्ड	कोहिमा*, मोकोकचंग*, तथा तेनसंग।
14. उड़ीसा	बोलंगिर, मयूरभंज* धेनकनल, कालाहांडी*, बालासोर, क्योंनझर, कोरापुट, तथा फुलबानी।
15. पंजाब	होशियारपुर* भटिंडा, गुरदासपुर तथा संगरूर।
16. राजस्थान	जैलोर, बंसवाड़ा, डुंगरपुर, नागौर, चुरू, अलवर* टौंक, उदयपुर, जोधपुर* झुनझुनू, सीकर, सिरोही, भीलवाड़ा, झालाबाड़ा, जैसलमेर, तथा बाड़मेर।
17. तमिल नाडु	दक्षिणी अरकोट, तिरुचरापल्ली, मदुराई रामनाथापुरम, कन्याकुमारी, उत्तरी अरकोट, तंजावुर तथा धर्मापुरी।
18. उत्तर प्रदेश	अलमोड़ा, आजमगढ़, भडौंच, बादा, बलिया*, दबायूं, चमोली, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, पीलीभीत, कालोत, जौतपुर, झांसी*, मैनपुरी, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, टेहरी गढ़वाल, उन्नाव, उत्तरकाशी, बाराबांकी, बस्ती, बुलन्दशहर, एटा, इटावा, फैजाबाद, गोंडा, मथुरा, फरुखाबाद, मुरादाबाद, शाहजहानपुर तथा देवरिया।
19. पश्चिमी बंगाल	पुरुलिया*, बांकुरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, मालदा, कूचबिहार, पश्चिमी दिनाजपुर तथा मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, भिरभूम, बुर्दवान, हुगली और नदिया।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	सम्पूर्ण क्षेत्र
दादरा और नगर हवेली*	सम्पूर्ण क्षेत्र
गोआ, मदन और दिउ*	सम्पूर्ण क्षेत्र
लकादीव, अमीनदीव और मिनीकाय द्वीपसमूह*	वासित द्वीपसमूह
मणिपुर*	सम्पूर्ण क्षेत्र
नेफा*	सम्पूर्ण क्षेत्र
पांडिचेरी*	सम्पूर्ण क्षेत्र
त्रिपुरा*	सम्पूर्ण क्षेत्र

*ये जिले/क्षेत्र केन्द्रीय सरकार की निवेश आर्थिक सहायता के पात्र हैं।

टिप्पणियां : (i) दो क्षेत्र रायलसीमा खण्ड के 13 ब्लाकों वाला एक क्षेत्र, अर्थात् चन्द्रागिरी ब्लाक (चित्तूर जिला) प्रोदत्तर, कमलापुरम, कुडापा, पुलोवेन्दला, राजमपैट, तथा सिंधीत ब्लाक (जिला कुडापा) सिंहमाला, तदीपत्री तथा कुट्टी ब्लाक (अनन्तपुर जिला) कुरनूल और धौन ब्लाक (कुरनूल जिला) अन्य तेलांगाना खण्ड के 16 ब्लाकों वाला क्षेत्र, अर्थात् सिद्दीपेत (मेढक जिला) पोडापल्ली, सुल्तानाबाद, करीमनगर, पथा हजूराबाद, ब्लाक,

(करीमनगर जिला) हनम कोंडा, नरसिंह पेट तथा महबूबाबाद ब्लाक (वारांगल जिला) खमाम तथा तिरुमलयपलेम ब्लाक (खमाम जिला) सूर्यपेट, नलगोंडा, मूलुगुडा तथा मकटेकल ब्लाक (नलगोंडा जिला कल्वाकुर्मी तथा अमंगल ब्लाक (महबूब नगर जिला)।

(ii) दो क्षेत्र : 12 ब्लाकों वाला पूर्वी खण्ड से एक क्षेत्र, अर्थात् कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी, तथा बिल्हा (बिलासपुर जिला) भटपाड़ा, सिंगा, तिल्दा, धरसिवा, (रायपुर) अभनपुर, तथा रजिम ब्लाक (रायपुर जिला) तथा पश्चिमी खण्ड में 10 ब्लाकों वाला अन्य क्षेत्र, अर्थात् देवस, तथा टौंक खुर्द ब्लाक (देवस जिला) गुलाना सुजलपुर तथा साजापुर, ब्लाक (रायगढ़ जिला) पछौर (सरंगपुर) तथा पिपौरा ब्लाक (रायगढ़ जिला) तथा चचौर, राघोगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिला)।

(iii) तथा रामनाथापुरम जिले का रामानाथापुरम विकास सहित तिरुपत्तूर, मेलुर, (जिला मदुरई) और तिरुमयन, अलंगुडी तथा कुलातूर (जिला त्रिरुचेरापली) केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के पात्र हैं क्रम संख्या 3 से 7 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में उनकी राजधानियों की नगरपलिका सीमाओं के भीतरी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण जिला केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं।

(iv) तमिल नाडु में रामनाथापुरम, मदुकुलातर, शिवगंगा, परमकुडी, तिरुवदनई तथा तिरुपतर के उपतालुकाओं सहित उपतालुके।

परिशिष्ट 'ञ'

केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं को रियायती दर पर उपलब्ध वित्तीय सहायता का वितरण।

(i) ब्याज की दर :

वर्तमान ब्याज की दर 9 प्रतिशत (ब्याज तथा मूलधन की किस्तें समय पर अदा करने मे प्रतिशत की छूट) से कम ब्याज दर अर्थात् 7 प्रतिशत (प्रतिशत की छूट) होगी।

(ii) ऋणों की अदायगी में प्रारम्भिक रियायत अवधि : निगम की सामान्य पद्धति रही है। कि सहायता प्राप्त संस्था को ऋण अदायगी में मूलधन की प्रथम किस्त अदा करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों में यह अवधि ऋण के प्रथम संवितरण की तारीख से 5 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी।

(iii) ऋणों के लिए परिशोधन अवधि :

ऋण अदायगी के लिए सामान्यत: 10 से 12 वर्षों के स्थान पर यह अवधि 15 से 20 वर्षों तक बढ़ा दी जाएगी।

(iv) प्रतिभूति की सीमा :

निगम की वर्तमान प्रवृत्ति 50 प्रतिशत का अन्तर रखने की है, जो 30/35 प्रतिशत तक घटा दी जाएगी, अर्थात् इक्विटी: ऋण 1 : 2 में स्वीकार्य होगा।

(v) प्रवर्तकों का योगदान :

परियोजना की लागत में प्रवर्तकों से सामान्य आवश्यकताओं से भिन्न निगम कम योगदान स्वीकार कर लेगा।

(vi) साधारण और अधिमान पूंजी में सांझेदारी :

प्रत्येक मामले के गुण दोषों को देखते हुए निगम हामीदारी अथवा अन्य तरीके से अन्य क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्र/राज्यों में स्थिति औद्योगिक इकाई के लिए शेयर पूंजी में अधिक वा सांझेदारी पर विचार करने के लिए प्रस्तुत रहेगा।

(vii) अन्य प्रभारों में कटौती :

निगम के सामान्य प्रभारी, हामीदारी, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार, आवेदनों की जांच के लिए अप्रतिदेय शुल्क, विधिक प्रभारों में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी।

सामान्यत: रियासतें उन परियोजनाओं पर लागू होंगी जिनकी परियोजना लागत एक करोड़ से अधिक न हो, बड़ी परियोजनाओं को रियायती वित्त देने के लिए चयनात्मक आधार पर विचार किया जाएगा। वर्तमान परियोजनाओं के लिए भी विस्तार कार्यक्रमों के लिए रियायती सहायता उपलब्ध है जहां इकाई में पहले लगाई गई पूंजी के अतिरिक्त अचल पूंजी 25% से कम नहीं है। औद्योगिक सहकारिताओं की पूंजी लागत को बिना ध्यान में रखें ही ये रियायतें देने का निश्चय किया गया है।

पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित परियोजनायें केन्द्रीय सरकार को योजनाओं के अनुसार अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्त करने पर भी औद्योगिक वित्त निगम से रियायतों को प्राप्त कर सकेंगीं, जो परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक हो सकती है, बशर्ते परियोजना लागत 50 लाख रुपये से अधिक न हो।

परिशिष्ट 'ट'

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पत्र संख्या 278/ओ० पी०-7 (जे०)-70/71, दिनांक 28 जुलाई 1970 द्वारा दिए गए अनुदेश जो बाद में उनके पत्र सं० 536/ओ० पी०-7(जे०)-71/72 दिनांक 11 जनवरी 1972 तथा 771/ओ० पी०-7 (जे०)-71/72 दिनांक 21 फरवरी 1972 द्वारा संशोधित किए गए।

1. निगम को जहां तक व्यवहारिक हो सके पिछड़े हुए प्रान्तों और क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सहायता करनी चाहिए ताकि वह क्षेत्र अधिक सन्तुलित आर्थिक विकास प्राप्त कर सके।

2. निगम को वित्तीय सहायता मंजूर करते समय औद्योगिक इकाइयों की आय क्षमता के उचित मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऋण इक्विटी मात्रा उचित होनी चाहिए। जो सामान्यतः 2 : 1 से अधिक न हो, आवश्यकता पड़ने पर देश के कम विकसत क्षेत्रों में तथा विशेष महत्व की परियोजनाओं के मामले में, निगम के संचालक बोर्ड के विवेक से उसमें छूट दी जा सकती है, परन्तुक यह कि यदि किसी मामले में प्रतिभूति की मात्रा 30 प्रतिशत से कम हो तो निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

3. जब कभी निगम द्वारा वैयक्तिक मामलों में एक करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता मंजूर करने का निर्णय किया जाए तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पूर्ण विवरण सहित रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। उन सभी मामलों में जिनमें किसी औद्योगिक इकाई को सहायता मंजूर की जाए और निगम का संचालक हितबद्ध है, यदि ऐसी इकाई को आधे से कम संचालकों की उपस्थिति में अथवा निर्णय सर्वसम्मत न होने पर, ऋण मंजूर किया जाए तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

4. (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्व अनुमति के बिना निगम किसी भी एक औद्योगिक इकाई को ऋण मंजूर नहीं करेंगे यदि कुल राशि दो करोड़ रुपए से अधिक हो।

(ii) निगम द्वारा ऐसे सभी मामलों, जहां पर औद्योगिक इकाइयां उद्योगपतियों के नजदीकी सम्बन्धित समूह के नियंत्रण, स्वामित्व एवं प्रबन्ध में हैं, तो दो करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी के सभी मामले आदेश के लिए औद्योगिक विकास बैंक को भेजे जाने चाहिए।

उपरोक्त (i) तथा (ii) खण्डों के उद्देश्यों के लिए दो करोड़ रुपए की कुल राशि का गणन पिछली राशि तथा अतिरिक्त मंजूर राशि को जोड़ कर किया जाएगा।

हिन्दी अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली

(GLOSSARY)

अंतर-सरकारी	Inter-governmental
अंतर्राष्ट्रीय मानक	International standard
अंशधारी	Share holder
अकथित	Unquoted
अतिरिक्त ऋण	Additional loan
अदावी	Unclaimed
अधिलाभांश	Dividend
अधिकृत पूंजी	Authorised Capital
अधिनियम	Act
अधिमान शेयर	Preference share
अनुमोदन	Approval
अनुग्रह पूर्वक की गई अदायगी	Ex-gratia Payment
अनुसूची	Schedule
अनुसूचित बैंक	Scheduled Bank
अभिदान-सूची	Subscription list
आलोह धातुएं	Non-ferrous metals
अवमूल्यन	Devaluation
अशोधित बांड	Outstanding Bonds
अशोध्य और संदिग्ध ऋण	Bad and doubtful debts
आंकड़े	Figures
आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर	Partly Paid up shares
आकस्मिक देयताएं	Contingent liability
आच्छादन	Refinance
आवंटित	Allocated
आधुनिकीकरण	Modernisation
आवेदक	Applicant
आवेदन पत्र	Application form
आयात	Import
आरक्षित निधियां	Reserves
आरम्भिक पूंजी	Initial capital
आलोच्य वर्ष	Year under review
आस्थगित अदायगी गारंटी	Deferred payment guarantee
इस्पात	Steel
उचंत ब्याज	Interest held in suspense
उचंत लेखा	Suspense account
उप-उत्पाद	By-products
उप-ऋण	Sub-loan
उपकरण	Apparatus
उपक्रम	Undertaking
उपस्कर	Equipments
उपार्जन	Earnings
उदार ऋण	Soft loan
ऋणी संस्था	Loanee concern
औद्योगिक इकाइयां	Industrial units
औद्योगिक अग्रेता	Industrial priority
औद्योगिक गैस	Industrial gas
औद्योगिक वर्गीकरण	Industrial classification
औपचारिकताएं	Formalities
कताई	Spring
कर	Tax
करघे	Looms
कराधान के लिए व्यवस्था	Provision for taxation
कसौटी	Criteria
कल-पुर्जे	Ancillaries
काठ और कार्क	Wood & cork
कार्यकर पूंजी	Working capital
कार्यप्रणाली	Procedure
कार्यनिवृत्त होना	To retire
किस्त	Instalment
कुल जोड़	Grand total
कृत्रिम रेशे	Artificial fibre
केन्द्रीय समिति	Central Committee
केन्द्रीय सरकार	Central Government
कैफियत	Remarks
खण्ड	Section
खदान	Quarrying
खनन	Mining
गारंटियां पुतरफा	Guarantee per contracts
घाटा लेखा	Deficit account
छूट	Rebate
जर्मन पुनर्निर्माण बैंक	Kreditanstalt fur Wiederaufbau
टिप्पणियां	Notes
ढलाई	Moulding
तकनीकी	Technical
तकुए	Spindles
तंतुक रेशा	Staple fibre
तुलन पत्र	Balance sheet
दलाली	Brokerage
दीर्घकालीन	Long-term
देय ऋण	Debts due
धातु उत्पाद	Metal products
धुनाई	Ginning
नकद शेष	Cash Balance
नवीकरण	Renovation

नामिका	Panel
नामित संचालक	Nominee Director
निगम	Corporation
गैर-सरकारी क्षेत्र	Private Sector
निदेश	Directive
निर्वाचित	Elected
निवल	Net
निवेश न्यास	Inyestment trust
नीति विषयक निदेश	Policy directive
नौपरिवहन	Shipping
पूंजीगत माल समिति	Capital Goods Committee
पूंजी-विन्यास	Capital structure
परियोजना	Project
परिशिष्ट	Appendix
पाने	Spanners
पेय	Beverage
पेरने की क्षमता	Crushing capacity
पेशगियां	Advances
पुनःस्थापन	Rehabilitation
पुनर्भाजन	Rediscounting
पुनर्मूल्यन	Revaluation
पूर्व-अनुमोदन	Prior approval
पूर्व-दत्त खर्चे	Prepaid expenses
प्रगति रिपोर्ट	Progress report
प्रत्यक्ष अभिदान	Direct Subscription
प्रतिदेय	Redeemable
प्रतिभूतियां	Securities
प्रदत्त पूंजी	Paid up capital
प्रबन्ध एजेंसी	Managing Agency
प्रबंध संचालक	Managing Director
प्रभावी मंजूरियां	Effective sanctions
प्रवर्तक	Promotor
प्राकृत धातु	Virgin metal
प्रोद्भूत ब्याज	Interest accrued
प्रयोजन	Purpose
फुटकर ऋणी	Sundry debtors
फुटकर लेनदार	Sundry creditors
बट्टा	Discount
बट्टे खाते डाले गए	Written off
बंधक दस्तावेज	Mortgage document
बाकीदारी की रकम	Amount in default
बाजार मूल्य	Market Value
बिजली का साज सामान	Electrical equipment
बीमा कम्पनी	Insurance Company
बुनियादी रसायन	Basic chemicals
ब्यौरा	Particular
ब्यौरेवार	Detailed
भत्ता	Allowance
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank of India
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation of India
भविष्य निधि	Provident Fund
भवन आदि लागत मूल्य	Premises at cost
मध्यम-कालीन	Medium term
मशीनरी पूर्तिकार	Machinery supplier
महाप्रबन्धक	General Manager
माल का अभिसंस्कार	Processing of goods
मूल्यांकन	Appraisal
मूल्य ह्रास	Depreciation
मृतिका शिल्प	Ceramics
मंजूरियां	Sanctions
महंगाई भत्ता	Dearness Allowance
राज्य सहकारी बैंक	State Cooperative Bank
रसायनिक प्रक्रिया	Chemical Process
रूप रेखा	Outline
लाभ-हानि लेखा	Profit & Loss Account
लेखा	Account
लेखापाल	Accountant
लेखा-परीक्षक	Auditor
लेखा वर्ष	Accounting year
लेखन-सामग्री	Stationery
लेनदार	Creditor
वचनबद्धता प्रभार	Commitment charge
वचन पत्र	Letter of Commitment
वनस्पति तेल	Vegetable oil
वर्गीकरण	Classification
वाद-प्राप्य स्ववस्तुएं	Choses-in-action
वार्षिक रिपोर्ट	Annual Report
वार्षिक साधारण सभा	Annual General Meeting
वित्तीय	Financial
वित्तीय कार्य	Financial operation
वित्तपोषित	Financed
वित्तीय संस्था	Financial institution
वितरण	Distribution
विदेशी ऋण	Foreign credit
विदेशी ऋण के लिए गारंटी	Foreign loan guarantee
विधिक प्रभार	Legal charges
विधिवत अर्हता-प्राप्त	Duly qualified
विनियम	Regulation
विनियमजन्य अन्तर	Difference in exchange
विराम भत्ता	Halting Allowance
विविध	Miscellaneous
विश्लेषण	Annlysis
विशाखन	Diversification
विशेषज्ञ	Expert
विस्तार योजना	Expansion Scheme
व्यक्तिगत गारंटी	Personal guarantee
व्यवहार्यता	Viability

संचालक	Director
संचालक बोर्ड	Board of Directors
संचयी	Cumulative
संचित आय	Retained earning
संतुलन उपस्कर	Balancing equipment
संपरिवर्तनीय डिबेंचर	Convertible debenture
संपरिवर्तनीय बांड	Conversion bond
संविदा	Contract
संवितरण	Disbursement
संयुक्त परामर्श	Joint consultation
संयुक्त राज्य अमरीका का अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण	Agency for International Development (U.S.A.)
संयंत्र और मशीनरी	Plant & machinery
संशोधन	Amendment
संस्थापित क्षमता	Installed capacity
संक्षिप्त विवरण	Summary
सकल आय	Gross income
सचिव	Secretary
समता दर	Parity rates
समय-पूर्व वापसी अदायगी	Premature repayment
समवर्गी	Allied
समीक्षा	Review
सम्पत्ति और परिसम्पतियां	Property and assets
समायोजन	Adjustment
सलाहकार समिति	Advisory Committee
सहकारी कताई मिल	Co-operative spinning mill
सहकारी समिति	Co-operative Society
सहकारी क्षेत्र	Co-operative Sector
साख पत्र	Letter of credit
साधारण शेयर	Equity share
सामान्य आरक्षित निधि	General Reserve Fund
सारणी	Table
सावधि जमा	Fixed deposit
सामान्य विनियम	General Regulations
सूचना	Notice
सूचीकरण	Listing fee
स्रोत	Source
स्वत्व की निर्बाधिता	Clearance of title
हामीदारी	Underwriting

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

अन्य कार्यालयों के अधिकारी

अहमदाबाद

एस० के० भट्टाचार्य	प्रबन्धक
आर० के० खन्ना	तकनीकी अधिकारी
रवि शंकर शर्मा	तकनीकी अधिकारी
सी० पी० भान	विधि अधिकारी

बंगलौर

पी० एस० गोपालाकृष्णन	प्रबन्धक

भुवनेश्वर

एम० आर० गणपति राव	प्रभारी अधिकारी
पी० के० सेन गुप्ता	तकनीकी अधिकारी

बम्बई

एम० एन० खुशु	प्रबन्धक
एम० वी० कुलकरनी	सहायक प्रबन्धक
एस० एम० सिरिस्कर	सहायक प्रबन्धक
वी० के० मलहोत्रा	तकनीकी अधिकारी
आर० एल० श्रीवास्तव	तकनीकी अधिकारी
वी० एम० शाह	वरिष्ठ विधि अधिकारी
सिद्धेश्वर डे	विधि अधिकारी

कलकत्ता

आर० एन० साहू	प्रबन्धक
के० राधाकृष्णा	सहायक प्रबन्धक
चण्डीदास घोष	तकनीकी अधिकारी
एस० के० मित्रा	वरिष्ठ विधि अधिकारी
पी० के० घोष	विधि अधिकारी

गौहाटी

एच० पी० गुप्ता	प्रभारी अधिकारी

हैदराबाद

एम० एल० चोपड़ा	प्रबन्धक
जे० पी० शर्मा	तकनीकी अधिकारी
एम० रामाकृष्णा राव	विधि अधिकारी

कानपुर

आर० एन० नायर	प्रभारी अधिकारी
के० के० कथूरिया	तकनीकी अधिकारी

मद्रास

डब्ल्यू० एन० कपूर	प्रबन्धक
वी० रामाचन्द्रन	सहायक प्रबन्धक
सी० डी० रेड्डी	तकनीकी अधिकारी
पी० एस० बाला सुब्राह्मण्यम	विधि अधिकारी

पटना

एस० के० जैन	प्रभारी अधिकारी
बी० पी० मिश्रा	तकनीकी अधिकारी

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

निगम के अधिकारी

प्रधान कार्यालय

मुख्य अधिकारी

चरन दास खन्ना—अध्यक्ष

बलदेव पसरीचा—महाप्रबन्धक

टी० एम० सेन	विधि सलाहकार
आर० पी० माथुर	सहायक महाप्रबन्धक
एम० एस० नागरथ	मुख्य लेखापाल
एस० एन० पाई	उप-महाप्रबन्धक
पी० एस० गुरुंग	मुख्य तकनीकी अधिकारी
ए० के० घोष	उप-विधि सलाहकार

परियोजना विभाग

एन० पी० चक्रवर्ती	प्रबन्धक
डी० एन० डावर	प्रबन्धक
आई० एस० नांगिया	प्रबन्धक
एल० एन० जादवानी	सहायक प्रबन्धक
टी० रामास्वामी	सहायक प्रबन्धक
बी० पी० कामथ	सहायक प्रबन्धक
एच० सी० शर्मा	सहायक प्रबन्धक
एम० एम० मेनन	सहायक प्रबन्धक
एस० के० शिवपुरी	सहायक प्रबन्धक

तकनीकी विभाग

एस० पी० बनर्जी	तकनीकी अधिकारी
आर० एल० शगारी	तकनीकी अधिकारी
ए० एस० खुराना	तकनीकी अधिकारी
के० के० गर्ग	तकनीकी अधिकारी
एस० सुन्दराजन	तकनीकी अधिकारी
एस० के० रिशि	तकनीकी अधिकारी
के० सी० हुकमानी	तकनीकी अधिकारी
एम० जी० चतुर्वेदी	तकनीकी अधिकारी
आर० के० शर्मा	तकनीकी अधिकारी
जी० डी० नारंग	तकनीकी अधिकारी
सी० डी० गोपालारत्नम्	तकनीकी अधिकारी

विधि विभाग

एल० डी० मुन्दकुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी
बी० एन० बनर्जी	विधि अधिकारी
बी० एम० धर	विधि अधिकारी
एस० एस० एल० गुप्ता	विधि अधिकारी
एस० एल० मित्रा	विधि अधिकारी

आर्थिक तथा योजना विभाग

डा० जे० जी० राव	प्रबन्धक
कृष्णा रामानुजम	सहायक प्रबन्धक

सांख्यिकी विभाग

बी० एस० आर० के० शास्त्री	प्रबन्धक
जी० नारायणमूर्ति	सहायक प्रबन्धक

लेखा तथा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग

एच० एस० रस्तोगी	प्रबन्धक
एच० चौधरी	सहायक प्रबन्धक

विदेशी मुद्रा व ऋण विभाग

जी० विश्वानाथन	सहायक प्रबन्धक

बोर्ड व समन्वय विभाग

आर० रामाचन्द्र राव	प्रबन्धक

प्रशासन विभाग

।० जी० रमैय्या	प्रबन्धक
म० एल० कपूर	कार्मिक अधिकारी

दिल्ली प्रभाग

० एन० सहगल	सहायक प्रबन्धक

प्रधान कार्यालय

	टेलीफोन	टेलेक्स	तार का पता
बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पो० बाक्स नं० 363, नई दिल्ली-1	312052 (सात लाइनें)	ND 623	FINCO
दिल्ली प्रभाग जीवन तारा बिल्डिंग, पहली मंजिल, गेट नं० 3 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पो० बाक्स नं० 183, नई दिल्ली-1	311126 312976 310281	—	INDFINCORP

अन्य कार्यालय

अहमदाबाद जिवाभाई चेम्बर्स, आश्रम रोड, पो० बाक्स० नं० 4049 अहमदाबाद-9	54723 54724	AM 436	FINCODIA
बंगलौर 22, महात्मा गांधी मार्ग, पो० बाक्स नं० 5091, बंगलौर-1	55190 55191	BG 464	FINCO
भुवनेश्वर 20, फारेस्ट पार्क, भुवनेश्वर-9	349	—	FINCODIA
बम्बई मेहता महल, (पांचवीं मंजिल) 15, मैथ्यू रोड, पो० बाक्स नं० 3928 बम्बई-4	360619 360252 359932	BY 2773	FINCORPIN
कलकत्ता 4 मैंगो लेन, (दूसरी मंजिल) पो० बाक्स नं० 2483, कलकत्ता-1	230941/44 231293	CA 463	FINCODIA
गौहाटी जी० एन० बर्दोलोई रोड, चान्दमारी पो० बाक्स नं० 30, गोहाटी-1	7245	—	FINCORP
हैदराबाद 6-3-631, जिला परिषद् रोड, खैरातावाद, पो० बाक्स नं० 11, हैदराबाद-4	38053 38019	HD 429	INFINCO
कानपुर अग्रवाल बिल्डिंग, केनाल क्रौसिंग, दि माल, पो० बाक्स नं० 319, कानपुर-4	61120	—	FINCORP
मद्रास राजी बिल्डिंग, (तीसरी मंजिल) 147, माउन्ट रोड, पो० बाक्स नं० 1080, मद्रास-6	86595 87249 85087	MS 445	FINCORPIN
पटना पाटलीपुत्र कालोनी, पटना-13	23365	—	FINCO

RESERVE BANK OF INDIA

Central Office

Department of Accounts and Expenditure

Bombay, the 10th March 1973

In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of India of the 20th April, 1946 [as amended under Notification No F.(8) (70)-B/52 dated the 29th April,1954] the following list (for the quarter ended 30th June 1972) is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie grounds exist for believing that the securities have been lost and that the claim of applicants is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief Accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Accounts and Expenditure, Central Debt Section, Bombay.

The list has been divided into two parts—part 'A' being securities now advertised for the first time and part 'B' the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of security	Value Rs.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of orders issued	Date of publication under Public Debt Act of 1944 of list in which the security was first mentioned
1	2	3	4	5	6	7
		BOMBAY CIRCLE				
		3% Conversion Loan, 1946				
BY372507	10,000/-	Jagmohandas Ranchhodlal, Mansukhlal Gangadas and Hari lal Tribhovandas or any one of them.	16-3-1971	Jagmohandas Ranchhodlal, Jagannath Anantrai, Prabhakar Mangaldas and Mathuradas Jayantilal.	Case No. L. 1532-Dy. Manager's Orders' Diary No. C.O. 225 dated 17th April 1972.	
BY361675	5,000/-	Canara Bank Ltd.	16-3-1971	Ismail Hoosein Khambati	Case No. L. 1535—Dy. Manager's Orders' Diary No. C.O.-300 dated 23rd May, 1972.	
		4% Loan, 1980				
*BY009722	100/-	Kores (India) Ltd.	18-7-1968	Kores (India) Ltd.	Case No. L-1539—Dy Manager's Orders Diary No. C.O. 226 dated 17th April, 1972.	
		CALCUTTA CIRLE				
		3% Conversion Loan, 1946				
CA306356	1,000/-	B.K. Guha	16-3-1969	N.N. Chaudhury	Case No.— 772 Manager's Order dated 28th June, 1972, File No. I-2208.	
		4½% Loan, 1973				
*CA004227/31	100/- each	State Bank of India	22-7-1963	The Executive Officer, Debotter Department Daspalla	Case No. 771 Manager's Order dated 27th April 1972 File No. I—2127.	
		KANPUR CIRCLE				
		National Defence Gold Bonds 1980 'A' Series				
KN000411	10 Gms.	Pitam Singh	27-10-1966	Pitam Singh	C. O.-739/71-72 dated 21st April, 1972.	

LIST 'B'

BOMBAY CIRCLE

3½% Conversion Loan, 1946

BY291513	12,000	Indravadan A. Bhatt	16-9-1965	Ambalal Damodarbhai Bhatt.	Case No. L. 1429 Dy. Manager's Order dated 14-8-69 Diary No. C. O. 563 dated 14-8-1969.	14th February, 1970.

*Issue of duplicate/payment of discharge value after three years under relaxed procedure authorised.

1	2	3	4	5	6	7
		BOMBAY CIRCLE—*Contd.*				
		Three per cent Conversion Loan, 1946—*Contd.*				
BY235286	1,000	Jamshed Ardeshir Mehta and Ardeshir Nowroji Mehta or either or survivor.	16-9-1965	Ardeshir Nowroji Mehta, survivor of late Jamshed Ardeshir Mehta.	Case No. L. 1427 Dy. Manager's Order dt. 15-10-1969. Diary No. C. O. 719 dt. 16-10-1969.	20th February, 1971
BY334045	2,000	The Thana District Ghas Utpadak Sahakari Mandal Ltd.	16-3-1962	The Thana District Ghas Utpadak Sahakari Mandal Ltd.	Case No. L. 1449 Dy. Manager's Order dt. 16-10-1969 Diary No. C.O. 720 dated 16-10-1969	Do.
@BY337168	5,000	G.V. Datar	16-3-1969	Central Bank of India.	Case No. L. 1473, Ref. C. O. letter No. C. O. Dt. Admn. 32-69-70-2823 dated 27-11-1969. Diary No. C. O. 825 dated 28-11-1969.	Do.
@BY398330	500	The Central Bank of India Ltd.	16-3-1969	Central Bank of India		
BY262417	5,500	Kaoos R. Sethna and Goola R. Sethna.	16-9-1966	Kaoos R. Sethna and Goola R. Sethna.	Case No. L. 1406 Dy. Manager's Order dt. 16-12-1969. Diary No. C. O. 862 dated 17-12-1969.	20-2-1971
*BY244024	500	B.S. Lalkaka, Goolbanu B. Lalkaka, Freny P. Mehta, Feroza H. Seervai and P. A. Mehta or any three of them	16th September 1966	Goolbanu B. Lalkaka, Freny P. Mehta, Feroza H. Seervai and P. A. Mehta (or any three of them) Survivors of Shri B. S. Lalkaka, since deceased.	Case No. L. 1441 Dy. Manager's Orders dated 30th June, 1970 Diary No. C. O. 399 dated 30th June, 1970	24-4-1971
BY289651	10,000	Chimanlal Chhotalal, Swarupchand Kapurchand, Sankalchand Govindji & Sobhagchand Raichand or any two of them.	16th March 1965.	Trustees of Shri Atmanand Jain, Gurukul, Zagadia.	Case No. L 1382, Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 700 dated 27th October, 1970.	28-8-1971
BY289650	2,000	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
BY218913	1,000	Accounts Officer, High Court, Bombay.	Do.	Do.	Do.	Do.
*BY341152	500	Goolcher Dorab G. Anklesaria.	16th March 1966.	Goolcher Dorab G. Anklesaria.	Case No. L. 1498, Dy. Manager's Orders Diary No. C.O. 750 dated 24th November, 1970.	Do.
BY371276	200	Dhankorebai Haridas Sakerbai Jadavji, Parvatibai Jadavji and Laxmibai Jadavji or any one of them.	16th March, 1968	Vandana Kunjvihari (minor), Parvatibai Jadavji and Laxmibai Jadavji.	Case No. L. 1447, Dy. Manager's Orders Diary No. C. O. 56 dated 30th January, 1971.	18-9-1971
BY371277	500					
BY371278	1,000					
BY371279	10,000					
BY371280	25,000					
BY371281	200					
BY300303	1,000	Narayan Damodar Kotwal.	16th Sept., 1961.	Narayan Damodar Kotwal & Manorama N. Kotwal.	Case No. L. 1476', Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 61 dated 1st February, 1971.	Do.
BY228406-07 (2×10,000)	20,000	Jamnabai Govindjee Madhavjee, Damodher Govindjee Madhowjee Lady Premlila Vithaldas Thackersey, Sunderbai Hansraj Pragji Thackersey and Kallianjee Canjee Meghjee or any two of them.	16th Sept., 1961	Premlila V. Thackersey, Sunderbai Hansraj Pragji Thackersey, Ranjitsinh Liladhar Kara, survivors of late Sushilabai Madhavji D. Morarji.	Case No. L. 1376' Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 188, dated 26th March, 1971.	Do.

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.
@ Immediate issue of duplicate payment of discharge value authorised.

1	2	3	4	5	6	7
			BOMBAY CIRCLE —*Contd.*			
			Three per cent Conversion Loan, 1946—*Contd.*			
*BY414045	500	Vasantlal C. Parikh	16th Sept., 1968.	Shantagauri Vasant lal Parikh.	Case No. L-1522- Dy., Manager's Orders-, Diary No. C. O.472 dated 27th July, 1971.	15-1-1972
			3% Defence Bonds, 1946			
*BY007057-59 (3x100)	300	Reserve Bank of India.	1st Aug., 1940.	B. C. Kuchanur, Chairman Shri Murigeyya Sidramayya Swami Bagojimath Trust.	Case No. L 1472, Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 164 dated 17th March, 1971.	18-9-1971
			3% Loan, 1963-65			
BY102073	25,000	Reserve Bank of India.	1st Dec., 1960.	Bibhuti Bhusan Mitra & Kanhaiyalal Sureka (Survivors of late Jasioda Kumar Roy),	Case No. L-1172—Dy. Manager 's' Orders Diary No. C. O. 534 dated 19th August, 1971.	15-1-1972
			Three per cent First Development Loan, 1970-75			
BY127363	1,100	Hiralal Laxmichand	15-10-1958	Babubhai Hirachand Shah Administrator to the estate of Hiralal Laxmichand (decoased).	Case No. L. 1423 Dy., Manager's Orders, dated 19--8-1969 Diary No. C. O. 579 dated 20-8-1969.	14th February, 1970
*BY130740	500	Doongorshi Jamnadas	15-4-1966	Doongershi Jamnadas	Case No. L. 1480, Dy. Manager's Orders dt. 11-3-1970. Diary No. C. O. 121, dated 11-3-1970.	29 th August, 1970
BY105406	2,900	Jessasing Chaturbhujdas.	15th April, 1964.	Jessasing Chaturbhujdas.	Case No. L. 1448 Dy. Manager's Orders dt. 29th June, 1970 Diary No. C. O. 398 dated 29th June, 1970.	24-4-1971
BY139013	500	The Central Bank of India Limited.	Do.	Do.	Do.	Do.
*BY072584	500	Reserve Bank of India	15th April, 1956.	Motilal Bumb.	Swarupchand Case No. L. 1420, Dy. Manager's Orders' Diary No. 10-7-71 C. O. 520, dated the 10th Aug. 1970.	
BY153551 BY157232 BY143192	500 100 100	Garlick & Co. Pvt. Ltd.	15th October 1968.	Garlick & Co. Pvt. Ltd.	Case No. L. 1450, Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 560, dated the 1st Sept., 1970.	Do.
*BY161959	500	Mohanlal Bechardas and Manibai Mohanlal or either of them.	15th April, 1970.	Manibai Mohanlal (Survivor of late Mohanlal Bechardas).	Case No. L. -1517-Dy. Manager's Orders, Diary No. C.O. 289 dated 17th, May 1971.	15-1-1972

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.

1	2	3	4	5	6	7
			BOMBAY CIRCLE—*Contd.*			
			Three per cent First Development Loan, 1970-75 *Contd.*			
BY072128	500	Reserve Bank of India	15th Oct., 1963	Sushilabai Vishnupant Waikar, Chandrashekhar Vishnupant Waikar, Kamal Bhausaheb Bongale, Hemant Vishnupant Waikar, Kumud Madhukar Futane, Ashalata Omprakash Lachke, Ashok Vishnupant Waikar, Rajendra, Vishnupant Waikar and Vijay Vishnupant Waikar (minor).	Case No. L. - 1258-Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 762 dated 10th December, 1971.	5-8-1972
			Three and a Half per cent National Plan Loan, 1964			
BY056546	1,000	Reserve Bank of India	19-4-1957	Urmilaben Gordhanbhai Pancholi and Rajeshbhai Gordhanbhai Pancholi (minor)	Case No. L. 1439 Dy. Manager's Orders dated 22-5-69 Diary No. C. O. 335 dated 23-5-1969.	7th March 1970.
*BY036508	100	Reserve Bank of India	19-4-1954	Zala Babubhai Sardarsang and Vakhatsang Shivabha.	Case No. L. 1411-Dy. Manager's Orders dt. 18-8-1969 Diary No. C. O. 572 dated 19-8-1969.	14th February, 1970.
*BY043779	500	Reserve Bank of India	19-4-1954	Shah Dalichand Motichand.	Case No. L. 1471 Dy. Manager's Orders dt. 16-3-1970 Diary No. C. O. 128 dt. 17-3-1970.	29th August. 1970.
*BY097445	100	Gudisetti Vishwanathan	19th April, 1954	Gudisetti Vishwanathom.	Case No. L. 1147-Dy. Manager's Orders dt. 20th May, 1970 Diary No. C. O. 287 dated 20th May, 1970.	24-4-1971
*BY098149	100	Gudsetti Vishwanathan s/o Veeranna.	Do.	Do.	Do.	Do.
*BY019984	200	Imperial Bank of India.	Do.	M/s. Janta Automobiles.	Case No. L. 1463-Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 736 dated 19th November 1970.	28-8-1971
*BY069437	100	Reserve Bank of India	19th April, 1955	Patel Devraj Samji Bhoot	Case No. L. 1500-Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 32, dated 22nd January, 1971.	18-9-1971
*BY096036	500	Do.	19th April, 1957	D. P. Pande.	Case No. L. 1409-Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 33 dated 22nd January 1971.	Do.
*BY026533	100	Do.	19th Oct., 1957	Patel Ravji Karshan and Manji Karshan.	Case No. L. 1435-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 60 dated 1st. February 1971.	Do.
*BY033373	200	Do.	19th April. 1954	Patel Mohanbhai Gogjibhai Dungar.	Case No. L. 1474-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 88 dated 12th February 1971.	Do.
*BY045372	100	Reserve Bank of India	19th April, 1954	Paleval Bhavan Daya and Paleval Mohan Keshavji.	Case No. L--1515-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 266 dated 3rd May 1971.	15-1-1972

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.

1	2	3	4	5	6	7
		BOMBAY CIRCLE—*Contd.*				
		Three and a Half per cent National Plan Loan, 1964—*Contd.*				
*BY077941	100	Reserve Bank of India	19th April, 1954	Dayaram Kisan Bhangale.	Case No. L. 1478-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 714 dated 17th November 1971.	5-8-1972
*BY079320	200	Reserve Bank of India	19th April, 1954	Bhimshi Jethabhai.	Case No. L—1524-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 790 dated 22nd December 1971.	5-8-1972
*BY079090	100	Reserve Bank of India	19th April, 1954	(1) Rajibai Ram, (2) Lakhubai Ram, (3) Naranbhai Ram, (4) Karsanbhai Ram, (5) Govindbhai Ram, (6) Jalubai Ram, (7) Kunverbai Ram, (8) Ladubai Ram. (Heirship Certificate holders to the estate of late Aher Ram Bhoja).	Case No. L- 1501- Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 14 dated 11th January 1972.	16-9-1972
		3½% NATIONAL PLAN BONDS, (II SERIES), 1965				
BY021171-73 (3x1000)	3,000	The Bank of India Ltd.	1st January, 1961	M/s. Darabshaw B. Cursetjee's Sons, (Bombay)	Case No. L. 1051-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 818 dated 30th December 1970.	28-8-1971
BY018137-39 (3x1000)	3,000	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
BY036732-34 (3x1000)	3,000	Reserve Bank of India	Do.	Do.	Do.	Do.
BY029267	1,000	The Bank of India Ltd.	Do.	Do.	Do.	Do.
BY010655	5,900	Reserve Bank of India	1st July, 1955	Jeejeebhoy Nanabhoy Marshall (Survivor of late Piroja Jeejeebhoy Marshall).	Case No. L— 1511-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 388 dated 21st June 1971.	15-1-1972
		4% HYDERABAD STATE DEVELOPMENT LOAN 1963				
BY002243-52 (10x1000)	10,000	Hyderabad State Bank	15th April, 1958	The Liquidator, Taluka Agricultural Cooperative Association Ltd., Latur (in liquidation).	Case. No. L.—1331-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 715 dated 17th November 1971.	5-8-1972
		4% Hyderabad State Development Loan, 1967				
BY002353	4,000	The Bank of India Ltd.	1st Sept., 1963	Bhalchandra Janardan Lalit and Vishwanath Vishnu Govilkar.	Case No. L. -1512-Dy. Manager's Orders. Diary No. C. O. 470 dated 27th July 1971.	15-1-1972
		4% Loan, 1970				
BY002142 to BY002147 (6x100)	600	Reserve Bank of India	15-10-1968	Shankar M. Mujumdar.	Case No. L. 1460 Dy. Manager's Orders, dated 8-12-1969 Diary No. C. O. 842 dated 8-12-1969.	20th February, 1971.

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.

1	2	3	4	5	6	7

BOMBAY CIRCLE—*Contd.*

4 % Loan, 1979

BY002408	5,000	Reserve Bank of India	1-1-1968	Ambalal C. Shah and Maniben Ambalal Shah	Case No. L. 1455 Dy. Manager's Orders dt. 29 -1-1970., Diary No. C. O. 51 dated 29-1-1970.	29-8-1970
BY002407	500	Do.	1-1-1968			
BY002405	100	Do.	1-1-1968			
BY002406	100	Do.	1-1-1968			

4¼ % Loan, 1989

*BY003014	500	The Bank of India Ltd.	15th April, 1964	Mihir Textiles Limited (Formerly known as The Ahmedabad Jaya Bharat Cotton Mills Limited).	Case No. L—1375 -Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 336 dated 5th June, 1971.	15-1-1972

5 % Loan, 1982

**BY005363	500	Bank of India	15-1-1970	Bank of Baroda.	Case No. L- -1518 Dy. Manager's Orders, Diary No. C.O. 614 dt. 27th September, 1971.	15-1-1972
**BY005395	100					

6½% Gold Bonds, 1977

BY000666-69 (4x1000)	4,000	Muljimal Thawerdas and Asaribai Muljimal or either.	12th May, 1968	Muljimal Thawerdas and Asaribai Muljimal.	Case No. L. 1481-Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 459, dated the 20th July, 1970.	10-7-1971
BY000662-65 (4x100)	400	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
BY000661	50	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
BY000658-60 (3x10)	30	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.

National Defence Gold Bonds, 1980, ('B' Series)

BY006176	107 Gms.	Kurangi Shirishchandra Desai and Chitra Ushakant Desai	27-10-1966	Kurangi Shirishchandra Desai and Chitra Ushakant Desai.	Case No. L. 1440 Dy. Manager's Orders, dt. 22 -5-1969 Diary No. C. O. 331 dated 22-5-1969	7th March 1970
BY008234	448 Gms.	Kantilal Vrajlal Sheth, Venilal Maganlal Parekh, Pranjivandas Amratlal Parekh and Ratilal Gopalji Vasa or any two of them.	27th October 1966	Venilal Maganlal Parekh, Pranjivandas Amratlal Parekh and Ratilal Gopalji Vasa—survivors of late Shri Kantilal Vrajlal Sheth.	Case No. L. 1487-Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 773 dated 5th December 1970.	28th August 1971
BY007150-89 (40x10 Gms.)	400 Gms.	Gopikishan Harlalka	27th Oct., 1966	Smt. Malti Sanger.	Case No. L—1438-Dy. Manager's Orders, Diary No. C. O. 584 dated 14th September, 1971.	15-1-1972

Five Years Interest-Free Prize Bonds, 1949

Particulars of lost, stolen or destroyed Prize Bonds, published in terms of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946.

1386	1949	A AA	013507 029451/52	100 10 each	Shri Jummabhai Mammed C/o K. I. Halari, 38, Samuel Street. Bombay-9.	8th March, 1967.	10th June, 1967.
1630	1949	AK	089610	10	Shri Shashikant M. Kadam, K-120, Reserve Bank of India Staff Quarters, Byculla, Bombay-8.	7th August, 1967	10th February, 1968.

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.
**Half-Notes lost.

1	2	3	4	5	6	7
			CALCUTTA CIRCLE			
			3% Conversion Loan, 1946			
CA235085/86	1000/- each	Madhab Lal Mukherjee	16-9-1968	Niharbala Debi as constituted Attorney of Madhab Lal Mukherjee.	Case No. 756-Manager's Order dt. 30-9-1969 File No. I. 2136.	14-2-1970
CA235087/88	200/- each	Madhab Lal Mukherjee	16-9-1968	Do.	Do.	14-2-1970
CA296465/66	2500/- each	Do.	16-9-1968	Do.	Do.	14-2-1970
CA195170	1000/-	Durgadass Kumar	16-9-1966	Durgadass Kumar	Case No. 757-Manager's Order dt. 13-9-69 File No. I 2128.	14-2-1970
CA099314	5000/-	Prosad Das Boral & Bros.	16-9-1948	M/s. Harnarayan Prahladrai	Case No. 760-Manager's Order Dt. 30-6-70 File No. I 2117.	24-4-1971
CA125499	1000/-	Renuka Bala Basu	16-9-1958	Biprodas Dutt, Secretary Sasi Bhusan De Free School for Boys and Rajrajeswari Free School for Girls.	Case No. 761-Manager's Order dt. 30-6-70 File No. I 2054.	24-4-1971
CA128372	1000/-	Bank of Baroda Ltd.	16-9-1956	Do.	Do.	24-4-1971
*CA153597	500/-	Reserve Bank of India	16-9-1961	Sourendra Nath Roy	Case No. 763-Manager's Order dated 29-9-70 File No. I 2008.	10-7-71
*CA138557	500/-	Panchanon Mukherjee	16-9-1961	Panchanon Mukherjee	Case No. 768-Manager's Order dt. 23-12-1971, File No. I. 2000.	5-8-1972
CA226357	5000/-	United Bank of India	16-9-1968	Samaresh Coomar	Case No. 770-Manager's Order dt. 30-3-1972 File No. I. 2209.	16-9-72
CA226682	5000/-	Katyani Coomar and Samaresh Coomar or either of them	16-9-1968	Do.	Do.	Do.
CA226683	5000/-	Do.	16-9-1968	Do.	Do.	Do.
CA226121	2000/-	Do.	16-9-1968	Do.	Do.	Do.
CA229062	100/-	Kalidas Ghosh & Co.	16-9-1968	Do.	Do.	Do
CA229063	100/-	Do.	16-9-1968	Do.	Do.	Do.
CA292408	500/-	Katyani Comar and Samaresh Coomar and either of them	16-9-1968	Do.	Do.	Do.
CA292409	1000/-	Do.	16-9-1968	Do.	Do.	Do.
			3% First Development Loan, 1970-75			
CA011967	5000/-	Reserve Bank of India	15-10-1945	Mukul Burdhan	Case No. 748-Manager's Order dt. 4-11-1968 File No. I. 2026.	3-5-1969
*CA057668	500/	Ramasamy Ranganathan	15 4-1962	R. Vaidyanathan	Case No. 750-Manager's Order dt. 14-2-69 File No. I. 2113	28-6-1969
*CA029043	500/-	Reserve Bank of India	15-4-1954	Dhirendra Nath Bhowmick.	Case No. 758-Manager's Order dt. 31-12-1969 File No. I. 2167	20-2-1971
CA067376/80	1000/- each	Afroze Bukht	15-4-1963	Afroze Bukht	Case No. 751-Manager's Order dt. 12-3-69 File No. I. 2130.	28-6-1969
*CA068464	500/-	Nathuram Agrawala	15-4-1965	Nathuram Agarwala	Case No. 765-Manager's Order dt. 23-2-71 File No. I. 2197	18-9-1971
*CA060924	500/-	Ram Chandra Arya & Saraswati Devi Arya or either of them	15-10-1968	Saraswati Devi Arya	Case No. 766, Manager's Order dt. 19-4-71 File No. I 2214	15-1-1972
CA080833 (Half Note)	500/-	S. Solomon	15-10-1969	National & Grindlays Bank Ltd.	Case No. 769-Manager's Order dt. 29-12-1971 File No. I. 2200	5-8-1972

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.

1	2	3	4	5	6	7
		CALCUTTA CIRCLE—*Contd.*				
			3½% Loan, 1900-01			
CA040544	500/-	Prosad Das Boral & Bros.	30-6-1944	The Hony. Secretary & Treasurer, Suvarna Banik Charitabe Bank Association	Case No. 754-Manager's Order dt. 16-8-69 File No. I 1955	14-2-1970
			3% Loan, 1896-97			
110934/35	500/- each	Tincory Ghose	1-7-1938	Panchanon Pal	Case No. 753-Manager's Order dt. 30-6-69 File No. I. 2149.	7-3-1970
107610/11	1000/- each	Do.	1-7-1938	Do.	Do.	7-3-1970
*CA025085	400/-	Benode Behary Dhur	31-12-1967	Mahamaya Sen	Case No. 764-Manager's Order dt. 4-12-70 File No. I. 2180	28-8-1971
CA024774	500/-	Katyani Coomar and Samaresh Coomar or either of them.	30-6-1968	Samaresh Coomar	Case No. 770-Manager's Order dt. 30-3-1972 File No I. 2209	16-9-1972
			4% Loan, 1960-70			
CA063723	500/-	Murari Lal Mukherjee Madhab Lal Mukherjee Sudhir Kumar Mukherjee Sushil Kumar Mukherjee.	14-3-1960	Murari Lal Mukherjee Madhab Lal Mukherjee Sudhir Kumar Mukherjee Sushil Kumar Mukherjee	Case No. 749-Manager's Order dt. 7-1-69. File No. I. 2011.	28-6-1969
			3½% Loan, 1865			
CA031957	100/-	Prosad Das Boral & Brothers	1-11-1944	The Hony. Secretary & Treasurer, Suvarna Banik Charitablo Association.	Case No. 754-Manager's Order dt. 16-8-1969 File No. I. 1955.	14-2-1970
406863/66	500/- each	Tincouri Ghosh	31-10-1938	Panchanon Pal	Case No. 753-Manager's Order dt. 30-6-69 File No. I. 2149	7-3-1970
321764/65	800/- each	Mohamad Lateef Alam	1-11-1928	Begum Habiba Soghra alias Sakina Khatoon (claim admitted for one-fourth share).	Case No. 759-Manager's Order dt. 25-5-70. File No. I. 1945.	24-4-1971
321766	5000/-	Do.	1-11-1928	Do.	Do.	24-4-1971
321767	25000/-	Do.	1-11-1928	Do.	Do.	24-4-1971
321768	400/-	Do.	1-11-1928	Do.	Do.	24-4-1971
			3½% Loan, 1854-55			
254143/44	500/- each	Naran Dasi	30-6-1940	Panchanon Pal	Case No. 753- Manager's Order dt. 30-6-69 File No. I. 2149.	7-3-1970
254145	1000/-	Do.	30-6-1940	Do.	Do.	7-3-1970
			4½% Loan, 1985			
CA000040	5000/-	Reserve Bank of India	12-7-1962	Administrator General of West Bengal.	Case No. 752-Manager's Order dt. 8-4-69. File No. I. 2098.	7-3-1970
CA000063/64	10000/- each	Do.	12-7-1962	Do.	Do.	7-3-1970
			4% Loan, 1969			
CA004178/80	100/- each	State Bank of India	22-7-1963	Manilal	Case No. 755, Manager's Order dt. 30-9-69 File No. I. 2105	14-2-1970

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.

1	2	3	4	5	6	7
		NEW DELHI CIRCLE				
		Three percent First Development Loan 1970-75				
DH013889	500	Reserve Bank of India	15-10-1952	Memo Bai	LN. 496/20-6-1969	7-3-1970
*DH021604	500	Niranjan Singh	15-4-1955	Niranjan Singh	LN. 500/13-10-69	20-2-1971
*DH031545	500	Balraj Singh	15-4-1968	Mahindar Singh Toor	LN. 501/23-10-69	Do.
*DH031423	500	Lila Vati	15-4-1964	Lila Vati	LN. 502/4-12-69	Do.
DH.013789	500	Reserve Bank of India	15-10-1952	Masud Ahamad Siddiqi	LN. 507/17-6-70	24-4-1971
DH014927	500	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
DH028370	500	Chandar Bhan Chaudhary and Jiwan Kaur Chaudhary.	15-10-1967	Chandar Bhan Chaudhary & Jiwan Kaur Chaudhary.	LN. 509/22-6-70	Do.
*DH032852	500	Banwari Lal	15-4-1970	Banwari Lal	LN. 513/16-12-1970	28-8-1971
		Three and A Half per cent National Plan Loan 1964				
*DH024940	100	Ganga Dhar	19-10-1959	Mangtu Ram	LN. 505/27-12-1969	20-2-1971
*DH007313	100	Reserve Bank of India	19-10-1956	Sheo Ram Dube	LN. 506/15-5-1970	24-4-1971
*DH008704/05	100 each	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
*DH014439	100	Do.	19-4-1954	Municipal Corporation of Delhi.	LN. 511/18-8-70	10-7-1971
*DH013067	100	Do.	19-4-1956	State Bank of Patiala, Narnaul.	LN. 515/31-3-1971	18-9-1971
		National Defence Gold Bonds 1980—'A' Series				
DH000655	43 Gms. of Gold	Urmila Gambhir	24-11-1965	Urmila Gambhir	LN. 497/18-9-69	14-2-1970
DH000798	351 "	Do.	26-11-1965	Do.	Do.	Do.
DH000656	234 "	Uma Gambhir	Do.	Uma Gambhir	LN. 498/18-9-1969	Do.
		National Defence Gold Bonds 1980—'B' Series				
DH000498	325 Gms. of Gold	Uma Gambhir	24-11-1965	Uma Gambhir	LN. 498/18-9-1969	14-2-1970
DH000535	472 "	Sudarshna Gambhir	Do.	Sudarshna Gambhir	LN. 499/22-9-69	Do.
@DH000356	8 "	Raj Dhir	19-2-1966	Raj Dhir	LN. 503/17-12-1969	20-2-1971
*DH001117	48 "	Surjan Mall	13-12-1965	Surjan Mall	LN. 512/30-9-1970	10-7-1971
*DH003103	14 "	Bachan Singh	27-10-1966	Bachan Singh	LN. 514/12-1-1971	18-9-1971
DH002123	296 "	Tribeni Devi	Do.	Tribeni Devi	LN. 516/14-5-1971	15-1-1972
		Three per cent Conversion Loan 1946				
DH002464	5,000	Reserve Bank of India	16-3-1949	M/s. Harnarayan Prahladrai	LN. 504/24-12-1969	20-2-1971
		Three per cent Victory Loan 1957				
*DH020321	100	Reserve Bank of India	1-3-1944	Raja Ram	LN. 508/17-6-1970	24-4-1971
DH058918	100	Do.	1-3-1951	B.N. Kakkar	LN. 517/14-9-1971	15-1-1972
DH059042	100	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
DH059100	100	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
DH059101	500	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
DH059113	100	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
DH059116	100	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
DH059121	100	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7
		MADRAS CIRCLE				
		3% Loan 1953-55				
@MS. 089266	200	Reserve Bank of India	15-7-1950	Padmanabhuni	Central Office letter No. C. O. Dt. CL. 55/68-69/6488 dated 2nd May, 1969.	29-8-70
MS. 069592	100	Do.	15-1-1944	Ramalingaswamy		

* Issue of duplicate / payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.

@ Immediate issue of duplicate / payment of discharge value authorised.

1	2	3	4	5	6	7
			MADRAS CIRCLE—*Contd.*			
			3½ % National Plan Loan 1964.			
*MS. 044297	100	K. Varadaraju Pillai	19-10-1958	K.V. Ramanujam	Manager's Order Dy. No. C.O . 673/LN. 652 dated 22nd August, 1968.	4-1-1969
MS. 050695	5,000	P. Govindasamy Pillai	19-4-1961	P. Govindasamy Pillai	Manager's Order Dy. No. C. O. 740/LN. 890 dated 17th September, 1968.	Do.
*MS. 045483	100	K. Krishnayya Shanbhogue.	19-10-1961	K. Krishnayya Shanbhogue.	Manager's Order No. Dy. C. O.61/LN. 978 dated 27th January, 1969.	28-6-1969
*MS. 046281	200	Panchayat Board Ilayarasamendal	19-4-1954	Panchayat Board Ilayarasamendal	Manager's Order No. Dy. C.O. 78/LN. 997 dated 11th February 1970.	29-8-1970
*MS. 052615	100	Panchayat Board, Tirumalavadi.	19-4-1954	Ganapathi Panchayat	Manager's Order No. Dy. C.O. 216 LN. 990 dated 17th April, 1970.	24-4-1971
@MS. 046869	1,000	Panchayat Board Tirali	19-10-1963	Panchayat Board, Tirali	Manager's Order No. Dy. C.O . 54/LN. Misc. 250 dated 5th February 1971	18-9-1971
			3% First Development Loan 1970-75			
MS. 021925	4,700	Sevugan Chetty Lakshmanan Chetty Narayanan Chetty	15-4-1963	SV. L. RM. Narayan Chettiar.	Manager's Order No. Dy. C. O. 246 LN. 861 dated 3rd April, 1969.	7-3-1970
*MS. 023845	500	Reserve Bank of India	15-4-1970	Krishnaswami Narasimhan.	Manager's Order No. Dy. C. O. 102/LN. 1049 dated 22nd February, 1971.	18-9-1971
			4% Loan 1980			
@MS. 001198/200	25,000/ each	Do.	18-7-1964	The Civil Judge Senior Division and Judicial Magistrate F.C. Panaji (Goa).	Manager's Order Dy. C. O. No. 1271 LN. 991 dated 23rd Febuary 1972 in terms of Central office letter No. C. O. Dt. 6/67-68/3022 dated 8th December, 1969.	16-9-1972
			National Defence Gold Bonds 1980 (Series 'A')			
*MS. 029654	10 gms.	N. Kandasamy Pillai	27-10-1967	N. Kandasamy Pillai	Manager's Order Dy. No. C. O. 601/LN. 962 dated 26th July, 1968.	3-5-1969
*MS. 010916	15 gms.	L. Viswanathan	27-10-1968	L. Viswanathan	Manager's Order Dy. C. O. No. 28/LN. 1022/dated 21st January 1971.	18-9-1971
			National Defence Gold Bonds 1980 'B' Series.			
*MS. 001714	13 gms.	Smt. Leela Ponnuswamy	27-12-1965	Smt. Leela Ponnuswamy	Manager's Order No. Dy. C. O. 244/LN. 1038 dated 30th April, 1971.	15-1-1972
@MS. 016741	8 gms.	Shri A.M. Sudalai Muthu	27-10-1966	Shri A.M. Sudalai Muthu	Manager's Order No. Dy. C. O. 22/72/LN. 1029 dated 11th January 1972 in terms of of Central Office letter No. C. O. Dt. CL. 8/70-71 2248 dated 27th November 1970.	16-9-1972

* Issue of duplicate payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.
@ Immediate issue of duplicate payment of discharge value authorised.

1	2	3	4	5	6	7
/						
			HYDERABAD DECCAN CIRCLE			
			Three per cent Loan 1360-70 Fasli			
H.037871/3	O.S.1000/- each	Abdul Kareem Khan	1-11-1357 F	Smt. Jaitunbee, Smt. Mehurn Nissa, Smt. Iftakharun Nissa Smt. Shakila Begum Succession Certificate holders to the estate of Shri Abdul Kareem, Khan (deceased).	Manager's Order Dy. No. C. O. 151 dated 14-5-1969.	7th March 1970
			Two and a Half per cent Hyderabad Loan 1364-69 Fasli			
J. 062748	O.S.1000/-	Hyderabad State Bank	16-7-1358 F	Shri P. Yadgiri	Manager's Order Dy. No. C. O. 332 dated 19-12-1970.	28-8-1971
			Two and a Quarter per cen Hyderabad Loan 1365-70 Fasli			
**K. 028032	O.S.500/-	State Bank of Hyderabad	1-8-1369F	State Bank of Hyderabad	Manager's Orders Dy. No. C. O. 349 dated 25th Sept. 1969.	14-2-1970
			Four per cent Loan 1959			
*HD. 003238	200/-	State Bank of Hyderabad	22-7-1963	The Secretary, Tanners Industrial Cooperative Society, Aurapalli.	Manager's orders Dy. C. O. No. 201/LN./175 dated 23rd July, 1971.	15th January 1972.
*HD. 001895	100/-	State Bank of India	8-11-1968	Pydimarri Venkata Gopala Krishna Murty	Manager's Orders Dy. No. C. O. 319/LN. 161 dt. 19-10-1971.	5th August 1971.
			National Defence Gold Bonds 1980 'A' Series			
@HD. 000424	5 Grammes.	Jawaharlal Chowbey	13-12-1965	Jawaharlal Chowbey	Manager's Orders Dy. No. C. O. 242 dated 16th July, 1969.	14th February 1970.
HD. 008044	25 Grammes	Baradi Easwarappa	27-10-1967	Baradi Easwarappa	Manager's Order's Dy. No. C. O. 105 dated 6th May, 1971.	15th January 1972.
HD. 000427	101 Grammes	Parvataneni Basava Sankara Rao	7-12-1965	Parvataneni Basava Sankara Rao.	Manager's Orders, Dy. No. C. O. 9/LN. 191 dt. 13th January 1972.	16-9-1972
HD. 004883	101 Grammes	Do.	27-10-1966	Do.	Do.	16-9-1972
			National Defence Gold Bonds 1980 'B' Series			
*HD. 002879	35 Grammes	Katikineni Venkataramana Subba Rao.	27-10-1966	Katikineni Venkataramana Subba Rao.	Manager's Orders Dy. No .C. O. 137 dated 1st May, 1969.	7th March, 1970.
@HD. 002420	3 Grammes	Adabala Nallayya	27-10-1966	Adabala Nallayya, S/o, Subbarayudu, Somavaram, Peddapuram Tq., East Godavari Distt.	Manager's Orders Dy. No. C. O. 226/LN. 205 dated 16th August 1971.	15th January 1972.
			Three per cent First Development Loan 1970-75			
HD. 000560	500/-	Saripally Lakshmi Narasimha Rao.	15-4-1967	Saripally Lakshmi Narasimha Rao.	Manager's Orders Dy. No. C. O. 30/ dated 30th January, 1970.	29th August 1970.
			Four and a Quarter per cent Loan 1973			
*HD. 002574	500/-	State Bank of Hyderabad	22-7-1963	Pola Venkaiah	Manager's Orders Dy. No. C. O. 166 dated 24th June 1971.	15th January 1972.
HD. 002588	500/-	State Bank of India	22-7-1966	P. Raghavendra Rao., Mitakshara Law Certificate Holder in the estate of Shri P. C. Ayyavarappaiah (deceased).	Manager's Orders C. O. Dy. No. 16/LN. 99 dt. 24-1-1972.	16-9-1972

* Issue of duplicate / payment of discharge value after 3 years under relaxed procedure authorised.

** Half Notes lost.

@ Immediate issue of duplicate / payment of discharge value authorised.

1	2	3	4	5	6	7
			NAGPUR CIRCLE			
			6½ % Gold Bonds 1977			
NG000758	2,810/-	Maharaja Ramanuj Sharansingh Deo	5-6-1963	Maharaja M.S. Singhdeo	C. O. 372 dated 11th February 1970	29-8-1970
			National Defence Gold Bonds 1980 'B' Series			
NG000489	48 Gms.	Vijaya Shyamkant Mohoni.	27-10-1966	Vijaya Shyamkant Mohoni.	C. O. 305 dated 20th January 1971.	18-9-1971

J. X. Lobo
Chief Accountant
RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
Department of Accounts and Expenditure
Central Debt Section
Bombay-1.

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Bombay, the 10th February 1973

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri B. D. Mehta has been appointed as Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 5th February 1973.

T. R. VARADACHARY
Managing Director

STATE BANK OF MYSORE

(Subsidiary of the State Bank of India)

Head Office

NOTICE

With reference to the Notice of the 2nd January 1973, issued in terms of Regulation 30(2) of the Subsidiary Banks General Regulations regarding the holding of a General Meeting of the shareholders of the State Bank of Mysore at the Head Office of the Bank for the purpose of electing two persons to be directors of the Board of the Bank in pursuance of Section 25(1)(d) of the State Bank of India (Subsidiary Banks)) Act, 1959, to fill the vacancies which will arise on the 12th March 1973, through the retirement of Sarvashri S. Ramanathan, No. 28, Krishnarajendra Road, Basavanagudi, Bangalore-4, and D. M. Shankarappa, Merchant, Tiptur, NOTICE is hereby given that I have accepted as valid the nominations proposing the names of Sarvashri S. Ramanathan, No. 28, Krishnarajendra Road Basavanagudi, Bangalore-4 and D. M. Shankarappa, Merchant, Tiptur, as candidate for election as directors of the Board of the State Bank of Mysore. The said nominations being the only valid nominations received, Sarvashri S. Ramanathan, No. 28, Krishnarajendra Road Basavanagudi, Bangalore-4 and D. M. Shankarappa, Merchant, Tiptur, shall be deemed to be elected directors of the Board of the Bank at the said General Meeting of the Shareholders proposed to be held on the 9th March 1973, which meeting in terms of Regulation 33(1) of the said General Regulations now stands cancelled.

Bangalore,
Dated ; 23-2-1973.

C. VEERARAGHAVAN
General Manager

THE BAR COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT OF RULES

At its meeting dated 30th April, 1972 the rules of the Bar Council of India have been amended as set out in the following resolution :—

"*RESOLUTION NO. 52A/1972*

In lieu of Rule 3(a) in Chapter I, Part III of the Rules of the Bar Council of India, the following be substituted :—

'3. The name of an advocate appearing in the State Roll shall not be entered on the election roll, if,—

(a) he has at any time been removed or suspended from practice, provided that this disqualification shall operate only for a period of five years from the date of removal or the expiry of the period of suspension.' "

New Delhi
15th February, 1973

A. N. VEERARAGHAVAN
Secretary
Bar Council of India

BEFORE THE RAILWAY RATES TRIBUNAL AT MADRAS

(*Public Notice under Rule 19(3) and (4) of the R.R.T. Rules 1959*)

Complaint No. 2 of 1971

(BOMBAY)

The Mewar-Sugar Mills Ltd., Bhupalsagar.— *Complainant*

verses

The Union of India owing the Western Railway and represented by the General Manager, Churchgate, Bombay.— *Respondent*

Whereas the Complaint has filed a complaint under Section 41(1) of the Railways Act 1890 stating that it comes on business in the production and sale of sugar and its products having the Mills near Bhupalsagar (previously known as Karera); that siding facilities were provided by the Railway from 1936 that an agreement dated

10th December 1936 was entered into between the then Udaipur-Chittorgarh Railway and the complainant, for the construction and maintenance of a private siding within the premises of the Mill at the complainant's cost for the use of the complainant; that under the terms of the aforesaid agreement, the shunting of wagons be done by the complainants and if the Railway locomotive used for shunting, the complainant to pay a rate of Rs. 8/- per hour or part thereof; that wagons shall be handed over to and taken delivery of from the complainants at the designated Point No. 9 near the complainant's siding by Railway locomotive; that when shunting by the Railway Engines inside the complainant's premises, at the instance of the complainant, the time for such shunting work be reckoned when the Railway made over all the wagons to them and the locomotive released; and that besides other terms the significant fact being that no charges were levied by the Railway for delivery upto the designated point which is in the complainant's land and close to their private siding, in view of the fact that Bhupalsagar being a small wayside station with no facilities at the station yard for handling the complainant's traffic and the portion of the complainant's siding line between Points 116 and 121 (previously Points 10 and 9) being used by the Respondent Railway for handing over of wagons to the former and for stabling the latter's wagons, idlestock and shunting; that consequent on the Union of India taking over of this Udaipur-Chittorgarh Railway (Mewar & Rajasthan Railway called later) with effect from 5-11-1951 the Respondent Railway began levying siding charges (haulage charges) on the complainant on and from 15-4-1954 at the rate of Rs. 15/- per hour; that the shunting engine hour cost adopted initially from 15-4-1954 was also raised from time to time and on and from 1st April, 1970 it was raised to Rs. 66/- plus supplementary charges; that on the product of the "time per shunt" and the "per shunting engine hour cost" at the aforesaid rate the Respondents have been levying in additional supplementary charges at various percentages; that the complainants are now paying Rs. 40/50 per shunt as and by way of haulage charges; that the levying of siding (hauling) charges for the complainant's traffic is unreasonable, and equally unreasonable at the present rate of siding charges; that the levy of any supplementary charges on siding charges is also unreasonable as there has been no levy of supplementary charge at all on freight with effect from 1-4-1970; that the present rate of maintenance charges, *viz.* Rs. 3,587.13 levied on the complainant's by the Respondents is unreasonable. The terms of the agreement referred to above with the Udaipur-Chittorgarh Railway carried the fixation, levying and collection of the maintenance charges at 4¼% per annum on the original cost of the siding; that on and from 1-8-1964 the Respondent Railway began to levy these maintenance charges at 4¼% per annum on the present day cost of the siding which they calculated to be Rs. 84,403; that the complainant had to pay the demanded charges under protest to restrain the respondent from closing the siding; that the respondent's method adopted for calculating the present day cost is unrealistic and unreasonable.

AND WHEREAS the Complaint has prayed for :

(1) to declare that no siding or haulage charges are leviable for placement and removal of wagon at Point No. 116 in respect of their traffic;

(2) to declare in the alternative the adoption of Rs. 66/- per hour plus supplementary charges as cost per shunting engine hour for calculation of siding (haulage) charge as unreasonable and to fix a reasonable figure thereof;

(3) to declare the levy of supplementary charges on the siding charges as unreasonable;

(4) to declare the maintenance charges as unreasonable and to fix reasonable maintenance charges;

(5) to fix all such reasonable charges to be effective from the date of the complaint and for other reliefs.

AND WHEREAS it is thought that there may be persons who are not on record but have the same interests in the proceedings as the Complainant or the Respondent abovenamed;

This public notice is, therefore, given so that any person who desires may petition the Tribunal within thirty days of the publication of this notice for leave to intervent, in support of or in opposition to the reliefs sought for in the complaint or be added as a party on the side of the complainant or respondent setting forth the grounds of the proposed intervention or the position and the interest of the petition in the proceedings or the grounds for being added as a party in the above complaint. Any decision given by the Tribunal after this public notice shall apply to all such persons.

Given under my hand and seal of the Tribunal, this 19th day of February, 1973, at No. 11 Boat Club Road, Raja Annamalaipuram, Madras-28.

K. S. SHANKARAIYA
Secretary
Railway Rates Tribunal,
Madras-28.

Seal of Railway Rates Tribunal

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Regional Office, Kerala

Trichur-1, the 23rd February 1973

No. KL/INS/CBS.7(1).—In exercise of the powers conferred under Regulation 10-A of the ESI (General) Regulation 1950, the following amendment is hereby effected to the Corporation Notification No. KL/INS/CBS.7(1)/1 dated 1-2-1973.

In the said notification under Regulation 10-A (1)d for the entry against Serial No. 7, the name shall be substituted as—

"Shri D. Radhakrishnan,
Rita Nivas, Near Museum,
TRIVANDRUM."

By order

N. SUBRAMANIAN
Dy. Regional Director

CORRIGENDUM

Please read "Shri A. H. Gokhale" instead of Shri A. M. Bage printed in the 18th line of notification of E.S.I.C. Bombay in Col. 2 at page 1900 in the Gazette of India Pt. III—Sec. 4 dt. 30-12-72.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973